Par. 8. 17. 11 .2. 53
285

अंक २
संख्या २

बृहस्पतिवार
२ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा
तीसरा सत्र
शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २४४३—२४७८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २४७८—२५००]

(मूल्य ४ आने)

213 P.S.D.

लोक सभा

वृहस्पतिवार, २ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर असीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, बटाला

*११३३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन एक सौ पन्द्रह विद्यार्थियों की सेवाओं का, जिन्होंने आधुनिक मधुमक्खी पालन में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, बटाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उपयोग किया जा रहा ?

(ख) यदि ऐसा है, तो किस प्रकार ?

(ग) इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए अन्य केन्द्र कौन से हैं और प्रति वर्ष प्रशिक्षित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है ?

(घ) प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किस प्रकार सेवा-नियोजित किये जाते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). वे एक सौ चार विद्यार्थी जिन्होंने मधुमक्खी पालन में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, बटाला में एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस राज्य के सामुदायिक योजना क्षेत्रों में पदस्थापित किए गए हैं ।

(ग) वे अन्य विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, जहां पाठचर्या में मधुमक्खी पालन में प्राथमिक प्रशिक्षण सम्मिलित कर लिया गया है, ये हैं :

बम्बई :

(१) कृषि विद्यालय, आनन्द

(२) कोल्हापुर :

(३) अरभावी :

हैदराबाद : हिमायत सागर

मद्रास : (१) पालाघाट (पार्ली)

(२) गांधी ग्राम

(३) पेड्डापुरम

मैसूर : विस्वेस्वरय्या नहर फार्म

उड़ीसा : बोलनगिर

इन प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक १८१ व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए हैं और ३८९ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । चूंकि प्रशिक्षण केन्द्र केवल गत वर्ष ही आरम्भ हुए थे अतः कोई वार्षिक आंकड़ा नहीं दिया जा सकता ।

(घ) वे सामुदायिक योजनाओं में ग्राम-स्तर कार्यकर्त्ता के रूप में नौकर रखे गए हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या जब से यह ट्रेनिंग सेंटर्स स्टार्ट हुए हैं, क्या बी कीपिंग के तरीके में कोई तरक्की हुई है और अगर हुई है तो क्या तरक्की हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस की रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं पूंछ सकता हूं कि इस प्रकार और कितने सेंटर्स खोले जा रहे हैं और कहां कहां खोले जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि यह जितने लोग भी ट्रेन्ड होंगे वह जहां जहां जायेंगे, बी कीपिंग के सेंटर्स खोलेंगे और जितनी मदद हो सकती है, पहुंचायेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस ट्रेनिंग कोर्स का कितना वक्त है, कितना उस में अर्सा लगता है और सेंटर की ओर से कितना खर्चा किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह पूरी स्कीम इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकलचरल रिसर्च से हो रही है, और अभी तो मैं उसके खर्चे का अन्दाज़ा नहीं बतला सकता हूं ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देश का कौन सा ऐसा भाग है जहां शहद की मक्खियों के पालने के सब से अधिक स्थान और सुविधा हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां पर फूल ज़्यादा होते हैं, वह जगह इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त समझी जाती है ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं जान सकती हूं कि किसके तत्वावधान में यह केन्द्र चलाए जा रहे हैं और शिक्षक कौन हैं और उनकी अर्हताएं क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में इस तरह की ट्रेनिंग खोलने का सरकार का कोई विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मध्य प्रदेश में जो कम्यूनिटी सेंटर्स के लिए ट्रेनिंग होगी, उन में इस को स्टार्ट करने के बारे में सोचा जायगा और अगर मुनासिब समझा गया तो इस की ट्रेनिंग वहां पर शुरू कर दी जायगी ।

श्री वेलायुधन: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से किसी केन्द्र ने शहद की कुछ भी मात्रा उत्पादित की है और कोई प्रतिवदन भेजा गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वास्तविक अनुभव में यह एक सप्ताह का प्रशिक्षण यथेष्ट पाया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे पूर्ण विश्वास है ।

श्री बेली राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम राज्य ऐसे प्रशिक्षण से अपवर्जित क्यों किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई भी अपवर्जित नहीं किया जाने वाला है । कृष्यकरण की संभावना ध्यान में रखी जायगी और जहां भी हम समझेंगे कि ऐसी योजनाएं वांछनीय हैं, वह आरम्भ कर दी जायंगी ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किस प्रकार भर्ती किए जाते हैं और उन को वेतन कैसे दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि इस में सामुदायिक योजना केन्द्रों में भर्ती तथा ग्राम-स्तर कार्यकर्तागण अन्तर्ग्रस्त हैं । अधिकतर वे सरकारी नौकरी में हैं और विचार यह है कि उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाय जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं ।

अर्जेन्टाइना के साथ वस्तु विनिमय समझौता

***११३४. डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने गेहूं के साथ पटसन के विनिमय के लिए अर्जेन्टाइना की सरकार के साथ एक वस्तु विनिमय समझौता किया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस समझौते की शर्तों के अनुसार उस पटसन और गेहूं की कुल मात्रायें क्या हैं जिनके विनिमय की संभावना है?

(ग) भारत में अर्जेन्टाइना के गेहूं के प्रथम नौपण्य के पहुंचने की कब तक संभावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) अर्जेन्टा ना के गेहूं के बदले ४०,००० दशमक (मीटरिक) टन भारतीय पटसन के माल । अर्जेन्टाइना के साथ हमारे समझौते के अनुसार, दुःख है कि, वस्तु विनिमय के आधीन भारत को भेजे गए गहूं की मात्रा प्रकट नहीं की जा सकती ।

(ग) गेहूं का प्रथम नौपण्य भारत में इस वर्ष फरवरी में पहुंचा था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वस्तु विनिमय के आधीन भारतीय पटसन की कितनी मात्रा अर्जेन्टाइना को भेजी जा चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह सूचना यहां नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह गेहूं और पटसन के मालों के नौपरिवहण किस समय तक पूरे हो जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : हस्तनिक्षेप काल जनवरी से जून, १९५३ है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चालू वर्ष के लिए हमारी गेहूं की कुल आवश्यकताएं अर्जेन्टाइना से गेहूं आने पर पूरी हो जायेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : उसी सूचना को प्राप्त करने के लिए यह एक अप्रत्यक्ष प्रश्न है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संविदा की शर्तों में कोई दण्ड सम्बन्धी धाराएं हैं, किसी भी पक्ष द्वारा शर्तों को पूरा न करने की दशा में ?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे पास समझौते की प्रति नहीं है किन्तु समझौता करते समय हम लोग पूर्ण सावधानी रखते हैं ताकि हम पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहें । माननीय सदस्य को विश्वास रहे कि हम कोई त्रुटियां नहीं छोड़ते जिससे कोई गड़बड़ी हो सके ।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि गेहूं की यह मात्रा क्यों नहीं प्रकट की जा सकती ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कुछ नाजुक वार्ताएं हैं और हम को अन्य देशों से भी निपटना होता है और यह सूचना देना लोकहित में अच्छा नहीं है ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास अर्जेन्टाइना से नौवहित होने से पूर्व गेहूं की किस्म की परीक्षा करने के लिए क्या प्रबन्ध है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हमने कुछ प्रबन्ध किये हैं । मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित राजदूत तथा पदाधिकारीगण उस इशारे का ध्यान रखेंगे जो कि माननीय सदस्य ने किया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि पहले की तरह वस्तुविनिमय समाचारों के प्रकटीकरण से होने वाली क्षति को रोकने के लिए सरकार ने क्या पूर्वोपाय किए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं इस से अधिक और कुछ नहीं कह सकता कि सरकार हर पूर्वोपाय करती है ताकि कोई क्षति न हो ।

श्री बर्मन: क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि बाहर से खाद्यान्नों के हमारे आयात में, जैसे कि इस मामले में अर्जेन्टाइना से, यदि संक्रमण में कोई क्षति

होती है, तो उस क्षति को कौन सहन करता है ? क्या अभी तक किसी पक्ष द्वारा कोई क्षति मोचित की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह प्रत्येक विशिष्ट मामलें पर निर्भर होगा लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के हितों को जोखिम में नहीं पड़ने दिया जायगा अथवा ऐसे विषयों से निपटने में कोई क्षति नहीं उठानी पड़ेगी ।

केन्द्रीय नारियल समिति

***११३५. श्री पी० टी० चाको :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय नारियल समिति के कार्यसंचालन में कोई जांच की है और यदि की है तो क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या समिति द्वारा दो पणन संस्थाओं को दिए गए अनुदानों का समुचित उपयोग किया गया था ; और

(ग) क्या यह पणन संस्थाएं आजकल काम कर रही हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के संचालन में कोई जांच करने का विचार नहीं किया गया था । परन्तु उस के संचालन को सुधारने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ख) कदाचित् माननीय सदस्य ट्रैवनकोर-कोचीन राज्य में वैक्कोम तथा नरक्कल की पणन संस्थाओं के विषय में संकेत कर रहे हैं जो १९४६ में नारियल उत्पादकों के बीच सहकारी प्रयत्न की अभिवृद्धि के लिए सहकारी संस्थाओं के रूप में स्थापित की गई थीं । १९४८–४९ में भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति को यह सूचना प्राप्त हुई कि नरक्कल संस्था उसके द्वारा दिए गए अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं कर रही थी । आवश्यक अन्वेषण के उपरान्त नवम्बर १९५० में अनुदान को रोक देने का निश्चय किया गया । समान कारणों से उसी समय वैक्कोम संस्था को दिया गया अनुदान भी रोक दिया गया था ।

(ग) नारियल समिति के अनुदान के रोक दिए जाने के बाद से सरकार को इन संस्थाओं के संचालन का ज्ञान नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि गत चार वर्षों से इन दो संस्थाओं को पणन प्रयोजनों के लिए दिए गए अनुदान की कुल राशि क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे बहुत दुःख है कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं बाद में माननीयसंदस्य को दे दूंगा ।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जो इस समिति को पणन प्रयोजनों के लिए दिए गए अनुदानों के समुचित रूप से उपयोग न करने के लिए उत्तरदायी हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मुझे इस शिकायत का ज्ञान है । मुझे भय है कि मैं विस्तृत विवरण नहीं दे सकता क्योंकि यह एक कुछ वर्षों पीछे का संव्यवहार है । हम लोग सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि उस के सम्बन्ध में क्या कोई धांधली है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार के विरुद्ध यह अभियोग सामान्यतः लगाया गया है कि केन्द्रीय नारियल समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की जा रही हैं? यदि ऐसा है तो सरकार का इस मामले में क्या दृष्टिकोण है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यदा-कदा कुछ वित्तीय मंजूरियां रोक ली

गई हैं। यह एक आम शिकायत है जो समय समय पर सभी पण्य समितियों द्वारा की गई है। कृषि-मंत्रालय समितियों को सहायता पहुंचाने के लिए हर प्रयत्न करता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या केन्द्रीय नारियल समिति ने जंगलों को साफ करने तथा वहां पर नारियल को एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाने की एक योजना शुरू कर दी है ? इस की अनुमानित लागत क्या है, और क्या यह पेड़ों के विक्रय से वित्त पोषित होगी अथवा अन्य किसी प्रकार ?

डा० पी० एस० देशमुख : केन्द्रीय नारियल समिति के हाथ में अनेक योजनाएं हैं। मेरे पास वह विस्तृत विवरण नहीं हैं जो कि महिला सदस्य चाहती हैं।

श्री ए० एम० थामस: क्या मैं पूछ सकता हूं कि, चूंकि माननीय मंत्री ने केन्द्रीय नारियल समिति के विरुद्ध वह आपत्तियां अथवा शिकायत सुन ली हैं जो इस सदन में कही गई हैं,क्या वह ट्रैवनकोर-कोचीन के अपने अवेक्षित दौरे में, जो कि अगले सप्ताह में शुरू होने के लिए अनुसूचित है, समिति के विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जांच करेंगे और उन में से कुछ गवेषणा केन्द्रों का भी निरीक्षण करेंगे जो केन्द्रीय नारियल समिति द्वारा शुरू किए गए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं उस सूचना को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करूंगा जिसका सुझाव मेरे मित्र द्वारा दिया गया है।

बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो गए—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल त्रावनकोर-कोचीन के सदस्यों को एक अवसर दे रहा हूं। श्री वेलायुधन ।

श्री वेलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय नारियल समिति ने किन्हीं अन्य पण्य संस्थाओं को अनुदान दिए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे ज्ञान में नहीं।

श्री दामोदर मेनन: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे दो संस्थाएं जिन्हें अनुदान दिए गए थे अभी भी काम कर रही हैं? उन की वर्तमान दशा क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि इन संस्थाओं में हमारी रुचि तभी समाप्त हो गई जब कि एक बार हम ने अनुदान देने बन्द कर दिए। मुझे नहीं मालूम कि वे काम कर रही हैं या नहीं।

कुमारी एनी मस्करीन : आपके द्वारा दिए गए तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए .....

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे द्वारा नहीं।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या समिति को भंग करने का सरकार का कोई विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी नहीं।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, क्या हम लोग जान सकते हैं कि अनुदानों के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायत मंत्रालय में पहले कब पहुंची ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह केवल हाल की है।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि राज्य सरकार ने कुछ ऐसे व्यक्तियों की अभियुक्ति का आदेश दिया था जो इन अनुदानों के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी हैं, और बाद में नारियल समिति द्वारा किए गए कार्य के कारण किसी प्रकार वह विचार छोड़ दिया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि मैं अपने इस तरफ के माननीय सदस्य, श्री गिरि, की

नकल करूं तो मैं यह कहूंगा कि मुझ को यह सूचना माननीय सदस्य से मिल रही है ।

घी उपमिश्रण समिति का प्रतिवेदन

*११३६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री घी उपमिश्रण समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में २७ नवम्बर १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न नम्बर ७४७ के भाग (ख) के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) घी उपमिश्रण समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं;

(ख) किस सीमा तक म्यूनिसिपल्टियों तथा अन्य संस्थाओं ने घी के साथ वनस्पति के उपमिश्रण को पता चलाने के लिए बादोइन परीक्षा का प्रयोग किया है; और

(ग) वनस्पति को रंगने के लिए रंगने वाले माध्यम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कोई अन्तिम सूत्र पाया गया और स्वीकृत हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) (१) फैक्टरियों को १-४-५३ से फैक्टरी में उत्पादित वनस्पति के प्रत्येक खेप की बादोइन परीक्षा का अभिलेख रखने का निदेश दिया गया है ।

(२) प्रत्येक खेप का फैक्टरी के रसायनज्ञ द्वारा इस बारे में प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि वह आपेक्षित वादोइन परीक्षा के अनुरूप है ।

(३) राज्य सरकारों से, स्थानीय संस्थाओं को घी के वनस्पति के साथ उपमिश्रण को पता लगाने के लिए, इस परीक्षा का विस्तृत प्रयोग करने का अनुदेश देने को कहा गया है ।

(४) वनस्पति के प्रत्येक आउंस में संश्लिष्ट विटामिन 'ए' की ३०० अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयां मिलाना निश्चित किया गया है और उस के आयात के लिए प्रबन्ध पूरे किए जा रहे हैं ।

(५) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय से भारत में संश्लिष्ट विटामिन 'ए' के उत्पादन के हेतु एक संयन्त्र लगाने की संभावना पर सोच विचार करने की प्रार्थना की गई है ।

(ख) स्थानीय संस्थाओं ने जनवरी १९५२ से फरवरी १९५३ में विश्लेषण के लिए वनस्पति के लगभग १३२८ नमूने जमा किए थे । लगभग १२५ स्थानीय संस्थाओं ने उपमिश्रण को पता लगाने के लिए बादोइन परीक्षा का प्रयोग किया ।

(ग) नहीं । उपयुक्त रंग का अनुसन्धान जारी है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या घी उपमिश्रण समिति ने यह सिफारिश की थी कि सरकार को विधि द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फैक्टरियों में उत्पादित वनस्पति के प्रत्येक खेप के पास इस बात का एक प्रमाण-पत्र होना चाहिए कि वह 'बदोइन परीक्षित' था ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई विधेयक प्रारूपित किया गया है और उस को सदन के सामने रखे जाने की संभावना है ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि हर मामले में एक विधेयक आवश्यक होता है । जहां तक हमारा अनुभव है, इन अनुदेशों के होते हुए, जो फैक्टरियों पर आदिष्ट किए जा रहे हैं, चीजें संतोषपूर्वक काम कर रही हैं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, यह देखने के लिए कि समिति की सिफारिश के अनुसार वनस्पति को

संश्लिष्ट विटामिन 'ए' से सुरक्षित कर देना चाहिए ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । यह कार्यवाहियां की गई हैं ।

सेठ गोविन्द दास : वनस्पति को रंग देने के लिए रंग की तलाश कितने दिनों से हो रही है और जब कि विज्ञान एटम बम तक की खोज कर सका है तो क्या रंग की खोज इतने दिनों तक नहीं हो सकी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह खोज तो बहुत दिनों से हो रही है, मगर अब तक कोई रंग नहीं मिला । अगर आनरेबिल मेम्बर साहब कुछ मदद कर सकते हों तो सरकार उन का शुक्रिया अदा करेगी ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जहां तक गो सेवक समाज का सम्बन्ध है, वहां तक इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव सरकार को भेजे गये हैं और उन को कई रंग भी सुझाये गये हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख: मगर वह रंग ऐसे हैं जो वनस्पति को गरम करने के बाद नहीं रह जाते हैं ।

डा० जयसूर्य : क्या माननीय मंत्री को पता है कि विटामिन 'ए' गरम करने से नष्ट हो जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री दाभी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इस सदन के अनेक सदस्य इस प्रश्न को गंभीर दृष्टि से देखते हैं. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब प्रस्तावना किस लिए ?

श्री दाभी : क्या सरकार ने सदन को घी उपमिश्रण समिति के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने के लिए एक अवसर देने की परामृश्यता पर सोचा है ?

उपाध्यक्ष महोदय: अनेक बार इस पर वाद विवाद हो चुका है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या माननीय मंत्री ऐसा कोई स्थान जानतें हैं जहां, दिल्ली में अथवा बाहर, विशुद्ध घी उपलब्ध है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं नहीं जानता । परन्तु मुझे विश्वास है कि ऐसे अनेक स्थान होंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि चूंकि रंग का पता लगाना इतना मुश्किल रहा है और अब भी है इसलिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कि देश भर की प्रतिनिधात्मक संस्था है एक प्रस्ताव पास किया था कि इस का जमाना बन्द कर दिया जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रश्न नहीं समझा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि चूंकि रंग का पता लगाना कठिन है इसलिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया था कि वनस्पति का जमाना अर्थात् हाइड्रोजेनेशन बन्द कर दिया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम लोग वनस्पति पर सामान्य वाद विवाद कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसे कई सुझाव कई मेम्बरों ने भी दिये हैं, मगर देश के लिये यह अच्छा नहीं होगा ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि वनस्पति में ऐसा कोई रंग डालने का ताकि उसका जायका न बिगड़े कोई प्रयोग चल रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा मैं ने अभी बतलाया काफी समय से चल रहा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह दुरुस्त नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट के और बम्बई गवर्नमेंट के माहिरों ने दो रंगों को पसन्द किया और उन को दोनों गवर्नमेंटों ने पास भी कर दिया, लेकिन ताहम हमारी गवर्नमेंट ने बिला जांच किये हुए सारी की सारी तजवीज को नापसन्द कर दिया ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि आनरेबिल मेम्बर का यह ख्याल दुरुस्त है कि मैं ने अच्छा रंग होते हुए भी उस को नापसन्द कर दिया ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में कहीं भी अन-एडल्टरेटेड घी नहीं मिलता, और अगर मालम है तो उसका क्या उपाय किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का उपाय तो हिन्दुस्तान का मोराल ही सुधारना है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस नई प्रथा के अनुसार कितने घी मिलाने के केस पकड़े गये और उनमें से कितनों पर ऐक्शन लिया गया ।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इस की इत्तला नहीं है ।

चीनी क कारखानों के मालिकों के विरुद्ध शिकायतें

११३७. **श्री जसानी** : (क) क्या खा॰ तथा कृषि मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या सरकार को चीनी के कारखानों के मालिकों के विरुद्ध ऊंचे मूल्य मांगने के विषय में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) इस मामले में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : ऊंचे मूल्य मांगने के विषय में किसी भी चीनी-कारखाने के विरुद्ध कोई स्पष्ट शिकायतें नहीं प्राप्त हुई थीं । प्राप्त शिकायतें केवल सामान्य प्रकार की थीं, जैसे कि, चीनी नियंत्रित दरों पर उपलब्ध नहीं थी । स्टाकों की उपलब्धता के आधीन निर्दिष्ट मिलों से सम्बद्ध पक्षों को नियंत्रित दरों पर चीनी की अपेक्षित मात्राएं दे दी गई थीं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह तथ्य है कि अभी केवल थोड़ी देर पहले मिल मालिकों ने कहा था कि उन के पास चीनी का अतिरिक्त स्टाक था ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां । यह एक प्रकट तथ्य है कि देश में अतिरिक्त स्टाक उपलब्ध हैं ।

श्री झुनझुनवाला : क्या यह तथ्य है कि चीनी की पर्य्याप्त छूट की कमी के कारण चीनी का मूल्य बढ़ गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं , मैं समझता हूं कि सदन में परिस्थिति के बारे में अनेक बार स्पष्टीकरण दिया जा चुका है । स्कन्ध-धारी मूल्यों के गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे और इसलिए वे उन स्कन्धों को लेने के लिए तैयार नहीं थे जो अधिक मूल्य वाले थे ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि आधिक्य था तब चीनी के उपलब्ध न होने का क्या कारण था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने अभी अभी उल्लेख किया है कि दो मूल्य थे । पहले का मूल्य अधिक था; वह मूल्य जिस की बाद में स्थिर होने की आशा थी कम होने जा रहा था । अतः सभी स्कन्ध-धारियों ने अपने को बचाने के लिए, वे स्कन्ध नहीं प्राप्त किए जो अधिक मूल्य वाले थे और मूल्य के घट जाने की प्रतीक्षा करते रहे । यही कारण था कि स्कन्ध-धारियों के पास कम स्कन्ध था ।

श्री वी० पी० नायर : मंत्री ने कहा कि काफी स्कन्ध था । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता

हूं कि चीनी के संचित स्कन्ध के सम्बन्ध में आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मेरे पास वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। लेकिन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, १ जनवरी को इस वर्ष का स्कन्ध चीनी-उद्योग के इतिहास में किसी भी समय से कहीं अधिक बड़ा था।

श्री मुहीउद्दीन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि लगभग तीन मास पूर्व यह प्रतिवेदित किया गया था कि जब कारखानों से सरकार ने स्कन्धों को मुक्त किया तब कारखाने के मालिकों ने स्कन्धों को अपने निजी नामों में खरीद लिया और मूल्यों को बढ़ाने के इरादे से अपसंग्रहीत रखा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री जसानी : माननीय मंत्री ने कहा कि चीनी नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि नियंत्रित मूल्यों पर चीनी के न पाने के क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं प्रश्न का आशय समझने में असमर्थ हूं।

श्री जसानी : उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें थीं कि चीनी नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि नियंत्रित मूल्यों पर चीनी के न पाने के क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं ने नियंत्रित मूल्य की ओर निर्देश नहीं किया था। मैं ने केवल दो मूल्यों के बीच अन्तरों तथा नई उत्पादित चीनी के कारण कम मूल्यों के स्थिर रहने की संभावना की ओर निर्देश किया था।

सुपारी के लिए अनुसन्धान प्रयोगशाला

***११३८. श्री सी० आर० इय्यून्नी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सुपारी के लिए अनुसन्धान प्रयोगशाला शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो वह कहां पर स्थापित किया जायेगा और निश्चित स्थान पर स्थापित करने के लिए क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जायेगी।

श्री सी० आर० इय्यून्नी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन एक ऐसा स्थान है जहां किसी दूसरे स्थान की अपेक्षा सुपारी अधिक पैदा होती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, ऐसा हो सकता है किन्तु मुझे वास्तव में इस का पूर्ण निश्चय नहीं है। लेकिन वह प्रमुख राज्यों में से एक है।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार इस तथ्य पर विचार करेगी कि वे समस्याएं जो प्रभावित करती हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्री सी० आर० इय्यून्नी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में किसी भी अन्य राज्य से सुपारी के उत्पादन की लागत कहीं अधिक है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह हो सकता है।

श्री श्रीकान्तन नायर : भारत में वे कौन से राज्य हैं जहां सुपारी उत्पादित होती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र यह बात भली प्रकार जानते हैं ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसन्धान केन्द्र को स्थापित करने में त्रावनकोर-कोचीन की स्थिति का विचार किया जायगा चूंकि वहां पर अधिक मात्रा में पैदा होने वाली सुपारियां आसानी से नाशक कीटों तथा अन्य बीमारियों द्वारा प्रभावित हो जाती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस सुझाव का ध्यान रखूंगा ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं वे स्थान जान सकता हूं जो कि सरकार द्वारा अब इस अनुसन्धान प्रयोगशाला के स्थापन के लिए उपयुक्त समझे जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे भय है कि यह सूचना यहां मेरे पास नहीं है ।

श्री सी० आर० इय्यून्नी : श्रीमान्, क्या मैं जान कता हूं कि वे कौन से विचार हैं जो कि अनुसन्धान संस्था के स्थापन के स्थान को निश्चित करने के लिए सरकार को प्रभावित करेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्पष्टतः, स्थान की उपयुक्तता ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सुपारी समिति ने अपनी पिछली बैठक में अनुसन्धान केन्द्र के स्थापन पर विचार किया था और, यदि ऐसा था तो उस की सिफारिश क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख :मुझे भय है कि मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि वे अनुसन्धान कार्य के विषय क्या हैं जो कि तत्काल शुरू किए जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन का उल्लेख बहुत विस्तृत हो जायेगा ।

श्री पी० टी० चाको : चूंकि समस्यायें समान हैं अतः क्यों न नारियल अनुसन्धान के लिए काम में लाई जाने वाली प्रयोगशाला सुपारी अनुसन्धान के लिए भी प्रयोग में लाई जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सुझाव पर भी ध्यान रखा जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् क्या यह तथ्य नहीं है कि उसी सचिव के आधीन नारियल समिति के साथ ही साथ सुपारी समिति भी काम कर रही थी ? और क्या नारियल समिति की प्रयोगशाला में अनुसन्धान नहीं किया गया था ? क्या मैं जान सकता हूं कि उसी प्रयोगशाला में काम न चलाने में क्या कठिनाई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह भी कुल मिला कर वही सुझाव हो जाता है । उस पर भी समुचित विचार किया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सुपारी में पानी नहीं होता जबकि नारियल में पानी होता है ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल यातायात मण्डली

*११४०. **श्री धूसिया** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-यातायात मण्डली की कितनी बैठकें हुई हैं ?

(ख) क्या सदस्यगण किसी परिणाम पर पहुंचे हैं और यदि ऐसा है तो किस पर ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) दो ।

(ख) यह मण्डली एक स्थायी निकाय है और उस ने गंगा-ब्रह्मपुत्र व्यवस्थाओं पर

नौपरिवहन के सुधार से सम्बंधित अनेक प्राथमिक समस्याओं पर विचार किया है। अब तक मण्डली की सब से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि उसी के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र शिल्पिक सहायता प्रशासन के सहयोग से भारत में नदियों के छिछले विस्तारों पर बोझ ढोने वाली बड़ी नावों को रस्सा बांध कर खींचने के लिए कम गहराई के खिचानों के प्रयोग करने की संभाव्यता की परीक्षा करने के लिए एक अग्रगामी प्रदर्शन योजना संचालित की जानी चाहिए।

श्री धूसिया: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उस के सदस्यगण कौन हैं और उन में से कितने सरकारी नौकर हैं?

श्री शाहनवाज खां: समिति में एक सभापति .....

उपाध्यक्ष महोदय: कितने सदस्यगण?

श्री शाहनवाज खां: पांच सदस्य।

श्री धूसिया: उन में से कितने सरकारी नौकर हैं?

श्री शाहनवाज खां: श्रीमान्, पांचों।

श्री जयपाल सिंह: क्या हम जान सकते हैं कि क्या यह मण्डली समुद्र-भूमि विमान से सरकार द्वारा उठाए गए लाभों का पूरा लाभ उठा रही है?

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न क्या है?

श्री जयपाल सिंह: क्या यह मण्डली सरकार द्वारा उठाए गए समुद्र भूमि विमान के स्थल-जल गमन सम्बन्धी लाभों का पूरा उपयोग कर रही है?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): मुझे खेद है कि मैं प्रश्न नहीं समझ सका हूं।

श्री जयपाल सिंह: श्रीमान, कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने आश्चर्यजनक स्थल-जलचारी समुद्र-भूमि विमान के सम्बन्ध में बहुत बातचीत की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विशिष्ट बोर्ड ने सरकार द्वारा किए गए दावों से पूरा पूरा लाभ उठाया है?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य किस बात का निर्देश कर रहे हैं?

श्री जयपाल सिंह: माननीय रक्षा उप-मंत्री द्वारा मुझे बतलाया गया था कि यह अद्भुत विमान प्रशान्त जलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है आदि, और मेरा विचार था कि यह .....

श्री शाहनवाज खां: यह मूलतः रक्षा कार्यों के लिए अभिप्रेत है, यातायात के लिए नहीं।

उत्तर पूर्वी रेलवे के लिये सवारी डिब्बे

*११४१. **श्री बी० एन० राय**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष १९५३–५४ में उ० पू० रेलवे पर नए प्रकारों के डिब्बों को काम में लाने का विचार कर रही है;

(ख) वर्तमान समय में उस रेलवे पर प्रतिस्थापन के लिए कितने नए सवारी डिब्बों की आवश्यकता है; और

(ग) क्या उन को गोरखपुर के रेलवे वर्कशाप में निर्मित करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) उत्तर पूर्वी रेलवे की सवारी गाड़ियों पर प्रतिस्थापन-परिशेष लगभग ९५० अनुमानित किए जाते हैं, लेकिन इन में से बहुत से कुछ वर्षों के लिए सेवा में चालू रहने के लिए अच्छी दशा में हैं।

(ग) जी हां । गोरखपुर के वर्कशाप पहले से अधिक सवारी डिब्बे बनाने के लिए पुनर्निर्मित किए जा रहे हैं ।

श्री बी० एन० राय: श्रीमान् , क्या मैं उन सवारी डिब्बों की प्रतिशतता जान सकता हूं जो कि वर्कशाप को मरम्मत के लिए भेजे जाने चाहिये थे और जो इस प्रकार भेजे नहीं गए हैं ?

श्री शाहनवाज खां: वे सभी सवारी डिब्बे जो कि संतोषजनक चालू दशा में होते हैं कर्मशालाओं को मरम्मत के लिए नहीं भेजे जाते हैं और वे जिन में मरम्मत की आवश्यकता होती है वर्कशाप को भेजे जाते हैं।

श्री धूसिया : श्रीमान्, इन सवारी डिब्बों की संख्या क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नए सवारी डिब्बे अथवा पुराने डिब्बे ?

श्री धूसिया : मैं उन सवारी डिब्बों की संख्या जानना चाहता हूं जो भेज दिए गए हैं और उनकी संख्या जो नहीं भेजे गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यत: नए सवारी डिब्बे नहीं भेजे जाते हैं और पुराने सवारी डिब्बे भेजे जाते हैं । क्या माननीय सदस्य नए सवारी डिब्बों को भी भिजवाना चाहते हैं ?

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार भारत में सवारी डिब्बे बनाने के लिए बर्मा से इमारती लकड़ी खरीदने का विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां: मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी: सवारी डिब्बे उत्पादित करने के लिए गोरखपुर वर्कशाप की सामर्थ्य क्या है ?

श्री शाहनवाज खां: उत्पादन सामर्थ्य ७२ सवारी डिब्बे प्रति वर्ष है । लेकिन हम आशा करते हैं कि वर्ष १९५५–५६ तक यह १०० डिब्बों तक बढ़ाई जा सकती है ।

श्री बर्मन : श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि इस रेलवे पर कुछ सवारी डिब्बे बिलकुल रद्दी हैं और उनकी छतें टपकने वाली हैं ? माननीय मंत्री ने कहा है कि ३१ मार्च १९५३ तक ९५० ऐसे सवारी डिब्बे थे जिनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी लेकिन, उन में से कुछ कुछ वर्षों के लिए काम में लाए जा सकेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से कितने, वर्ष १९५३–५४ में प्रतिस्थापित किए जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हूं कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : उन को प्रश्न के केवल क्रियाकारी भाग का उत्तर देना चाहिए, जो कि यह है कि १९५३ में कितने नए सवारी डिब्बे चलाए जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : हमें १०१ सवारी डिब्बे प्राप्त हो चुके हैं और कुछ और आ रहे हैं । इस वर्ष हम जर्मन कारखानों से आए हुए १८६ नए सवारी डिब्बे उस लाइन पर चलाने की आशा करते हैं और जेसप एण्ड कं० जो एक अंग्रेजी फ़र्म है और कुल २४६ सवारी डिब्बे बना रही है, से आए हुए और ६० सवारी डिब्बे हम इस वर्ष के अन्त में चलाने की आशा करते हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि एक निश्चित समय होता है जिस के अन्दर एक सवारी डिब्बे को वर्कशाप में मरम्मत के लिए जाना होता है, और क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों बहुत से सवारी डिब्बे अनुसूचित समय में मरम्मत के लिए वर्कशाप को नहीं भेजे गए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न निर्माण के सम्बन्ध में है, मरम्मतों के बारे में नहीं ।

श्री सरमा: उन सवारी डिब्बों की क्या संख्या है जो कि छोटी लाइन पर चलाए जाने वाले हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): क्या आप का तात्पर्य देश भर में रेलों की छोटी लाइन में सवारी डिब्बों की कुल संख्या से है ?

श्री सरमा: आसाम में केवल छोटी लाइन ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का सम्बन्ध उत्तर पूर्वी रेलवे से है । जो कुछ भी तथ्यों तथा आंकड़ों से सम्बन्ध रखता है वह एक पृथक् प्रश्न पूछ कर प्राप्त किया जा सकता है ।

परशियन गल्फ जापान कानफ्रेन्स

*११४२. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि कराची में "परशियन गल्फ जापान कान्फ्रेन्स" संगठित हुई है;

(ख) क्या इस संगठन के अन्तर्गत जलपोत भारतीय तटवर्ती व्यापार में भी भाग लेंगे; तथा

(ग) क्या कुछ जहाजी कम्पनियां इस संगठन की सदस्य हैं । और क्या वे भारतीय तटवर्ती व्यापार में भी भाग लेंगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) सरकार ने वे प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जो कि एक जापान परशियन गल्फ नौवहन कान्फ्रेंस के संगठन के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई हैं परन्तु इसके अतिरिक्त इस विषय में उन के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). नहीं । भारतीय तटवर्ती व्यापार भारतीय नौवहन के लिए सुरक्षित किया गया है और किसी विदेशी नौवहन कम्पनी को उस व्यापार में भाग लेने के लिए अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह: कितनी लाइन्स इस सरविस में वर्क करेंगी और बम्बई और हिन्दुस्तान के जो दीगर पोर्ट हैं वहां पर आवेंगी या नहीं क्या यह बात मालूम है ? इस कानफ्रेंस में जो बात तय हुई है वह यह हुई है कि दस लाइन्स इस में वर्क करेंगी और वह बम्बई और हिन्दुस्तान के जो पोर्टस हैं उन में आवेंगी, तो इस सम्बन्ध में कोई सलाह भारत सरकार से ली गई है या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां: इस सिलसिले में सरकारी तौर पर भारत सरकार को कोई इल्म नहीं है और हमने भी वही अखबार की खबर पढ़ी है जो मेरे आनरेबिल दोस्त ने पढ़ी है ।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या इस में जांच करने की आप कोई कोशिश करेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): यह जहाज अगर हिन्दोस्तान के पोर्ट पर आना चाहे तो उस में तो किसी तरह की रुकावट नहीं हो सकती, किसी फारेन गवर्नमेन्ट के लिए बन्धन नहीं है । लेकिन वह हमारी कोस्टल शिपिंग में हिस्सा ले सकें इस बात के लिये उन्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय कम्पनियों को तटवर्ती नौवहन के लिए दिए गए एकाधिपत्य का परिणाम तटवर्ती नौवहन के लिए असाधारण ऊंचे वस्तुभाड़े हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : भारतीय जहाज मालिकों की संस्था अथवा अन्य किसी संगठन द्वारा हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस नौवहन के लिए वस्तु

भाड़ा के नियतीकरण में सरकार को भी सम्मिलित किया जाता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: नहीं । यह नौवहन कम्पनी का कार्य है ।

दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे

*११४३. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बृहत्तर दिल्ली बनाने वाले विस्थापित व्यक्तियों के विभिन्न उपनगरों को मिलाने के लिए दिल्ली के चारों ओर एक वृत्ताकार रेलवे की अपनी योजना छोड़ दी है;

(ख) यदि ऐसा है तो किन महत्वपूर्ण विचारों ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया;

(ग) इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने और कौन से अन्य विकल्प सोचे हैं; और

(घ) उन के कार्यान्वित होने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). रेल मंत्रालय ने विस्थापित व्यक्तियों के विभिन्न उपनगरों को मिलाने के लिए दिल्ली के चारों ओर एक वृत्ताकार रेलवे के लिए कोई योजना नहीं बनाई है और इसलिए छोड़ देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: दिल्ली की बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए क्या सरकार ने यह जरूरी नहीं समझा कि यहां पर भी रेल की सुविधा देनी चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय: वह ऐसी एक रेल के निर्माण की आवश्यकता पर बहस कर रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: जी नहीं । मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं.।

दिल्ली के आसपास रेलवे बनाने के लिये सरकार ने कोई नाप जोख या कोई जांच पड़ताल की है या कराने की कोशिश कराई जा रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां: न की है और न कोशिश की जा रही है ।

श्री रघुरामय्या: दिल्ली के महत्व को और उस के द्रुत विस्तार को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि, क्या सरकार के पास दिल्ली के विभिन्न भागों को मिलाने वाली, वृत्ताकार नहीं, वरन् एक सीधी रेल अधिमान्य रूप से धरती के नीचे अथवा धरती के ऊपर चलने वाली बिजली की रेल बनाने के लिए कोई योजना है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री रघुरामय्या: जी नहीं । क्या उन के पास एक सीधी रेल के लिए कोई योजना है ?

श्री शाहनवाज़ खां: नहीं ।

श्री राधा रमण: अगर कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट के ख्याल में नहीं थी तो क्या कोई और तजबीज या ऐसा प्रस्ताव जिस पर आपस में बहस हुई हो ख्याल में लाया गया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): एक जमाना हुआ जब शायद इस बात पर गौर हुआ था कि दिल्ली में एक सरक्युलर रेलवे बनाई जाय । मगर वह बात एक कमेटी के दरजे तक ही रही, उस से आगे नहीं गयी और इस वक्त मुनासिब यही मालूम होता है कि सरक्युलर रेलवे दिल्ली के लिये फ़ायदेमन्द नहीं होगी, क्योंकि उस में फैलाव के लिये,

ऐक्सपन्शन के लिये, जगह नहीं होगी । इस वक्त खयाल यही है कि हम बस सरविस, ट्रांसपोर्ट सर्विस को बढ़ावें और हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि ४०० बसें हमारी डी० टी० एस० में चलने लगें तो यह काम बहुत आसानी से चल सकेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि ४०० बसों के मुकाबले में जो रेलवे निकाली जायगी तो उस पर ज्यादा खर्चा होगा, पैट्रोल वगैरह सब का ख्याल कर के ज्यादा खर्चा होगा ?

श्री शाहनवाज खां : हां, साहब, उस से बहुत ज्यादा होगा, छः गुना ज्यादा होगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जो अगला प्लान बनेगा, पंच वर्षीय योजना बनगी, उस में इस पर विचार करेंगे ?

श्री राधा रमण : क्या मैं मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि कलकत्ते में जो सरक्युलर रेलवे बनाने की आयोजना थी वह हाथ में है और उस की वजह से इस रेलवे के विचार को स्थगित कर दिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं, कलकत्ते की सरक्यूलर रेलवे के साथ इस का कोई ताल्लुक नहीं है । एक सेंट्रल कोआर्डिनेशन कमेटी वर्क्स, माइन्स, पावर मिनिस्ट्री के तहत में बनी थी । उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि सरक्युलर रेलवे की दिल्ली में ज़रूरत नहीं है और दिल्ली की ट्रांसपोर्ट प्राबलम को हल करने के लिये पहले तो बस सरविस में बसों की तादाद ४०० तक बढ़ाई जाय और फिर ट्राली इलैक्ट्रिक बसों के तौर पर चलाई जाय ।

श्री राधा रमण : क्या मैं मंत्री जी से यह पता लगा सकता हूं कि उन की यह योजना ४०० बसों की दिल्ली के चारों तरफ ट्रांसपोर्टेशन के सवाल को हल करने के लिये कब तक पूरी हो जावेंगी ।

श्री शाहनवाज खां : यह जो तहक़ीक़ात की गयी है उस से पता चला है कि ४०० बसें चलाने से दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट प्राबलम है हल हो सकती है ।

खाद्यान्न की फसलों के उत्पादन की लागत

*११४४. **श्री मादिया गौडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी खाद्यान्न की फसल के उत्पादन की लागत की जांच की गई है; और

(ख) यदि कोई जांच नहीं की गई है तो क्या उस के लिए कोई कारण दिए जा सकते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) कुछ अग्रगामी परिमापों के लिए छोड़ कर, भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई उत्पादन की लागत की जांच नहीं की गई है ।

(ख) मैं सदन पटल पर एक नोट रखता हूं जिस में दिखाया गया है क्या प्रयत्न किया गया है और क्या कठिनाइयां रही हैं । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९]**

श्री मादिया गौडा : सदन पटल पर रखे हुए विवरण से मुझे पता चलता है कि १९४४ से अनेक टुकड़ों में योजनाएं बनाई गई थीं और उन में से कोई भी सफल न थी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब सरकार एक उत्पादन की लागत की जांच के लिए एक व्यापक योजना सूत्रित करना और उस को कार्यान्वित करना अपने लिए सम्भव समझती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नोट में हमारे सामने आने वाली सभी कठिनाइयों का उल्लेख है । इतने विशाल स्तर पर इस कार्य को शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री मादिया गौडा : धान, ज्वार, गेहूं, रागी आदि जैसी मुख्य फसलों के सम्बन्ध में भी किसी निश्चित उत्पादन-लागत जांच के अभाव में खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी नीतियां सूत्रित करने के लिए अब सरकार के पास क्या आधार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जब तक, केवल भारत सरकार द्वारा ही भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् योजना के आधीन अनेक प्रयत्न नहीं किए जाते हैं वरन् राज्य सरकारों की भी अपनी योजनाएं हैं, और हमारे सामने एक लगभग अनुमान होता है जो मूल्यों के नियत करने और नीतियां निर्धारित करने में हमारा पथ निर्देश करता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि उत्पादन लागत आंकड़ों के अभाव में किस आधार पर खाद्यान्नों के समाहार मूल्य निर्धारित किए गए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : उत्पादन-लागत का सर्वथा अभाव नहीं है । जैसा कि मैं ने कहा, एक लगभग उत्पादन-लागत होती है जिस के अनुसार हम चलते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि वह किस प्रकार निकाली गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं उस को निकालने की विधि का वर्णन नहीं कर सकता ।

श्री शिवननजप्पा : क्या इस प्रकार का कोई परिमाप वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन के पीछे के माननीय सदस्य, श्री चिनारिया ।

श्री चिनारिया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा संचालित प्रदर्शन फार्म इस लागत पर पहुंचने में सहायता कर सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । उन की गणनाओं पर अक्सर ध्यान दिया जाता है ।

श्री धुलेकर : आपने कहा कि जो स्टेटमेंट रक्खा है उस में बहुत सी कठिनाइयां हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि उस इनक्वायरी के लिए खासकर कठिनाइयां क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरसरी तौर पर तो मैं बहुत सारी बतला सकता हूं । एक तो यह है कि हर एक फील्ड और काश्तकार काश्तकार में बहुत फर्क है, एक फील्ड के लिये जो कंडीशन्स हैं वह दूसरी फील्ड के लिये नहीं मिलतीं इस तरह की काफी दिक्कतें हमारे सामने पेश हैं ।

श्री अच्युतन : क्या हम यह समझें कि उत्पादन-लागत को निश्चित करने के लिए साधनों की कमी होते हुए भी, उड़ीसा, मध्य-भारत तथा कुछ अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में धान का समाहार मूल्य दुगना है क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश को करारोपित करता है और उड़ीसा बेचारे उड़ीसा को।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी उपक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । सीधे प्रश्न पूछे जायं और सूचना प्राप्त की जाय ।

डा० पी० एस० देशमुख : केवल उत्पादन-लागत निर्णयकारी अंग नहीं है । समाहार मूल्य नियत करने के लिए हमें अन्य बातों का भी ध्यान रखना होता है--मितव्ययता तथा राज्य सरकारों की सिफारिशों सहित ।

रेलों पर दावों का अपाकरण

*११४५. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन रेलवे रसीदों पर दावों को अपाकृत करने के लिए क्या कार्यवाहियां की हैं जिन के सम्बन्ध में विभाजन के बाद पश्चिम पाकिस्तान

से माल परिवहित होने के लिए स्वीकृत नहीं थे और प्रेषण प्राप्त-कर्ताओं द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे ?

(ख) ऐसे दावों का कुल मूल्य क्या था ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को इस प्रस्ताव पर राज़ी करने के हेतु हर प्रयत्न किया गया था, कि उस अधिराज्य को, जिस में नागरिक अधिकारियों के आदेशों के आधीन प्रेषण रोक लिए गए थे, ऐसे निरोधों से उत्पन्न होने वाले दावों का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। पाकिस्तान सरकार इस प्रस्ताव पर राज़ी नहीं हुई और ऐसे प्रेषणों को निष्क्राम्य सम्पत्ति मान लिया। चूंकि पाकिस्तान सरकार द्वारा वैधानिक शक्तियों को प्रयोग के कारण संविद प्रतिपत्ति असंभव हो गई है, अतः ऐसी दशा में भारतीय रेलवे किसी भी क्षति-पूर्ति के भुगतान करने की भागी नहीं हैं।

(ख) सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि बहुत से मामलों में दावेदारों द्वारा दावों के आर्थिक मूल्य उल्लिखित नहीं किए गए थे।

श्री के० सी० सोधिया : क्या पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की कोई शिकायतें थीं ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

बर्मा से चावल का आयात

*११४९. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बर्मा सरकार के साथ चावल की पूर्ति के लिए होने वाली बातचीतें पूर्ण हो गई हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो, वह मात्रा और वह मूल्य जिस पर १९५३ में भारत बर्मा सरकार से चावल पाने को है;

(ग) क्या वस्तु विनिमय व्यवस्था पर अधिक चावल की पूर्ति के लिए कोई बातचीतें चल रही थीं; और

(घ) यदि ऐसा था तो चावल की वह मात्रा जिस के लिए ऐसी बातचीतें चल रही थीं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० शमुख) (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). एक वस्तु विनिमय सौदे के लिए बातचीतों की अप्रैल के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

श्री के० पी० सिन्हा : चावल के विनिमय में हमें किन वस्तुओं की पूर्ति करनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : तथ्य तो यह है कि अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं की गई है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि कौन सी वस्तुएं विनियमित की जायेंगी।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

उत्तर बिहार में ओलों की वर्षा सहित तूफान

श्री एस० एन० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि पन्द्रह वर्षों में घोरतम ओलों की वर्षा सहित तूफान उत्तर बिहार के एक बहुत विस्तृत भाग विशेषकर दरभंगा के जिले पर आया था जिस के फलस्वरूप उस क्षेत्र की रबी की खड़ी फसलों, आम और लीची की फसलों को क्षति पहुंची; और

(ख) यदि ऐसा था तो प्रभावित गांवों की कुल संख्या और विभिन्न फसलों को पहुंची हुई क्षति का विस्तार क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) उत्तर बिहार के एक विशाल भाग से गेहूं, आम और लीची की फसलों को क्षति पहुंचाने वाले ओलों की वर्षा सहित तूफान से हुई क्षति की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(ख) क्षति काफी अधिक थी लेकिन बिलकुल ठीक प्रभावित क्षेत्र बताना संभव नहीं है ।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि ओलों की वर्षा सहित तूफान के बाद एक धूल का तूफान आया था जिस से और अधिक क्षति हुई ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, मुझे भय है कि मुझ को दी गई सूचना में धूल के तूफान की अभी तक चर्चा नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या मृत्यु की कोई सूचना है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे ज्ञान में नहीं ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि फलों की फसलों के अतिरिक्त रबी की फसल को भी क्षति पहुंची थी ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, मेरी सूचना के अनुसार अधिकतर रबी की फसल कट चुकी है लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं की फसल को काफी क्षति पहुंची थी ।

श्री एस० सी० देव: क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या असाम राज्य में ऐसे तूफानों ने किन्हीं फसलों को क्षति पहुंचाई अथवा उससे जानें गई ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह प्रश्न बिहार को निर्देश करता है । मुझे आसाम के विषय में कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि मज़दूरों की भारी संख्या, जो रबी की फसल काट कर अपना पेट भरते थे, बेकार हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, २०,००० रुपए की एक राशि बिहार सरकार द्वारा उस प्रकार के मामलों के लिए निष्कारण सहायता के लिए दी गई है जिनका उल्लेख मेरे माननीय मित्र द्वारा किया गया है ।

डा० एम० एम० दास: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ऐसे ओलों की वर्षा सहित तूफानों के पुनर्घटित होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: इसके उपचार का सुझाव देना मैं माननीय सदस्य पर छोड़ता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें

***११३९. श्री संगण्णा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में जगतपुर से केन्द्रपारा और बहरामपुर से रशलकोंडा तक नई रेलवे लाइनें निर्मित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या यह दो योजनाएं अगले तीन वर्षों में शुरू कर दी जायेंगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में नई रेलवे लाइनें

***११४६. प्रो० डी० सी० शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेलवे लाइनें बनाकर मुकरैन को होशियारपुर से और अमृतसर को फीरोज़पुर से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि ऐसा है तो वह समय जब तक यह प्रस्ताव कार्यान्वित होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शानहवाज खां): (क) नहीं।

(ख) हां ।

(ग) इन पर तब तक विचार नहीं होगा जब तक कि उन योजनाओं से निपट नहीं लिया जाता जिन्हें उच्चतर अग्रिमता दी गई है । दुःख है कि अभी यह बताना संभव नहीं है कि यदि और कब ये दो प्रस्ताव आगे बढ़ाए जायेंगे ।

सिसवा-बाज़ार (उत्तर प्रदेश) के लिए टेलीफोन के कनेक्शन

*११४७. **श्री एच० एस० प्रसाद:** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सिसवा बाज़ार में बहुत से आदमियों ने टेलीफोन कनेक्शन पाने के लिए रुपए जमा कर दिए हैं; और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उन को वर्ष १९५३ में टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां । एक्सचेंज की प्रतिष्ठापना ३० मार्च १९५३ को पूर्ण हो गई थी।

(ख) जी हां, मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ ही दिनों में यदि उन्हें दिए नहीं जा चुके हैं तो ।

भूतपूर्व आसाम रलवे पर अत्यधिक भीड़

*११४८. **श्री बी० वाई० रेड्डी:** क्या **रेल** मंत्री कृपाकर अपने १९५३–५४ के लिए रेलवे आय व्ययक को उपस्थित करने वाले भाषण की ओर निर्देश करेंगे और बतलायेंगे :

(क) क्या उत्तर पूर्वीय रेलवे के भूतपूर्व आसाम रेलवे खण्ड पर यात्रा की दशाओं तथा यात्रियों की सुविधाओं का अध्ययन करने वाली उच्च रेलवे अधिकारियों की तदर्थ विभागीय समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार करती है;

(ग) उस क्षेत्र में गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(घ) उस क्षेत्र में कितनी अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का सरकार विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) अभी तक नहीं ।

(ख) सदन पटल पर रिपोर्ट को रखने के प्रश्न पर, उस के प्राप्त होने तथा उस पर विचार हो जाने के उपरांत, विचार किया जायगा ।

(ग) और (घ) पत्री वर्ष १९५२ में उत्तर पूर्वीय रेलवे के भूतपूर्व आसाम रेलवे खण्ड पर १४ नई गाड़ियां चलाई गई थीं और दो वर्तमान गाड़ियों की यात्रायें बढ़ा दी गई थीं । अभी लखनऊ और आगरा किला के बीच चलने वाली एक गाड़ी को बढ़ाकर आगरा किला और अमीन गांव के बीच एक सीधे रेलमार्ग की व्यवस्था भी विचाराधीन है । आगे की कार्यवाही पर, प्रश्न के भाग (क) के

अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा निर्देश की गई रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, विचार किया जायगा ।

राजकीय कर्मचारी बीमा योजना

*११५०. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के किसी भी नगर में राजकीय कर्मचारी बीमा की योजना को लागू करने का क्या कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि ऐसा है तो कब और कहां ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) राजकीय कर्मचारी बीमा योजना की, मई १९५३ में अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, अम्बाला और भिवानी के नगरों में, अभिपूर्ति करने की आशा है, और यदि राज्य सरकार द्वारा डाक्टरी देखभाल के प्रबन्ध पूरे किए जा सकते हैं तो बटाला और अब्दुल्लापुर में भी ।

"कागज़ी लाइन-क्लियर" व्यवस्था

*८४७. **श्री कंदासामी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जानती है कि तार द्वारा "कागज़ी लाइन-क्लियर" व्यवस्था जो अनेक रेलवे लाइनों पर काम में आ रही है, एक दोषपूर्ण और खतरनाक व्यवस्था है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या रेलवे प्रशासन ने इस व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने के हेतु कोई कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं, बशर्ते कि वह स्थायी नियमों और विनियमनों के अनुसार चलाई जाती है ।

(ख) यह व्यवस्था आम तौर पर कम यातायात और कम गतियों के खण्डों में प्रचलित है किन्तु एक कार्यक्रम के आधार पर यह और प्रगतिशील व्यवस्थाओं द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही है ।

त्रिपुरा मे मीन-क्षेत्रों का विकास

८४८. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्ष १९५३–५४ में त्रिपुरा में मीन-क्षेत्रों के विकास संबंधी योजना की अभिपूर्ति करने का विचार कर रही है ?

(ख) प्रति वर्ष 'मछली मारने' से, विशेषकर रुद्रसागर में, सरकार को क्या आय प्राप्त होती है ?

(ग) उदयपुर डिवीज़न (त्रिपुर) में कितने बड़े तालाब मीन-क्षेत्रों के लिए योग्य हैं और क्या उन में से कोई मीन-क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ व्यक्तियों अथवा दलों को पट्टे पर दिया गया था ?

(घ) यदि ऐसा है तो कितने ताल पट्टे पर दिए गए थे और किन को ?

(ङ) उन से सरकार प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राज्य का मीन-क्षेत्र विभाग, जिसने अभी हाल ही में काम शुरू किया है मीन-क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाने में लगा हुआ है । अभिपूर्ति के लिए इन योजनाओं को १९५३–५४ में हाथ में लिए जाने की आशा की जाती है ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) से (ङ) तक । उदयपुर डिवीज़न (त्रिपुरा) में कुल मिला कर बीस बड़े तालाब हैं जो कि अभी मीन-कृषि के लिए अधिकतर अयोग्य है । तीन बड़े तालाब त्रिपुरा मीन-क्षेत्र तथा उद्योग, लिमिटेड को एक हजार रुपए प्रति वर्ष पर पट्टे पर दिया गया है।

गन्ने का मूल्य

८४९. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अधिकतर कारखाने के मालिकों ने गत वर्ष उत्पादकों को गन्ने का मूल्य नहीं दिया था; और

(ख) यदि ऐसा है तो अभी और कितनी राशि दी जानी है और किन राज्यों में ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख) ६४ करोड़ रुपये के गन्ने के कुल मूल्य में से एक करोड़ अभी तक दिए जाने के लिए बाकी हैं मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, मैसूर और पेप्सू राज्यों में।

उत्तर प्रदेश में डाकखाने

८५०. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या संचरण मंत्री उन स्थानों का, जिलों सहित नाम बताने की कृपा करेंगे जहां वर्ष १९५२–५३ में उत्तर प्रदेश में नए डाकखाने खोले गए हैं और वह शुद्ध खर्चा जो इन नए डाकखानों को स्थापित करने में हुआ है ?

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष १९५२–५३ में कितने डाकखाने खोलने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध नम्बर १०]** अधिकतर डाकखाने पिछले ३ महीनों में खोले गए थे और उन के यातायात और आय को अभिनिश्चित करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। अत: शुद्ध खर्चा, लागत में से आय निकाल कर, अभी आसानी से अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। ४२,१०० रुपए की एक राशि, जिसका पूर्ण रूप से उपयोग हुआ था, उत्तर प्रदेश के डाक सर्किल (क्षेत्र) को १९५२–५३ में डाकखाने खोलने के लिए दी गई थी।

(ख) सरकार द्वारा २३–३–१९५३ को सदन में घोषित नीति के अनुसरण में खोले जाने वाले डाकखानों की संख्या बताई जायगी। निश्चित संख्या का संकेत अभी नहीं दिया जा सकता।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्
(विस्तार कार्यक्रम)

८५१. **श्री बी० के० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा चलाए गए विस्तार-कार्यक्रम का विस्तृत विवरण;

(ख) उस प्रयोजन के लिए कौन सा शासन यंत्र स्थापित किया गया है; और

(ग) उस काम के लिए सरकार द्वारा किया गया खर्चा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) (१) १५ अग्रगामी विकास योजनाएं;

(२) २१ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र; और

(३) तीन कृषि कालेजों में ३ विस्तार शाखाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) केन्द्र में एक कृषि विस्तार आयुक्त एक बीज कर्मचारी वृन्द सहित नियुक्त किया गया है। अधिकतर राज्यों में विस्तार के एक उप/सह-संचालक कुछ कर्मचारी वृन्द सहित विस्तार कार्य के सम्पूर्ण भार का साधक होने के लिए नियुक्त किया गया है। कुछ राज्यों में राज्य, ज़िला और तहसील स्तरों पर विस्तार-बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय सदरदफ्तरों पर (सीधे भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले नीलोखेड़ी प्रशिक्षण केन्द्र सहित) किया गया खर्च फरवरी १९५३ तक १,०५,७७० रुपए है। राज्यों में किए गए खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चिकित्सा संस्थायें

८५२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री कृपा कर सदन पटल पर एक विवरण रखेंगी जिस में उन व्यक्तिगत संस्थाओं, अस्पतालों और औषधालयों की सूची, जिन्हें आवर्त्तक अथवा अनावर्त्तक रूप में केन्द्रीय सहायता, सहयोग, अनुदान या ऋण दिया जाता है, प्रत्येक मामले में दी गई धन की राशियों सहित, दिखाई गई हो ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : वर्ष १९५२–५३ की सूचना वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध नम्बर ११]**

चीनी को विक्रय के लिए मुक्त करना

८५३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१–५२ का, १ दिसम्बर १९५२ को चीनी मिलों के पास, नियंत्रित चीनी का सम्पूर्ण शेष विक्रय के लिए मुक्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो कुल मुक्त की गई मात्रा में से चीनी की कितनी मात्रा ३१ मार्च १९५३ तक बेची और भेजी जा चुकी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी मिलों के पास १ दिसम्बर १९५२ को १९५१–५२ की चीनी के कुल नियंत्रित स्टाक ४.०८ लाख टन थे । इस मात्रा में से ३.९८ लाख टन बेचा जा चुका था और ३.६५ लाख टन २२ मार्च १९५३ तक भेजा जा चुका था ।

टेलीफोन नम्बर '९४'

८५४. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

(क) क्या **संचरण** मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या दिल्ली में टेलिफोन नम्बर '९४' (समय) को किए गए समाहवानों की अब गिनती होने लगी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो यह कब किया गया था ?

(ग) किन नम्बरों की गिनती नहीं होती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) सितम्बर १९५२ में ।

(ग) ९०––नगर बाहर की बुकिंग
९१––नगर बाहर की पूछताछ
९८––शिकायतें
९९––स्थानीय पूछताछ

चित्तरजन लोकोमोटिव कारखाने के कर्मचारी-वृन्द के लिए क्वार्टर्स

८५५. **श्री जजवाड़े :** रेल(क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चित्त-रंजन लोकोमोटिव कारखाने के सारे कर्मचारी-वृन्द को क्वार्टर्स दिए गए हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारीवृन्द का वह कौन सा प्रतिशत भाग है जिन्हें क्वार्टर्स नहीं दिए गए हैं ?

(ग) उन्हें क्वार्टर्स कब दिए जायेंगे ?

(घ) क्या क्वार्टरों का बंटन किसी निश्चित मान के अनुसार किया गया है ?

(ङ) निम्नलिखित वेतन पाने वाले कर्मचारियों से मकान के किरायों के लिए वेतनों की कटौती के प्रतिशतताएं क्या हैं :—

(१) केवल १०० रुपये से कम

(२) केवल १०० रुपए से २०० रुपए तक

(३) केवल २०० रुपए से ४०० रुपए तक

(४) केवल ४०० रुपए से ७०० रुपए तक; और

(५) ७०० रुपए से लेकर और ऊपर ?

(च) क्या उपरोक्त समूहों को क्वार्टर्स अधिक या कम, की गई कटौती की प्रतिशतता के अनुसार बंटित किए जाते हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) २८.२ प्रतिशत जैसा कि ३१-१-५३ को था ।

(ग) सभी प्रवीण तथा अप्रवीण कर्मचारी वृन्दों को हर एक को क्वार्टर्स देने का विचार नहीं है ।

(घ) सामान्यतः हां ।

(ङ) विभिन्न वेतन श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले उन कर्मचारीवृन्द से जिन्हें रेलवे क्वार्टर्स दिए गए हैं एक क्वार्टर का परिगणित किराया वसूल किया जाता है, उपलब्धियों के अधिकतम १० प्रतिशत के आधीन रहते हुए, उन लोगों से छोड़ कर जो नियमों के अनुसार बिना किराए के क्वार्टरों के पात्र हैं ।

(च) आमतौर पर कर्मचारी वृन्द को बंटित किए गए क्वार्टरों की किस्म उन का उनकी वेतन के आधार पर उसके लिए पात्रता के अनुसार होता है ।

वार्धा घाटी की कोयले की खानें

८५६ **श्री विट्टल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वार्धा घाटी की कोयले की खानों के मज़दूरों की संख्या जो क्वार्टरों में रहते हैं ।

(ख) इन खानों पर झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या;

(ग) इन खानों पर काम करने वाली विभिन्न कम्पनियां कब सारे काम करने वालों के लिए मकानात बनवाएंगी;

(घ) १९४८ से मकानात बनवाने के लिए इन खानों के मालिकों को दी गई अर्थ-सहायता की राशि;

(ङ) श्रम हितकारी कोष में 'गृह व्यवस्था' के लिए क्या राशि है; और

(च) क्या केन्द्रीय श्रम हितकारी कोष मंत्रणा समिति पर इन कोयले की खानों के मज़दूरों का कोई प्रतिनिधि है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १,०३९

(ख) २,२८९

(ग) यह समझा जाता है कि अभी किसी भी कोयले की खान की कम्पनी के पास सभी काम करने वालों के लिए मकानात बनवाने की कोई योजना नहीं है ।

(घ) कुछ नहीं ।

(ङ) १ अप्रैल १९५२ को चांदा की कोयले की खानों के लिए २,१०,००० रुपए ।

(च) समिति में मज़दूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले छै सदस्यों में से एक मध्य प्रदेश का है ।

बिहार में नये तार-घर

८५७. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **संचरण** मंत्री कृपा कर, बिहार में गनपतगंज, प्रतापगंज, राघोपुर और बसनपट्टी में नए तार घरों को खोलने का आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय, बतलायेंगे ?

(ख) क्या इस लाइन पर १९५३-५४ में कुछ नए तार घरों को खोलनें का प्रस्ताव हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) चार तारघरों को खोलने का आवर्त्तक था अनावर्त्तक व्यय निम्नलिखित है :-

	अनावर्त्तक	आवर्त्तक
गनपतगंज	७७,२४०	७,९९९
प्रतापगंज	२५,१५६	३,२७४
राघोपुर	६५५	८१४
बसनपट्टी	१२,२४६	२,६५९

(ख) जी हां। त्रिवेणीगंज में एक तारघर खोलने के प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है।

नैपाल से चावल का आयात

८५८. **श्री एच० एस० प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की वह मात्रा जो १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में नैपाल से भारत को आई है;

(ख) चावल की वह मात्रा जो वर्ष १९५३–५४ में नैपाल से भारत को निर्यात की जायगी; और

(ग) वे उपाय जिन्हें सरकार, वर्ष १९५३–५४ में नैपाल से चावल पाने के लिए, प्रयोग में लाने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). चूंकि नै पालसे भारत को चावल का आवागमन "सरकार से सरकार को" के हिसाब में नहीं है अतः व्यापार के द्वारा नैपाल से भारत में आयात किए गए चावल की बिल्कुल ठीक मात्रा के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष १९५३–१९५४ के लिए भी यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि नीति कुछ और होगी।

मद्रास क्षेत्र के लिए डाक तथा तार मंत्रणा समिति

८५९. **मादिया गौडा** :
श्री केशवैयंगार :

क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास क्षेत्र के लिए एक डाक तथा तार मंत्रणा समिति है;

(ख) कौन से क्षेत्र उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं; और

(ग) उस समिति के सदस्यगण कौन हैं और वे किस हित का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) मद्रास क्षेत्र में दो समितियां हैं :—

(१) मद्रास—मुख्य

(२) ट्रैवनकोर-कोचीन प्रादेशिक समिति

(ख) पहले वाली का क्षेत्राधिकार मद्रास, मैसूर, और कुर्ग राज्यों पर फैला हुआ है, जब कि बाद वाली का केवल ट्रैवनकोर-कोचीन पर फैला है।

(ग) दोनों समितियों के सभापति तथा सचिव जो क्रमशः डाक महापदाधिकारी और डाक सेवा का संचालक होते हैं, के अतिरिक्त समितियों के सदस्यगण निम्न-लिखित हैं :–

(अ) मद्रास—मुख्य

(१) मद्रास सरकार के दो प्रतिनिधि (एक सरकारी और एक गैर-सरकारी)।

(२) मैसूर सरकार का एक प्रतिनिधि।

(३) संसद के तीन सदस्य (कम से कम एक मैसूर राज्य से)।

(४) चार प्रतिनिधि व्यापार और वाणिज्य के (एक मैसूर राज्य से)।

(ब) ट्रैवनकोर-कोचीन प्रादेशिक समिति

(१) ट्रैवनकोर-कोचीन सरकार के दो प्रतिनिधि (एक सरकारी और एक गैर-सरकारी)।

(२) संसद के दो सदस्य।

(३) व्यापार और वाणिज्य के दो प्रतिनिधि।

माल डिब्बों की लागत

८६०. **श्री बी० वाई० रेड्डी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५३ में विभिन्न रेलवे लाइनों पर कितने नए माल डिब्बे चलाए गए हैं ?

(ख) उस संख्या में से, आयात किए गए माल डिब्बों की संख्या क्या है ?

(ग) देशी माल डिब्बों का मूल्य आयात किए हुए के मूल्य की तुलना में कैसा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : सूचना प्राप्त की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय नौपरिवहन कम्पनियों को ऋण

८६१. **डा० लंका सुन्दरम :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व राशियां जो कि, कम्पनियों को तटीय और/अथवा समुद्रपार जहाजों के, १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ के वर्षों में, निर्माण तथा अर्जन के लिए ऋणों को देने के प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई थीं और वे राशियां जो कि वास्तविक रूप से उस काल में उस प्रयोजन के लिए दी गई हैं;

(ख) उन कम्पनियों के नाम जिन्हें जहाजों के निर्माण अथवा अर्जन के लिए ऋण दिए गए हैं, साथ ही दी गई राशियां और वे शर्तें जिन के आधीन वे दी गई हैं; और

(ग) जहाजों के निर्माण अथवा अर्जन के लिए ऋणों के रूप में दी जाने वाली सरकार द्वारा पृथगरक्षित राशियों का पूरा पूरा उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ग) नौपरिवहन व्यक्तिगत क्षेत्र में है और अतिरिक्त टन भार के अर्जन के लिए सूत्रपात करने का जिम्मा प्रमुखत: नौपरिवहन कम्पनियों का है जिन्हें यह तय कर लेना होगा कि क्या और किस सीमा तक उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों का उपयोग करना चाहिए ।

बिहार में चावल और धान का उत्पादन

८६२. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ और १९५३ के वर्षों में बिहार में उत्पादित सारे रबी खाद्यान्नों तथा धान की कुल अनुमानित मात्रा; और

(ख) वर्ष १९५३ में बिहार को दिए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५२ में बिहार में उत्पादित चने सहित रबी खाद्यान्नों की कुल मात्रा ५७२,००० टन थी । उस वर्ष बिहार में उत्पादित धान की मात्रा साफ किए हुए चावल के रूप में २,७१२,००० टन थी । १९५३ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १९५३ में केन्द्र से बिहार को किसी चावल बंटन की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी आशा की जाती है । उन की गेहूं सम्बन्धी मांगें सम्पूर्णत: पूरी की जायेंगी ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में विदेशी विशेषज्ञ

८६३. **कुमारी एनी मस्करीन :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय में कितने विदेशी विशेषज्ञ नौकर रखे गए हैं ?

(ख) उन के वेतन और भत्ते क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) दो विदेशी विशेषज्ञ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रखे गए और वेतन पाते हैं । १२ ऐसे भी विदशी विशेषज्ञ हैं जिन की सेवाएं कोलम्बो योजना तथा चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम आदि के आधीन प्राप्त की गई हैं और जिन्हें वेतन

उन विदेशी अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं जिन्होंने उन्हें प्रतिनियुक्त किया है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित दो विशेषज्ञों के वेतन और भत्ते इस प्रकार हैं :—

(१) कुमारी मार्गरेटा क्रेग, प्रिंसिपल नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली (छुट्टी पर) ।

वेतन :—१०००. रुपए प्रति मास ८००–४०–१०००–१०००–१०५०–१०५० –११००–११००–११५० रुपए के वेतन क्रम में और ७५ रुपए प्रतिमास महंगाई भत्ता ।

(२) कुमारी एडिथ बुचानन, वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली ।

वेतन :— ८१० रुपये प्रतिमास, ३५० – ३५० – ३८० – ३८०– ३०–५९०– दक्षता-रोक–३०–७७०–४०–८५० रुपए के वेतन क्रम में और ७५ रुपए प्रतिमास महंगाई भत्ता । आजकल वह स्थानापन्न प्रिंसिपल हैं । स्थानापन्न प्रिंसिपल की हैसियत से उन को ८४० रुपए प्रति मास का वेतन, ८००–४०– १०००–१०००–१०५०–१०५०– ११००– ११००–११५० रुपए के वेतन क्रम में और ७५ रुपए प्रतिमास महंगाई भत्ता मिलता है ।

वे विदेशी विशेषज्ञ जिन की सेवाएं कोलम्बो योजना और चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम आदि के आधीन प्राप्त की गई हैं और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के आधीन नौकर रखे गए हैं ।

(१) कुमारी एलीजाबेथ बैमफोर्ड ऑरबेल ।

(२) कुमारी ग्रीटा अर्ल क्लिफोर्ड जोन्स ।

(३) कुमारी फ्लोरेंस एलीजाबेथ केंट जॉन्सटन ।

(४) डाक्टर राबर्ट रोफ ।

(५) कुमारी ई० ट्यूडर ।

(६) कुमारी सी के० ट्रेलर ।

(७) कुमारी जेन बोर्थविक ।

(८) कुमारी पी० सी० क्राम्बी ।

(९) कुमारी ज्वाएस टीरेंल ।

(१०) डाक्टर ई० एफ० टर्नर ।

(११) श्री सी० एच० एटकिन्स ।

(१२) श्री क्लेरन्स कलबर्ट ।

लेडी हार्डिज मेडिकल कालेज

८६४. कुमारी एनी मस्करीन : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि लेडी हार्डिज मेडिकल कालेज का भार साधक कौन है ?

(ख) उस के वेतन और भत्ते क्या हैं ?

(ग) क्या लेडी हार्डिज अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्रालय के आधीन ले लेने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) कालेज का भार साधक पदाधिकारी प्रिंसिपल है । आजकल डा० एच० बी० पाटिल, व्याधि-विद्या के प्राध्यापक, स्थानापन्न प्रिंसिपल हैं ।

(ख) ७५० रुपए प्रति मास, ४५०–५०।३–८५० रुपए के वेतन क्रम में ।

भत्ते :—

पढ़ाने का भत्ता	२०० रुपए	प्रतिमास
प्रिंसिपल का भत्ता	४०० रुपए	"
महंगाई भत्ता	७५ रुपए	प्रतिमास

विशिष्ट वार्डों में दाखिल हुए रोगियों के सम्बन्ध में व्याधिकृत परीक्षण के लिए फीस के उन के हिस्से के स्थान में भत्ता. . . . ४५ रुपए प्रति मास

(ग) जी नहीं ।

हिंगोली-खण्डवा रेलवे लाइन

८६५. श्री एच० जी० वैष्णव : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिंगोली-खण्डवा छोटी रेलवे लाइन को बनाने की अनुमानित मूल्य वर्ष १९५३–५४

के आय व्ययक में वर्ष १९५१ में किए गए अनुमानों से अधिक है, और यदि ऐसा है तो कितना ?

(ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में उक्त लाइन का प्रति मील का अनुमानित मूल्य क्या है :—

(१) स्थायी मार्ग

(२) पुल और मिट्टी का काम

(३) स्टेशन और बनाने के व्यय; और

(४) सामान्य व्यय, भूमि और अन्य मदें ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) १९५१ का अनुमानित मूल्य लगभग ७ करोड़ रुपए था। १९५३–५४ के आय-व्ययक में पूर्वावधारणा कृत मूल्य के अन्तर्गत ७.५ करोड़ रुपए का एक आंकड़ा दिखाया गया है।

(ख) आजकल की दरों के आधार पर और अन्य निर्माणों पर प्राप्त अनुभव को दृष्टि में रखते हुए १९५१ का अनुमान पुनर्विलोकित किया जायगा। अभी अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चिकित्सा विभागों की अभिवृद्धि

८६६. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष १९५२–५३ में किन औषधि के विभागों की अभिवृद्धि की गई थी और किन स्थानों पर;

(ख) १९५३–५४ में किन विभागों की अभिवृद्धि करने का विचार है; और

(ग) क्या अभिवृद्धि के साथ साथ इन पाठ्यक्रमों के लिए कोई परिषद्यताएं भी दी जाती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) (१) शरीर शास्त्र विभाग, स्टेनली मेडिकल कालेज, मद्रास।

(२) दाई शास्त्र तथा स्त्री रोग विद्या विभाग, औरतों और बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल, इगमोर, मद्रास।

(३) यौन रोगों का विभाग, सरकारी आम अस्पताल, मद्रास।

(४) वल्लभ भाई पटेल वक्षस्संस्था, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

(ख) (१) दैहिकी विभाग, प्रिंस आफ वेल्स मेडिकल कालेज, पटना।

(२) स्नायु-शल्य विज्ञान शाखा, के० ई० एम० अस्पताल बम्बई।

(ग) जी हां। स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को अभिवृद्ध विभागों में पढ़ने के लिए १९५३–५४ से दस छात्रवृत्तियां मंजूर करने का विचार है।

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

८६७. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५२–५३ में क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसी आयुर्वेदिक संस्था को कोई सहायक अनुदान दिया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो किस को और किस हद तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) और (ख). जी हां। १५००० रुपए का एक सहायक अनुदान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, झांसी को दिया गया था।

रेलवे द्वारा क़ानूनी मुक़दमों पर व्यय

८६८. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२–५३ में प्रत्येक रेलवे द्वारा 'विधि व्यय' के शीर्षक के अन्तर्गत खर्च की गई कुल राशि; और

(ख) प्रत्येक रेलवे द्वारा चलाए गए और प्रतिवादित (१) दीवानी और (२) फौजदारी मुकदमों की कुल संख्या ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) प्रत्येक रेलवे द्वारा १९५२–५३ में 'विधि व्यय' शीर्षक के अन्तर्गत खर्च की गई कुल राशि :

रेलवे	राशि
(१) दक्षिणी	३९,५०० रुपए
(२) पश्चिमी	८६,५०० रुपए
(३) पूर्वी	३,२६,६०० रुपए
(४) उत्तरी	१,९८,२०० रुपए
(५) केन्द्रीय	२,३७,००० रुपए
(६) उत्तर-पूर्वी	१,६७,००० रुपए

(ख) प्रत्येक रेलवे द्वारा चलाए गए तथा प्रतिवादित दीवानी और फौज़दारी मुकदमों की कुल संख्या :–

रेलवे	दीवानी	फौज़दारी
(१) दक्षिणी	७०४	——
(२) पश्चिमी	८,१३६	२१८
(३) पूर्वी	५,६५७	१४
(४) उत्तरी	२१०१	११
(५) केन्द्रीय	२०७७	३३०
(६) उत्तर-पूर्वी	२८७३	५

रेल के डिब्बों में फेरी लगा कर सौदा बेचना

८६९. **श्री एम० एल० अग्रवाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि फेरीवाले अपने पण्य को बेचने तथा विज्ञापित करने के लिए चलती हुई और खड़ी हुई गाड़ियों के डिब्बों में बहुत शोर मचाते हैं;

(ख) क्या फेरी वालों से उन को ट्रेन के अन्दर अपना व्यापार चलाने के लिए अनुमति देने के लिए रेलवे कोई भुगतान प्राप्त करती है, और यदि ऐसा है तो क्या और किन दरों पर;

(ग) क्या यह तथ्य है कि फेरी लगा कर सौदा बेचने से यात्रियों को असुविधा होती है; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) इस प्रकार के अप्राधिकृत फेरी लगाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जी नहीं, गाड़ियों के डिब्बों के अन्दर फेरी लगाने की रेलवे अनुमति नहीं देती ।

(ग) जी हां, इस प्रकार की अप्राधिकृत फेरी लगाने से जिसकी ओर ऊपर माननीय सदस्य ने निर्देश किया है, परेशानी होती है।

(घ) रेलगाड़ी के साथ चलने वाले टिकट निरीक्षकों को इस उपद्रव को परिवीक्षण करने और रोकने के लिए विशेष हिदायतें हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों में विशेष रेलवे कर्मचारी वृन्द के द्वारा विशेष अतिचार विरोधी और भिक्षुक विरोधी आन्दोलनों का प्रबन्ध किया जाता है । भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक तथा चालन मुख्य पदाधिकारियों को भी दिल्ली में बुलाई गई एक बैठक में विशेष हिदायतें दी गई हैं। इन आन्दोलनों को सुदृढ़ बनाने और इस उपद्रव को रोकने के हेतु हर संभव कार्यवाही करने के लिए ।

भारतीय नाविक

८७०. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३ में क्रमशः विदेशी तथा भारतीय नौपरिवहन कम्पनियों में अभियोजित भारतीय नाविकों की कुल संख्या; और

(ख) १९४७ से १९५२ में इन सामुद्रिकों की मजदूरियों की दरें ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव : (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्ष १९५२ में भारतीय पदार्थों पर अभियोजित नाविकों की कुल संख्या लगभग ५६,२५० है, जिनमें से लगभग १६,२०० बृटिश जहाजों पर नौकर रखे गए थे। क्रमश भारतीय और विदेशी जहाजों पर काम में लगाए गए भारतीय नाविक की संख्या के आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के भारतीय नाविकों की मजदूरियों की दरें दिखलाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १३]**

१९४७ से १९५२ के काल में दरों में कोई परिवर्तन नहीं रहा है।

बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां

८७१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने मील लम्बी लाइनों पर बिजली की गाड़ियां चलती हैं; तथा

(ख) यह गाड़ियां किन किन नगरों से चलती हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत में रेलों के कुल विद्युतकृत मार्ग की लम्बाई २३९.७९ मील है।

(ख) बम्बई, मद्रास और पूना मुख्य नगर हैं।

खंड ३

संख्या ४

वृहस्पतिवार

२ अप्रैल १९५३

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

श्री आसफ अली की मृत्यु [पृष्ठ भाग २७४०-२७४२]

श्री जमुलापुर केशवराज की मृत्यु [पृष्ठ भाग २७४२]

वित्त विधेयक—
प्राप्त याचिका [पृष्ठ भाग २७४३]

विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक—
पुर:स्थापित [पृष्ठ भाग २७४३]

कमेटियों के लिए निर्वाचन—
(१) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संस्था सम्पर्क कमेटी [पृष्ठ भाग २७४३-२७४४]
(२) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति [पृष्ठ भाग २७४४]
(३) भारतीय केन्द्रीय नारियल कमेटी [पृष्ट भाग २७४५]

अनुदानों की मांगें [पृष्ठ भाग २७४५-२८१३]
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय [पृष्ठ भाग २७४६-२८१३]
मांग संख्या २—उद्योग [पृष्ठ भाग २७४६-२८१३]
मांग संख्या ३—वाणिज्यक सूचना एवं आंकड़े [पृष्ठ भाग २७४६-२८१३]
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २७४६-२८१३]
मांग संख्या ११०—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २७४६-२८१३]

382 P.S.D.

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२:४५ म० प०

श्री आसफ अली की मृत्यु

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : जनाब, इस वक्त यह बात मेरे हिस्से में आई है कि एक अफसोसनाक खबर हाऊस को सुनाऊं—आसफ अली साहब का कल रात बारह बजे बर्न में इन्तकाल हो गया। जो खबर इस वक्त हमें मिली है उस में ज्यादा तफसीलात नहीं हैं मगर यह मालूम हुआ है कि दिल की हरकत बन्द हो जाने की वजह से उन का इन्तकाल हुआ।

इस वाकये ने बहुत सी बातें हम से छीन ली हैं। मगर सब से पहली बात जो मेरे सामने आई वह यह थी कि हिन्दुस्तान की आजादी की जंग का एक और बहादुर साथी हम से अलग हो गया। सन् १९२० में जब नान-कोआपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था तो उस वक्त आसफ अली देहली में

कानूनी प्रैक्टिस करते थे। उन्हों ने प्रैक्टिस छोड़ी और तहरीक में शामिल हो गये और उस के बाद बार बार गिरफ्तार हुए। हर मरतबा जब तहरीक शुरू हुई तो वह उन लोगों में रहे जो पेश पेश थे। फिर सन् १९२४ में जब स्वराज्य पार्टी कायम हुई और कांग्रेस ने फैसला किया कि एसैम्बली में जायें तो उस वक्त वह भी एसैम्बली में आये। अभी ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन के दिमाग में उस वक्त की याद ताजा होगी। एसैम्बली में जिस सरगर्मी और काबलियत के साथ उन्हों ने काम किया वह उस वक्त तमाम लोगों की जबान पर था। वह कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी रहे। फिर जब सन् १९४२ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जल्से के बाद बम्बई में हम गिरफ्तार किये गये तो वह भी गिरफ्तार हुए क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वह भी मैम्बर थे। चुनांचे अहमदनगर जेल में तकरीबन ३ वर्ष तक मेरा उन का साथ रहा। फिर उस के बाद जब पहली नैशनल गवर्नमेंट बनी तो वह रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से कैबिनेट के मैम्बर चुने गये। फिर उस के बाद हम ने ख्याल किया कि उन्हें वाशिंगटन में हिन्दुस्तान के पहले एम्बैसेडर की हैसियत से भेजा जाय। चुनांचे वह वाशिंगटन गये और पूरी काबलियत के साथ अपने फरायज अन्जाम दिये। उस के बाद वह उड़ीसा के गवर्नर हुए थे और अब उन्हें बर्न भेजा गया था। यह तो उन की पब्लिक लाइफ की सरगुजिश्त थी। लेकिन बहैसियत एक इन्सान के भी उन में दिमाग और दिल की बहुत सी खूबियां थीं जो उन के दोस्तों को याद रहेंगी। मुझे उम्मीद

[मौलाना आज़ाद]

है कि यह हाऊस इस वाकये पर अपने दिली अफसोस का इजहार करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मौलाना साहेब ने जो कुछ कहा है उस से मैं पूर्णतः सहमत हूं। मुझे तो व्यक्तिगत हानि हुई है। उन दिनों जब कांग्रेस दल भूतपूर्व शासन से विधान सभा में टक्कर ले रहा था तो श्री आसफ अली उस लड़ाई के अग्रसेनानी थे। वह कांग्रेस दल के उपनेता थे। वह भूलाभाई देसाई के सीधे हाथ थे : उन का कांग्रेस से बहुत दिनों का साथ था। देश के लिये बलिदान देने में वह कभी भी पीछे नहीं हटे। १९४६ में वह इस सदन में रेल तथा यातायात के प्रभारी सदस्य थे। इस के बाद उन्हों ने अनेक पदों पर काम कर के देश की सेवा की। परन्तु इस बात का खेद है कि उन की मृत्यु समय से पूर्व हो गई। सदन में उन का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था न कि मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से। भारत ने, वास्तव में, अपने एक महान् सपूत को खो दिया है और मुझे आशा है कि सदन दो मिनट खड़े हो कर उन के प्रति अपना शोक प्रगट करेगा।

सदन न दो मिनट शान्तिपूर्वक खड़े होकर शोक प्रगट किया।

श्री जमुलापुर केशव राव की मृत्यु

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए दुःख होता है कि श्री जमुलापुर केशव राव की, जो कि कामचलाऊ संसद् के सदस्य थे, मृत्यु हो गई है। सदन की ओर से हम उन के परिवार वालों के पास सहानुभूति का सन्देश भेजते हैं।

सदन ने दो मिनट शान्तिपूर्वक खड़े होकर शोक प्रगट किया।

वित्त विधेयक

प्राप्त याचिका

सचिव : श्रीमान्, मुझे सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक के बारे में एक याचिका प्राप्त हुई है।

विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ लाभ-पदों के बारे में यह घोषणा करने वाले, कि उन्हें धारण करने वाले व्यक्ति विन्ध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिये अनर्ह न होंगे, एक* विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कुछ लाभ पदों के बारे में यह घोषणा करने वाले कि उन्हें धारण करने वाले व्यक्ति विन्ध्य प्रदेश राज्य की विधान-सभा के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिये अनर्ह न होंगे, एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं।

कमेटियों के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संस्था, सम्पर्क कमेटी

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन भारत सरकार के कृषि (अवखाद्य तथा कृषि) मंत्रालय के संकल्प

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया गया।

संख्या एफ १६–७२/४७–पी० वाई.० दिनांक ८ नवम्बर, १९४८ के अन्तर्गत संगठित राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संस्था सम्पर्क कमेटी की सदस्यता के लिये, तीन वर्ष की कालावधि के लिये, माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार लोक सभा के चार सदस्यों का चनाव करें।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति अधिनियम, १९४६, भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति (संशोधन) अधिनियम १९५२ द्वारा संशोधित रूप में, की धारा ४ के खंड (घ) के अनुसार इस सदन के सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार स्वयं अपने में से भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति की सदस्यता के लिये चार सदस्यों का चुनाव करें।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

भारतीय केन्द्रीय नारियल कमेटी

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय केन्द्रीय नारियल कमेटी अधिनियम, १९४४, भारतीय केन्द्रीय नारियल कमेटी (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित रूप में, की धारा ४ के खंड (छ) के अनुसार इस सदन के सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार स्वयं अपने में से भारतीय केन्द्रीय नारियल कमेटी की सदस्यता के लिये दो सदस्यों का चुनाव करें।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि इन कमेटियों के सम्बन्ध में नामनिर्देशन पत्रों के प्राप्त करने एवं आवश्यकता होने पर, चुनाव करने के लिये ये तिथियां निर्धारित की गई हैं :

	नाम निर्देशन की तिथि	नाम वापस लेने की तिथि	चुनाव की तिथि
१. राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संस्था सम्पर्क कमेटी २. भारतीय केन्द्रीय तिलहन कमेटी	६–४–१९५३	७–४–१९५३	१०–४–१९५३
३. भारतीय केन्द्रीय नारियल कमेटी	७–४–१९५३	८–४–१९५३	१४–४–१९५३

संसदीय सूचनालय में इन कार्यों के लिये निश्चित की गई तिथियों को ३ १/२ बजे तक इन कमेटियों के सम्बन्ध में नामनिर्देशन पत्र तथा नाम वापस लेने के पत्र स्वीकार किये जायेंगे। निर्वाचन जो कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा किये जायेंगे, १ १/२ म० प० से ४ म० प० के बीच संसद् भवन में उप-सचिव के कमरा नम्बर २१ में होंगे।

अनुदानों की माँगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार करेगा। मांग संख्याएं

[उपाध्यक्ष महोदय]

१, २, ३ ४ तथा ११० हैं जिन्हें मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं :

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—	६६,२४,००० रुपये
मांग संख्या २—उद्योग—	१०,९०,९३,००० रुपये
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना एवं आंकड़े—	४७,९०,००० रुपये
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३६,९०,००० रुपये
मांग संख्या ११०—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय—	५,७०,९९,००० रुपये

'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में कटौती करने के लिये निम्न सदस्यों द्वारा उन के सामने लिखे गये विषयों पर चर्चा करने के हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : —आयात तथा निर्यात नीति।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी)—करघा तथा कुटीर उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच प्रतियोगिता।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा)—चाय उद्योग में वर्तमान संकट।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर—रबड़ उद्योग सम्बन्धी नीति।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर)—विदेश व्यापार नियंत्रण सम्बन्धी नीति।

श्री टी० के० चौधरी—भारत में विदेशी फर्मों द्वारा अपने भारतीय कर्मचारियों के प्रति अनुचित भेदभाव।

श्री वीर स्वामी (मयूरम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)—हस्त करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने में असफलता।

श्री वीरस्वामी—कुटीर उद्योगों को संरक्षण।

श्री एन० पी० दामोदरन (तेलिचेरी)—हस्तकरघा तथा नारियल जटा उद्योगों के पुनर्विकास की आवश्यकता।

श्री एन० पी० दामोदरन—नारियल जटा बोर्ड तथा नारियल जटा बाज़ार व सुधार निधि का स्थापित किया जाना।

श्री केलप्पन (पोन्नानी)—कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण।

श्री केलप्पन—बैंकों और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण।

नाम तथा क्षेत्र	कटौती की धनराशि	शीर्षक	आधार
श्री सी० आर० चौधरी (नरसरखपेट)	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	आयात निर्यात नीति
श्री नानादास (ओंगोल–रक्षित–अनुसूचित जातियां)	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	भारत के वाणिज्य तथा उद्योग में ब्रिटिश एकाधिकार एजेन्सी प्रणाली का प्रभुत्व

नाम तथा क्षेत्र	कटौती की धन राशी	शीर्षक	आधार
श्री नानादास	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	भारत स्थित विदेशी फर्मों को दिया जाने वाला अविवेकपूर्ण प्रशुल्क संरक्षण
श्री नम्बियार (मयूरम)	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	काफी बोर्ड के कर्मचारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग के मापमानों का कार्यान्वितीयकरण न होना
श्री नम्बियार	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	अखिल भारतीय कर्मचारी यूनियन को मान्यता न दिया जाना
श्री नम्बियार	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	बम्बई स्थिति वस्त्र निर्माण आयुक्त के दफ़तर में की जाने वाली बृहत परिमाप छंटनी
श्री नम्बियार	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	बम्बई स्थिति वस्त्र निर्माण आयुक्त के दफ़तर के कर्मचारियों के साथ किया जाने वाला विभेदयुक्त व्यवहार
श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर)	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	विदेशी व्यापार, विशेषतः आयात नीति की प्रकृति को बदलने में असफलता
श्री के० के० बसु	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा करने में असफलता
श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम)	१०० रुपये	बाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	आयात तथा निर्यात नीति
श्री तुलसी दास	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	व्यापार आयोगों के विदेश जे जाने की नीति
श्री नम्ब्रियार	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	नारियल तथा नारियल के तेल के मूल्य में उतार होने का गंभीर खतरा
श्री नम्बियार	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	ट्यूटी कोरिन के व्यापारियों को प्याज के निर्यात के संबंध में अनज्ञापत्र प्रदान करने में पक्षपात

[श्री केलप्पन]

नाम तथा क्षेत्र	कटौती की धन राशी	शीर्षक	आधार
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१०० रुपये	उद्योग	रेशम के कीड़े पालने के उद्योग सम्बन्धी नीति
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१०० रुपये	उद्योग	कुटीर उद्योगों के विकास करने में असफलता
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१०० रुपये	उद्योग	चाय तथा कहवा उद्योगों के सामने संकट
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१०० रुपये	उद्योग	प्रचार कार्य के संगठन में अकर्मण्यता तथा बरबादी
श्री शिवमूर्ति स्वामी	१०० रुपये	उद्योग	कुटीर उद्योगों के साथ व्यवहार तथा कर्घा वाले बुनकरों की दयनीय दशा
श्री वीर स्वामी	१०० रुपये	उद्योग	कुटीर उद्योगों के विकास में असफलता
श्री वीर स्वामी	१०० रुपये	उद्योग	मदरास राज्य में करघे वाले बुनकरों के कष्ट
श्री सी० आर० चौधरी	१०० रुपये	उद्योग	पंचवर्षीय योजना में उद्योग के विकास सम्बन्धी नीति
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१०० रुपये	उद्योग	चाय उद्योग में संकट दूर करने की सरकार की नीति
श्री तुलसीदास	१०० रुपये	उद्योग	औद्योगिक विकास की नीति
श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल)	१०० रुपये	उद्योग	रबड़ मण्डल के सेक्रेट्री की नियुक्ति
श्री केलप्पन	१०० रुपये	व्यापारिक सूचना तथा सांख्येकी	राजकीय व्यापार का क्रमवर्धमान विकास
श्री शिवमूर्ति स्वामी	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	करघा उद्योग की वास्तविक समस्यायें
श्री तुलसीदास	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	प्रशुल्क आयोग की कार्यपद्धति
श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर)	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	उड़ीसा में लोहे तथा इस्पात के कारखाने के संस्थापन में विलम्ब
श्री आर० एन० एस० देव	१०० रुपये	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	लोहे तथा इस्पात के कारखाने के संस्थापन के सम्बन्ध में ढुल-मुल नीति

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव सदन के सामने हैं इन पर वाद-विवाद आरम्भ करने के पूर्व मैं एक बात के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कल एक माननीय सदस्य ने मेरे पास लिख कर भेजा था कि माननीय मंत्री द्वारा कुछ ऐसे कटौती प्रस्तावों का जवाब नहीं दिया गया है जो प्रस्तावित किये जा चुके थे या जिन को प्रस्तावित मान लिया गया था। वे चाहते यह हैं कि जो भी कटौती प्रस्ताव, प्रस्तावित किये जायं उन के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहा जाय या न कहा जाय तो भी माननीय मंत्री को चाहिये कि उन का भी उत्तर दें। इस में एक व्यवहारिक कठिनाई है। यह आवश्यक नहीं है कि कटौती प्रस्ताव प्रस्तावित करने वाले सदस्य को बोलने का अवसर न मिले ; इसलिये अलग अलग दल एक दो कटौती प्रस्तावों को चुन लें या कटौती प्रस्तावों की संख्या कम हो तो मैं माननीय मंत्री से उन का उत्तर देने को कह सकता हूं। परन्तु कटौती प्रस्तावों की संख्या बहुत होती है और जब तक किसी माननीय सदस्य द्वारा उन पर कुछ कहा न जाय माननीय मंत्री से आशा नहीं की जा सकती कि वह उन का जवाब दें। जब तक उन के सामने तर्क न होंगे वे जवाब कैसे देंगे। माननीय मंत्री जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने व्याख्यानों में कहते हैं कभी कभी तो उन का भी उत्तर, समय कम होने के कारण, माननीय मंत्री नहीं दे पाते हैं। इस सम्बन्ध में प्रथा यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं जिस का उत्तर नहीं दिया गया है। तो वे सचिव को एक चिट दे देते हैं जो चौबीस घण्टे के अन्दर उसे मंत्री को दे देता है और मंत्री वाद-विवाद के दर्मियान उन विषयों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन सदन में रख देते हैं। अब तक सदन में इसी प्रथा के अनुसार कार्य होता रहा है और हमें इस के अनुसार व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री तुलसीदास : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के काम पर कुछ एक विचार प्रगट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी हाल में उक्त मंत्रालय ने अपनी नीतियों की अधिक दृढ़ता से व्यापार क्षेत्र का सारा वातावरण बदल डाला है मैं यह भी आशा करता हूं कि मंत्रालय इस दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखेगा। यह भी हर्षोत्पादक बात है कि मंत्रालय सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में प्रत्येक संभव काम करने का प्रयत्न कर रहा है। मैं यह भी आशा करता हूं कि मंत्रालय अपने इन प्रयत्नों को जारी रखेगा, और उन सब बातों से दूर रहेगा जिन से ऐसे सौम्य वातावरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती हो।

तटकर आयोग रखने की बात हमें ग्रेट ब्रिटेन से मिली है, और अब हमें यह देखना है कि तटकर आयोग होना चाहिये या नहीं। किन्तु अब चूंकि हम ने देश में तटकर आयोग रखने की बात मान ली है, अतः मैं मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि वह उचित ढंग से इस आयोग का काम चलाये।

तटकर आयोग एक अर्धन्यायिक संस्था है, और इसे कई तरह की पूछताछ करनी पड़ती है। चुनाचि बहुत सी बातों में यह काम को पूरी तरह से नहीं कर सका है।

इस सिलसिले में मैं वित्त आयोग की सिफारिशों का निर्देश करना चाहता हूं। वित्त आयोग ने पर्याप्त और अस्थायी कर्मचारीवर्ग रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि तटकर आयोग के लिये निम्नांकित कर्मचारीवर्ग रखा जाना चाहिये :

(१) धातुऐं, इंजीनिरिंग, रसायन तथा कुम्भकारी जैसी मिली जुली वस्तुओं के समूहों की समस्याओं को निपटाने के लिये टैक्नीकल कर्मचारीवर्ग रखा जाय;

[श्री तुलसीदास]

(२) आर्थिक पूछताछ के लिये आर्थिक अनुसन्धान कर्मचारीवर्ग होना चाहिये;

(३) टैकनीकल तथा आर्थिक अनुसन्धान के लिये लेखा कर्मचारी वर्ग रखा जाना चाहिये; और

(४) अच्छी योग्यता का व्यवस्थापन कर्मचारीवर्ग होना चाहिये।

ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि तटकर आयोग के वर्तमान कर्मचारीवर्ग को उसी परिमाण में बढ़ाया गया है जिस परिमाण में उस का काम बढ़ गया है। मैं इसीलिये ऐसी बात कह रहा हूं क्योंकि सदन में तटकर (संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने पर संसद् २९ उद्योगों को संरक्षा प्रदान करना चाहती थी। उन २९ उद्योगों में से बड़ी कठिनाई से ३ या ४ उद्योगों का काम पूरा किया जा चुका है। मेरा विचार है कि उद्योगों और मंत्रालय के लिये यही अच्छा रहेगा कि जब भी उद्योगों को संरक्षा दी जाय, उन्हें दीर्घकालीन आधार पर ही दी जाय, अल्पकालीन आधार पर नहीं ताकि संसद् को बार बार इस चीज़ पर विचार न करना पड़े कि चूंकि तटकर आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है इसलिये यह काम नहीं हो सकता है। स्वयं मेरा यह विचार है कि तटकर आयोग में अपर्याप्त कर्मचारी होने से इस प्रकार की बात हो पाई है। तटकर आयोग को बहुत सा काम करना है, और यदि उन के पिछले काम को दृष्टि में रखा जाय, तो इस में सन्देह है कि क्या आयोग उन सभी बातों के सम्बन्ध में पूछताछ कर सकेगा जो उसे सौंपे गये हैं। अतः एव मैं वाणिज्य मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि तटकर आयोग में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या हो ताकि जब भी उन के पास कोई प्रार्थना पत्र आये तो उस की छानबीन शीघ्रतापूर्वक हो सके। अन्यथा, हम जो भी सहायता देना चाहेंगे, वह सही नहीं होगी। उद्योगों को उचित रूप से संरक्षा प्रदान करने के लिये यही वांछनीय होगा कि पूरी पूरी पूछताछ होनी चाहिये, और यह तभी हो सकता है जब कर्मचारीवर्ग को बढ़ाया जाय।

वित्त आयोग का यह भी सुझाव है कि तटकर आयोग में एक उत्तर-संरक्षा संस्था होनी चाहिये जो इस बात की जांच किया करे कि तटकर आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के बाद जो भी संरक्षा प्रदान की जाती है, वह सिफारिशों के अनुसार ही दी जाती है अथवा नहीं। और इस संस्था को यह भी देखना चाहिये कि क्या आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की जाती हैं या नहीं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की नीति से मुझे यही पता चला है कि इस आयोग की सिफारिशों को उसी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता जिस ढंग से वे अभिप्रेत होती हैं। मेरा इस प्रकार कहने का यह अभिप्राय है कि राज्य सरकारों और रेल तथा अन्य विभागों की खरीद में इस प्रकार की बातें हो चुकी हैं। तो मंत्रालय में अब एक उत्तर-संरक्षा एवं देखभाल संस्था बनाई जानी चाहिये।

एक और बात भी है। निजी वाणिज्यिक क्षेत्र तो एक ही मंत्रालय की देखभाल में काम करता है, और इसलिये इस मंत्रालय की बहुत ही ज़िम्मेदारियां हैं, और काम भी बहुत ही पेचीदा और महत्वपूर्ण है। योजना ने इस निजी क्षेत्र का भी कोई उत्तरदायित्व रखा है, इसीलिये मंत्रालय को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि निजी क्षेत्र को भी अपना भाग पूरी तरह से अदा करने की पूरी पूरी सुविधायें हों, और काम उचित रूप से हो सके। चुंकि एक ही मंत्री है, इसलिये उसे उद्योग के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वाणिज्य के दृष्टिकोण से इन समस्याओं को देखना पड़ता है। उस का काम बहुत ही महत्वपूर्ण

और पेचीदा है, क्योंकि उसे इन दोनों विभागों की आवश्यकताओं की एक संतुलित योजना बनानी पड़ती है।

यह मंत्रालय बड़े पैमाने के उद्योगों की समस्यायें ही नहीं, अपितु छोटे पैमाने के तथा खादी और हाथ करघे जैसे कुटीर उद्योगों की भी समस्याओं को निपटाता है। अतः इसे इन दोनों के समायोजन का रास्ता ढूंढ़ निकालना होगा। चुनाचि सदन में खादी तथा हाथकरघा उद्योग विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका है, और कुछ एक दिनों में इस पर विचार किया जायेगा। मैं इस विधेयक के मौलिक सिद्धान्तों से सहमत हूं किन्तु मुझे इस बात का सन्देह हो रहा है कि क्या इस विधेयक से खादी तथा हाथकरघा उद्योगों के हितों को कोई लाभ भी पहुंचेगा या नहीं। इस में सन्देह नहीं कि बड़े बड़े उद्योग कर दे देंगे। मंत्रालय तो पहले से कर इकठा कर रही है। किन्तु मैं नहीं जानता कि क्या इस से खादी अथवा हाथकरघों को ही उचित ढंग से लाभान्वित किया भी जायगा; सच पूछिये मुझे तो इस के बारे में सन्देह है। इस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है, अतः मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें। इस मामले की छानबीन करने के लिये एक समिति नियुक्त की जा चुकी है—वह जो भी उपाय अथवा साधन आवश्यक एवं उचित समझेगी उन्हीं को हाथकरघा उद्योगों के हितों के लिये काम में लाया जाना चाहिये। इस के बाद में आयात और निर्यात नीति की बात बताना चाहता हूं, चुनाचि यह भी इसी मंत्रालय की देखभाल में है। इधर भूतकाल में आयात नीति में बहुत से परिवर्तन हुए कई तरह की नीतियां बनाई गईं और एक तरह की अस्थिरता सी फैल गई। किन्तु इस समय इस नीति में स्थिरता दीख रही है, अतः यह हर्ष का विषय है। अब जब भी कई वस्तुओं के आयात के अनुकूल कोई नीति होती है तो मंत्रालय यह कहने लगता है कि हम जी० ए० टी० टी० (तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी साधारण करार) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, और तटकर आयोग को वह मामला सौंप देते हैं। हमें कई बार बताया गया है कि इस करार के अन्तर्गत हम आयातों की मात्रा सम्बन्धी पाबन्दियों के विषय में कोई भी हिदायत नहीं दे सकते। इस सिलसिले में मैं उक्त करार तथा हवाना चार्टर की ओर जिस में अध्याय ३ की धारा १३ में कई ऐसे खण्ड दिये हैं जिन से बचा जा सकता है, मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चुनाचि इन खण्डों के अनुसार वे देश अपने आर्थिक विकास अथवा पुनःरचना के लिये मात्रा सम्बन्धी व्यापार निर्बन्ध लगा सकते हैं। मुझे इस बात का निश्चय है कि मंत्रालय ने इस बात पर विचार किया है। मैं यह भी बता दूं कि विकास प्रयोजनों के लिये इन मात्रा-सम्बन्धी व्यापार निर्बन्धों को काम में लाने के लिये उचित अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारीवर्ग के समक्ष यह सारा मामला पेश करना पड़ता है जिस में उन चार शर्तों में उन्हें एक शर्त देनी पड़ती है जो अनुच्छेद १३ के पैरा ७ (क) में बताई गई है, और जिस से इस बात का संतोष होता है कि क्या आर्थिक विकास के लिये ही मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को लगाया गया है। यद्यपि देश में भुगतान संतुलन स्थिति के कारण मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को लगाने से ही हम आजकल आयात नीति में संरक्षा प्रदान कर रहे हैं, फिर भी मेरा यह अनुभव है कि इस करार के अन्तर्गत हम इस पद्धति पर यह संरक्षा दे सकते हैं। मंत्रालय को इस बात का सन्तोष होना चाहिये कि इस उद्योग को संरक्षा की आवश्यकता है।

इस सिलसिले में मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले एक आयात नियंत्रण पूछ-ताछ समिति थी, जिस का सदस्य होने का मुझे भी श्रेय प्राप्त है। पूछताछ करने के बाद

उक्त समिति इसी निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यदि सभी का हित चाहना हो तो किसी भी उद्योग को संरक्षा स्वीकार किये जाने से पहले तटकर आयोग जैसे अर्धन्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष पूछताछ कराई जानी चाहिये ताकि इस बात का पता चले कि अधिक ऊंचे संरक्षात्मक शुल्कों अथवा मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के रूप में संरक्षा दी जाती है। मेरा यह सविनय मत है कि इस कमेटी की इस छोटी सी सिफारिश को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं मंत्रालय से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करे और यह भी आशा करता हूं कि वह उक्त समिति की इस छोटी सी सिफारिश पर भी विचार करेंगे।

जहां तक निर्यात नीति का सम्बन्ध है, आजकल का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार खरीदने वालों का बाजार है—बेचने वालों का नहीं। युद्धकाल में हमारे निर्यात सम्बन्धी व्यापार का नमूना ही बदल चुका है। अब तो हम कच्ची सामग्री की अपेक्षा तैयार की गई वस्तुओं का ही अधिक निर्यात करते हैं। हमें पहले अपने बाज़ारों की व्यवस्था करनी है। कच्ची सामग्रियों के सम्बन्ध में हमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी किन्तु तैयार की हुई चीज़ों की प्रतिद्वन्दिता में हमें जापान, इंगलैण्ड जैसे देशों से होड़ लेनी है। अतः पहले हमें उन ही बाज़ारों में अपनी चीज़ें टिकाऊ बनाने का कदम उठाना है। मेरा यह सुझाव है कि एक निर्यात प्रोत्साहन विभाग स्थापित किया जाना चाहिये। और इस के साथ साथ हमें भिन्न २ बाज़ारों में खपने वाली आवश्यकताओं और उन के प्रकारों पर विचार करना पड़ेगा। हां, इस के साथ साथ हमें घरेलू उत्पादन और खपत का भी ध्यान रखना होगा। हमें निर्यात बढ़ाने के लिये अपनी वस्तुओं को बाज़ारों में बराबर पहुंचाते रहना पड़ेगा। अतः यही इस बात के लिये परिपक्व समय है कि एक निर्यात प्रोत्साहन विभाग स्थापित किया जाय।

अब आप व्यापार प्रतिनिधिमंडल को लीजिये। सितम्बर, १९५१ में दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपना एक व्यापार-प्रतिनिधिमंडल भेजने के बाद सरकार ने विदेशों को कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है, न तो विध बाज़ारों को बढ़ाने की बातों पर सोचा है। मैं अनुभव करता हूं कि सरकार को और भी अधिकसंख्या में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने चाहियें ताकि उचित ढंग से बाज़ारों को स्थापित किया जा सके।

इस के पश्चात्, कई ऐसे द्विपक्षीय व्यापार-करार हैं जो विविध देशों के बीच किये जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि एक स्थायी परामर्शदात्री समिति होती थी, और संसद् इन व्यापार-करारों और नीति पर अपना मत देती थी, किन्तु अब वह स्थायी परामर्शदात्री समिति समाप्त की जा चुकी है। मैं जानता हूं कि बहुत से सदस्यों से परामर्श किया जाता है, किन्तु वाणिज्य तथा उद्योग के मामलों में सारे सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिये। जब भी कोई बातचीत की जाय या महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई निश्चय किया जाय तो उन लोगों की राय लेनी चाहिये जो विषय से परिचित हों—भले ही वे किसी भी पार्टी के हों।

मंत्रालय द्वारा अनेक समितियां और उद्योग नियुक्त किये जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि भिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य लिये जाते थे, किन्तु अब सरकारी आश्रय की बात ही चला करती है, और अब यदि कोई सदस्य किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे उसी संस्था या समिति का दृष्टिकोण देना पड़ता है। वह अपना

दृष्टिकोण नहीं कहता । और अब यहां, यदि वह सरकार द्वारा चुना जाय तो वह अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, प्रतिनिधित्व की कोई भी बात नहीं बताता । इस सम्बन्ध में भी सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये । मेरा अपना विश्वास है कि इस तरह की नीति वांच्छनीय नहीं है । सरकार प्रतिनिधि-सदस्यों के अतिरिक्त अपने कई सदस्य नियुक्त कर सकती है ।

व्यापार अथवा किसी अन्य प्रयोजन से भारत से बाहर जाने वाले भारतीयों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिये, क्योंकि हम ने विदेशियों को इस बात की बहुत अधिक स्वतंत्रता दे रखी है जिस से वे किसी भी तरह यहां व्यापार कर सकते हैं या अपने उद्योगों को स्थापित किया करते हैं । जहां तक अनुज्ञप्तियों का प्रश्न है, हम ने विदेशी हितों को खुली छुट्टी दे रखी है और उस के परिणामस्वरूप उन के उद्योग चल रहे हैं और भारतीय उद्योग ठप्प हो चुके हैं । इस सिलसिले में मैं विम्को (दियासलाई) उद्योग तथा लीवर ब्रादर्स साथों का उदाहरण दे सकता हूं । और इस के विरुद्ध होता क्या है कि यदि कोई भारतीय बाहर के किसी देश में व्यापार करने जाता है तो उसे तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं । इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आ जाती है कि जब मैं १९५१ में स्विज़रलैण्ड में था, तो दिवंगत भीरूभाई देसाई, जो वहां भारत के राजदूत थे, ने यह सुझाव दिया था एक भारत-स्विस चैम्बर होना चाहिये, और यद्यपि उन्हों ने इस तरह का चैम्बर बनाने का प्रयत्न भी किया था, किन्तु वहां चैम्बर बनाने के लिये भारतीय लोग आगे नहीं बढ़े क्योंकि वहां व्यापार करने का कोई भी मौका नहीं था । उन का भी यही अनुभव था कि बहुत सी कठिनाइयां आ रही हैं, चुनाचि उन्होंने कई बार मुझ से कहा भी : "हम इन कठिनाइयों को हटा क्यों नहीं सकते ? सरकार को ये कठिनाइयां दूर करनी चाहियें ।" उन्हों ने यहां की सरकार को इस बात के सम्बन्ध में लिखा भी था । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले की तह में जायें क्योंकि हमारे भारतीय निकटस्थ पड़ोसी देशों में ही नहीं जाते बल्कि बहुत दूर-दूर चले जाते हैं । हमारे देश में और देशों की अपेक्षा अधिक विदेशी व्यापार करते हैं । मेरा यह कहने का अभिप्राय नहीं कि उन्हें मनाही की जाय, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें भी विदेशों में व्यापार करने की इतनी ही सुविधायें मिलनी चाहियें । वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि यहां की वर्तमान नीति नियायक प्रभाव पैदा करने वाली है—यह ठीक है किन्तु हमें यह भी देखना है कि क्या इस नीति के होते हुए हमारे स्वदेशी उद्योग अच्छी तरह से चल पायेंगे या नहीं । ऐसा नहीं होना चाहिये कि विदेशी उद्योगों से हमारे स्वदेशी उद्योगों का भण्टाधार हो, जैसा कि होता जा रहा है । मुझे वाणिज्य मंत्री की योग्यता पर विश्वास है, और मैं आशा करता हूं कि उन के हाथ में रहते हुए ये सब बातें पनपेंगी । मुझे इस बात का भी निश्चय है कि वह इन आवश्यक बातों पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री कानूनगो (केन्द्रपाड़ा) : यदि हम पिछले पांच वर्षों का इतिहास देखें तो मैं समझता हूं कि हम ने निरन्तर होने वाले संकटों पर विजय पा ली है । आज हम बैठ कर अपनी स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं बना सकते हैं । हमारे सामने वह कमियां जो पिछले कुछ वर्षों में थीं अब नहीं रही हैं । पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उत्पादन सभी क्षेत्रों में उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है । हमारी स्थिति उतनी साधारण तो नहीं हो पाई है जितनी कि होनी चाहिए थी किन्तु फिर भी

[श्री कानूनगो]

हम खतरों से बच गये हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि हमें अपनी योजना में पूर्ण सफलता मिलेगी। योजना को सफल बनाने के लिए हम एक विशेष रवैया अपनाने जा रहे हैं और वह है—सभी क्षेत्रों में उत्पादन के मामले में एकत्रीकरण की नीति। पिछले वर्षों में छोटे छोटे तथा कुटीर उद्योग धन्धों को एक प्रकार से भुला दिया गया है। उन के प्रति अवहेलना की दृष्टि अपनाई गई है, उन के बारे में कुछ ऐसी धारणा रही है कि अच्छा है कि ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाय। किन्तु हमें भूतकाल की भूलों को दुहराना नहीं है। हमें तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि करना और उद्योगों को अधिक से अधिक उन्नतिशील बनाना है। इस के लिए सभी व्यक्तियों के अनुभव उन की जानकारी, उन की चतुराई की आवश्यकता तथा उस को एक सूत्र में बांधना होगा। इस में सफलता तभी मिल सकती है जब कि सभी व्यक्ति सच्चे दिल से सहयोग दें। हम जानते हैं कि देश में बहुत से व्यापारिक एवं औद्योगिक संघ हैं। उन्हों ने देश के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। किन्तु उन्हों ने देश की आर्थिक व्यवस्था का समाष्टिरूप से कोई ध्यान नहीं रखा है। उन का दृष्टिकोण सीमित तथा उन्हीं तक रहा है। उन्हों ने राष्ट्र के हित का उतना ध्यान नहीं रखा है। हालांकि मैं ने भूतकाल के प्रति कुछ उदासीनता दिखलाई है किन्तु मेरा अभिप्राय: तो यह था कि हमारे उद्योगों ने उतना विकास, एवं उन का दृष्टिकोण वैसा नहीं रहा है जैसा कि पश्चिमी देशों के उद्योगों का है। मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि हम भी उसी प्रकार का अपने यहां भी कार्य करते। मेरा विश्वास कि इस पंचवर्षीय योजना को जो कि आज देश के सम्मुख है सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त है। और वह समय आयेगा जब कि देश के सभी व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र एकत्रित रूप से देश के विकास के लिए प्रयत्न करेंगे। जब तक सरकार को सभी का सहयोग नहीं मिलता तब तक सरकार को सफलता नहीं मिल सकती। दंड देने की नीति अपनाकर वाणिज्य एवं उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता। ऐसी नीति तो कभी, कुसमायोजन तथा संकट-काल में काम आया करती है जब कि सरकार को कठोर नियंत्रण एवं दंड देने का रवैया अपनाना पड़ता है।

उपभोक्ताओं, उत्पादकों एवं वितरकों के प्रति सरकार का कुछ कर्तव्य भी है। संगठित उद्योगों के मामले में यह कर्तव्य सरकार तथा संगठित संस्था औद्योगिक संस्थाओं के बीच बट जाती हैं। किन्तु उत्पादकों की संख्या बहुत बड़ी है और वे समस्त देश में फैले हुए हैं। उन का संगठन करने उन की समस्याओं को समझने तथा उन को निपटाने का कार्य सरकार का है क्यों कि ये उत्पादक उपभोक्ता भी हैं। इन के मामले में सरकार का दायित्व गहन एवं गम्भीर है। किन्तु पिछले वर्ष जो नीति अपनाई गई थी वह ऐसी नीति थी कि जिस का विरोध होना था। ऐसी भूलों से ही अनुभव होता है। जहां सरकार का इतना दायित्व है वहां उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का भी कर्तव्य है कि वे सभी मिलकर कार्य करें।

[पं० ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

पिछले वर्ष में उद्योगों का विकास ही नहीं हुआ अपितु उत्पादन में कुछ नई चीज़ों को चालू भी किया गया है और उनमें पूर्ण सफलता भी मिली है। मेरा तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अधिक बातों को नहीं अपनाना चाहिए अपितु कुछ को अपनायें और उन के विकास के लिए समस्त कला ज्ञान एवं उत्पादन कार्यक्रमों को उन पर

लगा देना चाहिए। देश तो आज यह आशा करता है कि हम सभी चीजें अपने यहां बनाने लगें। किन्तु हमारी सामर्थ्य सीमित है। यदि हम किसी दूसरों से वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो हम से ही कौन लेगा। आयात और निर्यात की नीति में हमें दूसरों के दृष्टिकोण का ध्यान रखना होगा। किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का सच्चा ढंग यही है कि हम उस के दृष्टिकोण का ध्यान रखें। इस प्रकार से सद्भावना बढ़ेगी। धमकियों एवं दंडनीय नीति अपनाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नहीं बढ़ाया जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में गहन प्रतिद्वन्दता काल आने वाला है जब तक हम दूसरों के दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम वहां ठहर नहीं सकते। हमें अतएव अपनी सामर्थ्य के अनुसार-कार्य करना होगा।

श्री के० एस० गौंडर (पैरियाकुलुम) : जैसा कि सदन को ज्ञात है कि इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। कपड़ा उद्योग में काफ़ी उन्नति हुई है। इस उद्योग ने पिछली सारी प्रगति को पार कर दिया है। चीनी उत्पादन में ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और साइकिलों के उत्पादन में ७२ प्रतिशत; उसी प्रकार सीमेंट लोहा तथा अन्य चीज़ों में भी वैसी ही प्रगति हुई है। इस प्रगति के साथ साथ वस्तुओं के दामों में भी गिरावट हुई है। किन्तु मांग की कमी के आधार पर मूल्य कम होने से उत्पादन की प्रगति वह नहीं रह सकती और न उस में वृद्धि ही की जा सकती है। किन्तु मंत्रालय की चतुरतापूर्ण नीति ऐसी रही है कि प्रगति को कम नहीं होने दिया।

विदेशों से आयात तो किया है किन्तु बहुत कम और वह भी अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का। निर्यात नीति में बड़ी उदारता से काम लिया है। निर्यात अनुज्ञप्तियां काफ़ी मात्रा में दी गई हैं एवं निर्यात शुल्क भी कम कर दिया गया है। इस प्रकार हमारे व्यापार का संतुलन ठीक हो गया है।

हाथ करघा बुनकरों को भी मंत्रालय ने काफ़ी आराम दिया है। रुई से बनने वाले कपड़ा उत्पादन पर कर लगा कर उचित समय पर एवं उचित रीति से मंत्रालय ने स्थिति को संभाल कर बुनकरों को राहत दी है। कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति प्रशंसनीय है और हम बड़ी व्यग्रता के साथ उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुटीर एवं छोटे छोटे उद्योगों की उन्नति एवं विकास के लिए सरकार ने दस्तकारी मंडल बनाया है। इस से प्रकट होता है कि सरकार की रुचि छोटे छोटे उद्योगों में काफी है।

नियंत्रण के सम्बन्ध में इस मंत्रालय ने कोई कठोर नीति नहीं अपनाई है; आवश्यकता एवं स्थिति के अनुसार नीति में परिवर्तन भी किया है। राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण भी दिया गया है। यह बहुत ही आवश्यक पग है जिसे सरकार ने उठाया है और इस की बड़ी आवश्यकता थी। उद्योगों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए यह बड़ा आवश्यक पग है। जब तक इस क्षेत्र में हम आत्म निर्भर नहीं हो जाते तब तक हमें उद्योगों के संरक्षण के मामले में उदार नीति से कार्य लेना चाहिए।

श्री वी० पी० नायर : औद्योगिक संवृद्धि काल में एक व्यक्ति कम से कम ३ या ४ बातों की आशा करता है। सर्वप्रथम उत्पादन में वृद्धि तथा नौकरी, आंतरिक उपभोग्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो; जनता की मांग वस्तुओं के लिए बढ़े; किन्तु मेरे विचार से हमारे औद्योगिक संवृद्धिकाल में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विचार से तो यह औद्योगिक संकट काल है। प्रतिवेदन में कहा है कि जूट, चीनी कोयला, कपास से बनने वाला कपड़ा, लोहा एवं इस्पात उद्योग उत्पादन के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया है;

[श्री वी० पी० नायर]

किन्तु मेरे विचार से यह कोरी कल्पना है। जनता के ऊपर इस वृहद् उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

बेकारी बराबर बढ़ रही है। इतने उत्पादन के बावजूद भी फिर यह बेकारी क्यों बढ़ रही है? मज़दूर वर्ग में ही बेकारी नहीं बढ़ रही है अपितु मध्यवर्ग भी इस से पीड़ित है। बेकारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और उद्योग के बाद उद्योग संस्थाएं बन्द होती जा रही हैं। इस पर उद्योग मंत्री हम से कहते हैं कि यह औद्योगिक संवृद्धिकाल है।

मेरे विचार से तथा आप लोगों का भी विचार होगा कि कपड़ा उद्योग में बुनने वाली सभी चीज़ें आती हैं। किन्तु वर्तमान मंत्रालय का अभिप्राय कपड़ा उद्योग से केवल उतने से ही है जो कि मिलों द्वारा तैयार होता है। हाथ करघा से बनने वाले उत्पादन को भी लीजिए? उन की स्थिति क्या है? सरकारी आंकड़ों से प्रकट होता है कि यदि सन् १९३९ में प्रति व्यक्ति के कपड़े का औसतन खर्चा यदि १७ गज प्रति व्यक्ति था तो अब केवल ९·८ गज प्रति व्यक्ति रह गया है। मैं ने एक माननीय मित्र से, प्रातःकाल पूछा था, जो कि कपड़ा उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि कपड़ा उद्योग का क्या हाल है तो वह कहने लगे कि कपड़ा उद्योग संकट में है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि ४८००० लाख गज़ का उत्पादन हुआ है। परन्तु निर्यात की ओर देखें। गत वर्ष यह ८०० लाख गज़ था और दिसम्बर के अन्त तक ४०० लाख गज़ निर्यात में कमी हो रही है मुझे आशा है कि इस वर्ष कपड़े में लाखों गट्ठों की वृद्धि होगी। परन्तु इस से हाथ के करघों के उद्योग को क्षति पहुंचेगी। कपड़ा उद्योग के एक भाग में प्रगति का यह हिसाब है कि जहां पहले १८००० लाख गज़ उत्पन्न होता था अब ८००० लाख गज़ कपड़े का उत्पादन होता है। इस के फलस्वरूप लाखों व्यक्ति बेकार हो गए हैं। कपड़े का प्रति व्यक्ति कितना उपभोग है? कपड़े के उद्योग से केवल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इस से दो प्रकार के लोग लाभ उठाते हैं एक गैर सरकारी लोगों के मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक वाणिज्य मंत्रालय तथा दूसरे मिल मालिक।

इसी प्रकार चीनी के उद्योग में अधिकतम प्रगति हुई है। परन्तु १९३९ के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति का चीनी का उपभोग १० प्रतिशत कम हो गया है। महान योजना में गन्ने की प्रति एकड़ उपज के सुधार के सम्बन्ध में कुछ योजनाएं हैं। परन्तु जब कि पहले प्रति एकड़ उपज ३८२ मन थी तो ५२–५३ में यह केवल ३२२ मन है। यह १५ प्रतिशत कमी है। आज प्रातः ही माननीय कृषि मंत्री ने बताया कि चीनी के कारखानों के पास जितने भंडार हैं इतने पहले कभी नहीं हुए जिस के फल स्वरूप कारखानेदारों ने किसानों को करोड़ों रुपया देना है। गन्ने का मूल्य २०-२५ प्रतिशत कम हो गया है। लाखों गन्ना उत्पादक चीनी उद्योग पर निर्भर करते हैं। आप चीनी बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि यहां उत्पादित चीनी का मूल्य अधिक है। अत्यधिक उत्पादन के कारण हमें उत्पादन में कमी करनी होगी और तदानुसार मज़दूरों में छंटनी करनी पड़ेगी।

कोयला उद्योग को लीजिए। यद्यपि कल कहा गया था कि १९, २० करोड़ में से केवल १·५ करोड़ अंग्रेजों की पूंजी है परन्तु अन्य सभी व्यवहारिक प्रयोजनों से इन उद्योग का नियंत्रण विदेशियों के हाथ में है। यहां कोयले का उपभोग करने वाले उद्योग ही नहीं हैं। आप दक्षिण कोरिया में भेजने के लिए जापान को कोयला निर्यात करते हैं और फिर तटस्थता का दावा करते हैं।

हमारे उत्पादन तथा रचनात्मक कार्यों के लिए लोहे और इस्पात का उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। १९५२ में इस देश ने ३२५,१४४ टन लोहे का निर्यात किया ११, ३५२ टन उत्पादित वस्तुएं भी भेजीं। यह ऐसा देश है जिस के पास अत्याधिक लोहे की कच्ची धातु है, बहुत कोयला है तथा बहुत सस्ती और अधिक मज़दूरी है, तब अपनी आवश्यकता के लिए लोहे और इस्पात का उत्पादन क्यों आरम्भ नहीं करते। इस प्रश्न की जांच के लिये एक शिल्पिक मिशन नियुक्त किया गया था। संभवतः विहित हितों ने उसे घूंस दे दी और उस ने कह दिया कि हमें लोहे और कोयले का प्लांट नहीं चाहिये।

कुछ नियुक्तियों के सम्बन्ध में देखिए। सरकार ने श्री रामासुब्बन को १६ फरवरी से ६ मास के लिए प्रशुल्क आयोग का सदस्य नियुक्त किया ह। मैं गलत हो सकता हूं परन्तु श्री रामासुब्बन का श्री राम नाथ गोइन्का जो पैन्सिल आयात के लिए प्रसिद्ध ह समुदाय का साथ बहुत देर तक सम्बन्ध रहा है। माननीय मंत्री ने कई बार सभा में कहा है कि प्रशुल्क आयोग एक विशेषज्ञ आयोग है। श्री रामासुब्बन के पास ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जिन के कारण वे विशेषज्ञ रूप से कार्य कर सकते हैं।

इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के उपनिजी सचिव को ६००, ७०० रुपये के उच्च वेतन पर रबर बोर्ड का सचिव नियुक्त कर दिया है। वे एक साधारण स्टेनो हैं।

भारतीय पत्रकार की अमरीकन पत्नी को ५०००, ६००० डालर के वेतन पर संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय चाय के लिए प्रचार अधिकारी नियुक्त कर लिया गया है।

मैं डा० पंजाबराव देशमुख द्वारा दिये गए श्री त्यागी के उद्धरण का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता।

"श्री त्यागी ने कहा कि माननीय वाणिज्य मंत्री को अपने मंत्रालय में प्रत्येक व्यक्ति को निकाल देना चाहिये।"

रक्षा संघठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं जान सकता हूं कि मैं ने यह कब कहा था ?

श्री वी० पी० नायर : यह उद्धरण मैं ३१ मार्च, १९५१ के विवादों में से दे रहा हूं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय को उस ढंग के लिए बधाई देता हूं जिस में उस ने देश की सामान्य आर्थिक स्थिति को स्थिर किया तथा उद्योग और उत्पादन को संभाला। यद्यपि सारे विश्व में मंदी का प्रभाव था परन्तु १९५२ में हमारे निर्यात से हमारी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा आई। इस के लिए सारा देश आभारी है।

अब मैं दरों की रूप रेखा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जिस से उद्योग के विकास में सहायता मिल सकती है। यदि अन्य देशों के साथ तुलना की जाए तो इस का महत्व समझा जा सकता है क्योंकि वहां उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए दरों की रूप रचना की नीति को ही अपनाया जाता है। कुछ मित्रों ने बताया है कि यदि कच्ची धातु बाहर के दूर देशों से मंगायी जाए तो दरों के कारण तटवर्ती नगरों को अधिक लाभ होता है बजाए इस के कि जब वे कुछ सौ मील पीछे के प्रदेश से मंगाएं। इस बड़ी प्रतिकूलता के सम्बन्ध में यातायात मंत्रालय को उपयुक्त परामर्श देना चाहिए।

वस्तुतः मेरी समझ में नहीं आता कि हम अपने उत्पाद बाहर भेजने के इतने इच्छुक क्यों हैं। हमारे देश में लाखों व्यक्ति हैं हमें कहीं और मंडी नहीं चाहिये। समस्या तो यह है कि हम अपने देशवासियों के उपभोग की शक्ति को बढ़ाएं जिस से उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिले। इसलिए मेरा

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

प्रस्ताव है कि इस प्रस्ताव को इस दृष्टिकोण से देखा जाए । उपभोग की शक्ति बढ़ाने के साथ धन का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिये क्योंकि यह एक कृषि प्रधान देश है । इस का यह अभिप्राय है कि कच्ची वस्तुओं विशेषत: तेल के बीज, प्याज, गुड़ इत्यादि का अधिक उपयुक्त मूल्य होना चाहिए।

हाथ के करघा उद्योग को इतनी अधिक सहायता देने के लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं । यह उद्योग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । यह समस्या केवल रुढ़िगत अर्थ शास्त्र सम्बन्धी नहीं है वरन् यदि इसे गांधीवादी अर्थ शास्त्रज्ञ की दृष्टि से देखा जाए तो यह संभावना की जाती है कि कुछ दशाब्दियों अथवा कुछ वर्षों के लिए कारखाने का कपड़ा भले ही सस्ता रहे परन्तु इस बात में सन्देह नहीं कि कुछ वर्षों पश्चात् करघे का कपड़ा देश के लिये वरदान बन जाएगा।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि कुछ वस्तुओं अर्थात् अभ्रक और मेंगनीज़ इत्यादि का, जिन पर हमारा विश्व में एकाधिकार है, देश के हित के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा अभिप्राय यह है कि उन के विनिमय द्वारा ऐसी आवश्यक मशीनरी और अन्य वस्तुएं नहीं मंगाई जा रहीं जिन की हमें आवश्यकता है। आज देश में स्वदेशी भावना को अनुप्राणित करने की आवश्यकता है जिस से केवल उपभोक्ताओं का माल मंगवाने की बजाए जनता इस से प्रतिमुख हो जाए और रचनात्मक कार्यों में भाग ले । मैं मंत्रालय और प्रशुल्क आयोग से प्रार्थना करता हूं कि वे आयात नीति के सम्बन्ध में सख्ती से काम लें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिल्प तथा कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में किए गए उपबन्ध अपर्याप्त हैं। इस सम्बन्ध में अनमना व्यवहार नहीं होना चाहिये। या तो हमें अमरीका जैसे देशों की तरह बड़े कार्य करने चाहियें या पुनः ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को अपनाना चाहिये। अन्यथा इस अनमनी नीति से आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी।

प्रो० अग्रवाल (वार्धा) : उत्पादन की प्रगति के सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रतिवेदन प्रभावशाली है । परन्तु मैं देश के शिक्षित युवकों में बेकारी के सम्बन्ध में व्यथित हूं । यह ठीक है कि योजना आयोग ने इस समस्या के हल के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तिम परिच्छेद में सिपारिशें की हैं ।

हमें यह जान कर भी प्रसन्नता है कि भारत सरकार धीरे धीरे कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों के महत्व को समझ रही है । हाल में ही सरकार ने अखिल भारतीय खादी और गांव बोर्ड उद्योग तथा करघा बोर्ड बनाए हैं। आशा है कि इन बोर्डों के फल स्वरूप देश में कुटीर उद्योगों का नियमित विकास हो सकेगा। परन्तु हमें स्वीकार करना चाहिये कि कुटीर उद्योग की प्रगति के लिए गंभीर विचार की आवश्यकता है और कि कुछ थोड़े से साधनों से कुछ नहीं बन सकता।

बेकारी समस्या की गंभीरता से पता चलता है कि देश के इन बड़े बड़े स्थापनों में कुल ३० लाख व्यक्ति लगाए जा सकते हैं।

उन उद्योगों की संख्या बढ़ा दी जाय तो भी ५० लाख से अधिक व्यक्ति काम पर नहीं लगाये जा सकेंगे । इस का अर्थ यह हुआ कि इस देश में पढ़े लिखे, कारीगर और कृषक लोगों की एक भारी संख्या वर्ष के कई महीनों में बेकार रह जाती है । यदि हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें अपनी नीति बिलकुल स्पष्ट करनी होगी । मैं या कोई भी बड़े पैमाने के उद्योगों के विरुद्ध नहीं है ।

लेकिन जहां तक उपभोक्ताओं के उपयोग की वस्तुओं के उद्योगों का सम्बन्ध है, उन का एक बहुत बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकरण करना होगा। यह सोचना कि बिना बड़े पैमाने के उद्योगों को क्षति पहुंचाए हम छोटे पैमाने के, कुटीर और साथ ही साथ बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकेंगे, बिलकुल गलत है और यह कार्य असंभव है। उदाहरणार्थ यदि हम सचमुच खादी का विकास करना चाहते हैं, तो हमें मिलउद्योग में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि मिल के बने हुए कपड़े पर तीन पैसा प्रति गज का एक उपकर लगाया गया है और वह धन खादी तथा अन्य हाथ करघा उद्योगों के विकास के काम में लगाया जायेगा। यह एक अच्छा श्रीगणेश है। किन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें कुछ प्रकार के कपड़ों को केवल कुटीर उद्योगों के लिए रक्षित करना होगा।

छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में योजना आयोग ने पड़े लिखे बेकारों की समस्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे छोटे पैमाने के उद्योगों की एक सूची तैयार की जायेगी जो ५०० रुपये से ५००० रुपये तक की पूंजी से आरम्भ किए जा सकते ह और सरकार को चाहिए कि वह प्रारम्भिक पूंजी और व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधायें देकर उन की सहायता करे। पता नहीं इस दिशा में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय क्या कार्यवाहियां कर चुका है। मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को यथाशीघ्र छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए जोरदार अनुसंधान करने के हेतु कर्मशालाएं स्थापित करनी चाहियें। अभी तक सारा काम बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए होता रहा है। १००० रुपये से लेकर १०,००० रुपये की लागत की छोटी मशीनों का आविष्कार होना चाहिए जिन को हमारे पढ़े लिखे नौजवान काम में ला सकें। पता नहीं इस सम्बन्ध में भी कुछ किया गया है या नहीं। मेरा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से यह अनुरोध है कि वे ऐसे सूचनाकेन्द्र और कर्मशालाएं स्थापित करें जहां कोई भी पढ़ा लिखा या अनपढ़ नौजवान जाकर सारी जानकारी पा सके और आसान शर्तों पर ऋण भी प्राप्त कर सके--अपना व्यापार आरम्भ करने के लिए। एसा कर के ही हम इस बेकारी की बढ़ती हुई समस्या को रोक सकेंग। बकारी की समस्या को एक आर्थिक और राजनैतिक दोनों ही प्रकार का प्रश्न समझना चाहिए।

कुछ दिन हुए मैं ने अमरीका में श्री नीडो द्वारा आविष्कृत एक नए प्रकार के हाथ करघा के विषय में पढ़ा था। यह उस देश में बहुत लोकप्रिय है। इस का वजन १७ पौंड है और मूल्य ७०० रुपया। इस का इंगलैण्ड में भी विज्ञापन हुआ है और वहां वह दस पौंड का मिल सकता है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): वह विज्ञापन गलत है। इंगलैण्ड में वह उपलब्ध नहीं है। हमने अपने उच्चायुक्त से इस बात का पता लगाने को कहा था और उन्हों ने बताया कि वह वहां उपलब्ध नहीं है।

प्रो० अग्रवाल: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने उस को मंगाने का आदेश दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हां। हमने छै मशीनें मंगाई हैं। वे अभी तक आई नहीं हैं।

प्रो० अग्रवाल: सुना जाता है कि इस की सहायता से, थोड़ी ही जगह में, कोई भी व्यक्ति अपने सम्पूर्ण परिवार की आवश्यकताओं के लिए हर प्रकार का कपड़ा कात और बुन सकता है। इसी प्रकार की अन्य उपयोगी मशीनें अन्य देशों से भी मंगाई

[प्रो० अग्रवाल]

जानी चाहियें और उन के सम्बन्ध में लोगों को सारी जानकारियां बतानी चाहिऐं। इस प्रकार सरकार लोगों का बहुत उपकार कर सकती है।

बड़े उद्योगों तथा अन्य कुछ लोगों का कहना है कि ये कुटीर और ग्राम उद्योग आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं हैं। वे इन के द्वारा बनी चीजों के मूल्यों का प्रश्न भी उठाते हैं। मेरे विचार से इन के द्वारा ही हम सब से अच्छी तरह बेकारी की समस्या को हल कर सकते हैं। कुछ विदेशों के समान बिना काम लिए बेकारों को दान देने की बात मुझे पसन्द नहीं है। इस से शारीरिक, मानसिक और नैतिक पतन होता है।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री का क्या प्रबन्ध हो। इस सम्बन्ध में मुझे यह देख कर बहुत दुःख होता है कि हमारे देश में स्वदेशी की भावना बहुत तेजी से समाप्त होती जा रही है। अधिकतर लोग विदेशी वस्तुएं ही खरीदना पसन्द करते हैं। यह एक असंतोष-जनक बात है। अतः मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदे और यदि संभव हो तो उसे एक अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहिए जिस में इन कुटीर और ग्राम उद्योगों का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाय। इस से एक स्वस्थ वातावरण बनेगा और इन उद्योगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकेंगी और सरकार भी एसे उद्योगों के विकास की आवश्यकता की ओर ध्यान दे सकेगी।

अब मैं एक शब्द वनस्पति उद्योग अथवा तेल उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जैसा कि कपड़े पर एक उपकर लगाया गया है, वैसा ही एक उपकर वनस्पति और तेल पर भी लगाया जाना चाहिए ....ग्राम उद्योग में तेल के सुधार के लिए। वनस्पति की अच्छाई के सम्बन्ध में लोगों के विभिन्न मत हैं। कोई उसे अच्छा कहता है और कोई बुरा। और चाहे जो कुछ हो इतना तो निश्चित है कि वह घी से अधिक लाभदायक नहीं है। फिर घी और तेल की इतनी उपेक्षा करके उस उद्योग का विस्तार क्यों किया जा रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में वनस्पति पर रोक लगा दी है, फिर भी केन्द्रीय सरकार उस को वनस्पति लेने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करती रही है। यह अनुचित है। इस से स्थानीय तथा ग्राम उद्योगों को धक्का पहुंचता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी और उन को प्रोत्साहित करेगी।

श्री केलप्पन : अंग्रेजों तथा अन्य विदेशी व्यापारियों के आगमन के समय भारत एक अत्यन्त समृद्धशाली देश था पर उन विदेशियों की वाणिज्यिक और औद्योगिक नीतियों ने हमें बिलकुल बरबाद कर दिया था। किन्तु अब हम गत पांच वर्षों से स्वतंत्र हैं और इस बीच में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है और लोगों की दशा सुधरी है, पर खेद है कि हमारी ग्रामीण जनता अभी भी बेकारी और गरीबी के गर्त में पड़ी हुई सड़ रही है। सरकार उन की दशा सुधारने में असफल रही है। सच तो यह है कि उन की दशा और खराब हो गई है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ५० प्रतिशत से अधिक ग्रामीण लोग बेकार हैं और उन्हें केवल आधा पेट भोजन प्राप्त होता है। यही दशा देश में हर जगह है। सर्वत्र वे अज्ञानता के गर्त में पड़े हुए हैं, उन के पास रहने के स्थान को

बहुत कमी है और उन की अनेक सामाजिक समस्यायें भी हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपने गांवों की उपेक्षा कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना के होते हुए भी, मेरा अनुमान यह है कि उस योजना की समाप्ति पर भी ग्रामीणों की बहुत कुछ ऐसी ही दशा रहेगी । उस में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है । मैं तो यह समझता हूं कि वास्तव में पंचवर्षीय योजना के पास बेकारी की समस्या को हल करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है । हमारी बेकारी की समस्या और बिगड़ जायगी और गरीबी बढ़ जायगी । समस्या यह है कि हम बेकारों को काम किस प्रकार दें । जब हम बेकारी की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा तात्पर्य संगठित औद्योगिक मज़दूरों से होता है और गांवों के गरीब लोगों से नहीं ।

देश के उद्योगों में लगभग २५ लाख मज़दूर काम करते हैं । यह संख्या कुल जन-संख्या का १ प्रतिशत भाग भी नहीं है । इस के अतिरिक्त हमारे देश में प्रतिवर्ष ५० लाख लोग और बढ़ जाते हैं । बड़े उद्योग इतने लोगों को कदापि काम नहीं दे सकते ।

बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में पंच-वर्षीय योजना के जो अनुमान और कार्यक्रम हैं वह ऊंट के मुंह में केवल एक जीरा मात्र है । सरकार के पास बेकारी की समस्या को हल करने के लिए कोई ठीक अच्छी योजना ही नहीं है । यही हमारी मुख्य समस्या है । मेरे विचार से इस का एक मात्र उपाय यही है कि खादी और कुटीर उद्योगों के आधार पर गांवों को अपनी मूल आवश्यकताएं पूरी करने के हेतु स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए । वास्तव में यही कांग्रेस का भी कार्यक्रम था । कांग्रेस का उद्योगवाद में विश्वास नहीं था । गांधी जी भी औद्योगीकरण और मशीनी-करण के विरुद्ध थे । उन का मत था कि औद्योगीकरण द्वारा ग्राम उद्योगों को लुप्त करने से ७००,००० गांव बरबाद हो जायेंगे । मशीनीकरण के सम्बन्ध में इन का विचार था कि यह नीति उस जगह पर एक बुरी चीज़ होती है जहां पर काम कम और काम करने वाले अधिक हों, जैसा कि भारत में है । गांधी जी खादी-उद्योग के विकास के पक्ष में थे और उन का विश्वास था कि सारे भारत को कम से कम पूंजी और समय में खादी पहनाई जा सकती है। बहुत कुछ ऐसे ही विचार राजेन्द्र बाबू ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ४८वें अधिवेशन में व्यक्त किए थे ।

अब जब कि हम स्वतन्त्र हैं, हम यह कह सकते हैं कि यदि हम खादी और ग्राम उद्योगों की उपेक्षा करेंगे तो जनता और सरकार के बीच जो सम्बन्ध है वह टूट जायेगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने पन्द्रह मिनिट से अधिक समय ले लिया है । उन्हें अपना भाषण एक या दो मिनिट में समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री केलप्पन : मेरे विचार में औद्योगी-करण से समस्या कभी नहीं सुलझ सकती । इस के लिये हमें कृषि और गृह-उद्योगों पर ही आश्रित होना पड़ेगा ।

गृह-उद्योगों के विषय में सरकार सर्वथा कौतूहलपूर्ण विचार रखती प्रतीत होती है । गृह उद्योग-धन्धों से उन का तात्पर्य कुछ ऐसी नवीन वस्तुओं के उद्योगों से है जिन की बिक्री के लिये अभी उन्हें बाज़ार ढूंढ़ना है । निश्चित है कि इन वस्तुओं के लिये आप को भारत से बाहर कोई बाज़ार नहीं मिल सकते । व्यापार एवं छोटे-छोटे उद्योगों के विषय में सरकार घातक नीति का अनुसरण कर रही है । मैं केवल यही कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । हम विदेशों से विलास-प्रिय वस्तुएं, टायलेट्स, साबुन, दंदक्रीम, तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का आयात कर

[श्री केलप्पन]

रहे हैं किन्तु हमें असंदिग्ध रूप से इन वस्तुओं का उत्पादन भारत के लिये ही सुरक्षित रखना चाहिये। इन वस्तुओं के उत्पादन में न तो बाहरी पूंजी की आवश्यकता है और न वे विदेशी विशेषज्ञों के परामर्श पर ही निर्भर है। अतः यदि आप श्रेष्ठ कार्य-विधि और असीमित साधनों से सम्पन्न विदेशी उद्योगों को उन पदार्थों के उत्पादन में भारतीय उद्योगों के प्रतिरूप में खड़ा करते हैं तो निश्चित है कि देश के समस्त लघुकामिक धन्धे काल-कवलित हो जायेंगे।

मैं राज्यकीय व्यापार के विषय में कुछ शब्द और कहना चाहता हूं। मैं वस्तुतः....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वह अपनी वक्तृता समाप्त कर दें। उन्हों ने सत्रह या अठारह मिनिट पहले ही ले लिये हैं। यदि वह फिर एक नया विषय प्रारम्भ करते हैं तो उस का अर्थ है कम से कम पांच मिनिट का समय और।

श्री केलप्पन : मैं केवल पांच सेकण्ड बोलूंगा।

सभापति महोदय : पांच मिनिट !

श्री केलप्पन : पांच सेकण्ड।

मेरा विचार है सरकार को निर्यात व्यापार के प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये। साधारण शिकायत सुनते आये हैं कि जिन पदार्थों को हम बाहर भेजते हैं वह हमारे द्वारा भेजे गये नमूनों के अनुसार नहीं होती हैं। अन्य और भी कारण हैं कि जिन के फलस्वरूप हमें इन वस्तुओं का इतना माल नहीं मिल पाता जितना कि इन्हीं वस्तुओं को भेजने पर दूसरे देशों को मिल जाता है। सरकार निर्यात व्यापार की सहायता से इन उद्योगों की वृद्धि में योग दे सकती है। इसी तरह कोयला, बैंकिंग और बीमा आदि उद्योगों का राष्ट्रीय-करण वाञ्छनीय है। राष्ट्रहित की दृष्टि से ऐसा करना सरकार का कर्तव्य है।

श्री अच्युतन (त्रिचिनापल्ली) : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और इस अल्प समय में मैं इस पर विहंगम दृष्टि से भी विचार व्यक्त नहीं कर सकूंगा। वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री अपने कार्य को समुचित रूप से कर रहे हैं। १९५२ के वृत्तान्त से भी यह मालूम होता है कि भुगतान स्थिति के साधारण संतुलन के सम्बन्ध में हमारी स्थिति अच्छी है। अधिक वस्तुओं का निर्यात और कम वस्तुओं के आयात की व्यवस्था का श्रेय मन्त्रालय को है। प्रतिवेदन के अन्त में संलग्न सूची से प्रकट होता है कि विलास की वस्तुओं का काफी मात्रा में यहां आयात होता है। प्रोफेसर अग्रवाल के विचारानुसार, जो कि कांग्रेस के महासचिव भी हैं, इन विलासप्रद वस्तुओं का अन्त कर देना चाहिये और भारत में इन का आयात रोक देना चाहिये। जब तक स्वदेशी आन्दोलन को लोकप्रिय नहीं बनाया जाता और सरकार किसी उत्कृष्ट माध्यम का आश्रय नहीं लेती मैं नहीं सोचता कि भारत की भावी आर्थिक व्यवस्था समुचित रूप धारण करेगी। आजकल बाज़ारों में विभिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं और साधारण मनुष्य बिना कुछ विचार किये उन्हें खरीद लेता और इस तरह धन विदेशों में चला जाता है।

हम आयात में कमी देख रहे हैं। यह शुभ लक्षण है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बार और कहना चाहता हूं। जैसा कि मलाबार के एक माननीय सदस्य ने कहा वस्तुओं का गुण आवश्यक है। भारत द्वारा विदेशों को भेजे गये पदार्थों में से किसी के भी विषय में यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि यथार्थ वस्तु नमूने की तुलना में निम्नकोटि की है। मेरा विचार है कि ईमानदारी सब से अच्छी नीति

है और उच्च कोटि की वस्तु सदैव सस्ती होती है। अतः सरकार को देखना चाहिये कि किसी भी उपाय से—विधान द्वारा—वस्तुओं की कोटि अथवा श्रेणी का सावधानीपूर्वक ध्यान रखा जाता है।

मैं यह नहीं समझता कि राष्ट्रमंडल वरीयता से क्या विशेष लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मंत्री महोदय को उक्त राष्ट्रमंडल वरीयता व्यवहार की व्याख्या कर हमें इस आशय का संप्रत्ययन कराना चाहिये कि इस से अमुक लाभ हो रहे हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान मंत्रालय लगभग सभी देशों से व्यापार करार कर रहा है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि सभी देशों की यह इच्छा रहती है कि वे अधिक निर्यात और कम आयात करें। मुझे वस्तुतः खुशी है कि हाल ही में पाकिस्तान से भी करार किया है और अब पटसन की स्थिति में सुधार दिखाई दिया है। हमारी मनोवृत्ति यही होनी चाहिये। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि सभी देश हमारे यहां उत्पादित एवं निर्मित वस्तुओं के खरीदार हों।

एक विषय और है, भारतीय वस्तुओं का विदेशों में विज्ञापन। इन के प्रचार एवं विज्ञापन का स्तर समुचित नहीं है। हमारी हस्तकला की वस्तुएं, अन्य उत्पादित सामग्री और दूसरी अलभ्य चीज़ें जिन का व्यापार लाभप्रद सिद्ध हो सकता है विदेशों में पर्याप्त प्रज्ञापन नहीं पा रहीं। समस्त राजदूतालयों और व्यापार के अन्य साधनों को यह कार्य सौंप देना चाहिये और इन औद्योगिक उत्पादनों के प्रकाशन के किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दिया जाये।

आन्तरिक औद्योगिक नीति और व्यापार के विषय में हमारी स्थिति दुर्बोध है। हमारे प्रधान मंत्री द्वारा सन् १९४८ में मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में आभास प्रकट किया था; कुछ सप्ताह पूर्व ही मैं ने व्यापार एवं उद्योग की भारतीय परिषदों के संघ के अध्यक्षीय भाषण के रूप में श्री जैन के विचार पढ़े थे जिस में उन्हों ने कहा है कि निजी क्षेत्र पंच वर्षीय योजना का स्वागत करने के लिये तत्पर है और उस दिशा में अपने कर्त्तव्य की पूर्ति करने के लिये संघ अधीर है। इस वक्तव्य ने हमारे हृदयों में शंकाएं उत्पन्न कर दी हैं। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। विदेशी पूंजी के विषय में उन्हों ने कहा है कि उस से वे बहुत अधिक प्रफुल्ल नहीं हैं तथा उक्त पूंजी के साथ कुछ शर्तें अवश्य लगाई जानी चाहिये।

मैं करेला के माननीय सदस्य के मत की अभिव्यक्ति से पूर्णतया सहमत हूं कि औद्योगिक प्रांगण में गृह-उद्योग, खादी और लघुकामिक धन्धों को भी उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है। इस दिशा में मद्रास के मुख्य मंत्री श्री राजगोपालाचारी का प्रयत्न सराहनीय है। हमें इस बात के लिये सतत् आबद्ध रहना चाहिये कि हाथकरघे पर काम करने वाले कहीं देश के लिये किसी समय भार न बन जायं। इन व्यक्तियों की विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शोषण से भी रक्षा करना आवश्यक है। यह गंभीर विषय है। जब बेरोज़गारी बढ़ती है, जब रोटी और रोज़ी का प्रश्न विकराल रूप धारण कर लेता है तब आदर्शवाद के सिद्धान्त काम नहीं आते हैं। जब किसी वर्ग की दशा दयनीय तथा निर्धनता से आग्रस्त होती है तभी ये राजनीतिक दल उन्हें अपनी कार्यसिद्धि के लिये अधिकृत कर लेते हैं और पशुओं की नाईं ये व्यक्ति मतकेन्द्रों पर ले जाये जाते हैं। यदि हम ने इस ओर गंभीर रुख नहीं अपनाया तो निकट भविष्य में ही हमें किसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा।

मैं तटकर आयोग की प्रशंसा करता हूं। वह एक समर्थ निकाय है जो अपने कार्य से पूर्णतया अवगत है।

[श्री अच्युतन]

मैं सुपारी पर लगाये गये ढाई आने के लगभग के आयात शुल्क के विषय में भी कुछ कहूंगा। दक्षिण में सुपारी उत्पादकों के लिये यह गम्भीर समस्या है। वाणिज्य मंत्री और वित्तमंत्री महोदयों के सम्मुख प्रतिनिधित्व करने पर कुछ अस्थायी छूट दी गई है। श्रीलंका और यहां की परिस्थिति में अन्तर है। श्रीलंका में सुपारी की उत्पत्ति, मानव प्रयत्न से असम्बद्ध सर्वथा प्राकृतिक है। इस देश में उस को उगाने के लिये बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, छे महीनों तक उसे पानी देना पड़ता है। यदि इन उत्पादकों को आर्थिक मूल्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो उद्योग कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकेगा और अन्ततोगत्वा नष्ट हो जायगा।

औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है। उस का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। राष्ट्रीयकरण की वृद्धिगत मांग को दृष्टिगत करते हुए निगम को चाहिये कि वे छोटे छोटे धन्धों को समृद्ध होने के लिये उन्हें वित्तीय सहायता का आश्वासन दे और हानि के भय से मुक्त कर साहसपूर्ण भावना से कार्य प्रारम्भ करने के लिये प्रेरित करें।

दो या तीन वर्ष पूर्व सरकार ने जापान में एक समिति भेजी थी। उक्त समिति ने एक प्रतिवेदन भी उपस्थित किया है। मैं ने उसे पढ़ा है किन्तु मैं नहीं जानता कि सरकार जापानी ढंग पर हमारे देश में राष्ट्रीयकरण की नीति को अंगीकार क्यों नहीं करती। उस प्रतिवेदन से हम बहुत कुछ सीखकर उन का अनुकरण कर सकते हैं। गृह उद्योगों के बिकास तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिये।

ट्रावनकोर-कोचीन में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या दिनों दिन उग्ररूप धारण करती जा रही है जब तक समानता के आधार पर जनसंख्या की व्यवस्था और वहां के निवासियों के प्रवर्जन की व्यवस्था नहीं की जाती यह प्रश्न किसी दिन संभालनी दुष्कर हो जायगी। मेरे माननीय मित्र श्री केलप्पन ने हमें गांधी जी के विचारों का पुनर्स्मरण कराया किन्तु अभी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं। अमरीका अथवा ब्रिटेन ने विचारणीय प्रगति कर ली हो किन्तु हमारे देश का विस्तार, देश की उद्योगों का अल्प राष्ट्रीयकरण देखते हुए हमें स्वदेशी के प्रोत्साहन, गृह उद्योगों के विकास और विकेन्द्रीयकरण को स्वीकार कर निजी प्रांगण पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। हमारी अर्थ व्यवस्था को वृद्धि की ओर उन्मुख करने का यही एकमात्र उपाय है।

डा० रामसुभग सिंह : (शाहबाद–दक्षिण) मैं लम्बी वक्तृता नहीं दे रहा हूं। मुझे केवल एक या दो बातें कहना है। मेरा विचार है कि जहां तक किसी देश के आत्म-सम्मान और वहां के नागरिकों के आर्थिक अवसरों का सम्बन्ध है वे महत्वपूर्ण हैं। यह एक विचित्र और विरोधपूर्ण तथ्य है कि भारत सरकार अमेरिकनों और समस्त विदेशियों को इस देश में रहने और व्यापारिक सम्वृद्धि करने की पूर्ण सुविधाएं देती है वहीं दूसरी ओर हमारे देशवासियों को विदेशों में उसी व्युतक्रमिक स्तर का उपभोग नहीं करने दिया जाता। माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस विभेदपूर्ण व्यवहार का अंत करने के लिये अविलम्ब कदम उठाएं।

दूसरा विषय विदेशी समवायों द्वारा भारतीयों की नियुक्ति है। माननीय मंत्री जी ने इस विषय में मुझे कुछ सूचना दी है। उस से प्रकट होता है कि बहुत कम विदेशी समवायों ने उच्च पदों पर लगभग पच्चीस प्रतिशत भारतीयों को लिया है। और १५०० रु० अथवा उस से अधिक वेतन के पदों पर

लगभग दस प्रतिशत भारतीय नियुक्त हैं। इन्हीं समवायों ने पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा स्थित उद्योगों में विदेशियों के लिये भरती की मनाही कर दी है। वे केवल पाकिस्तानी, बर्मावासी और श्रीलंका के नागरिक को ही नियुक्त कर सकते हैं किन्तु ७५ प्रतिशत अथवा उस से भी अधिक संख्या में विदेशियों को नहीं रख सकती। श्रीलंका में यह सम्भव हो सकता है क्योंकि वह पूर्णतया ब्रिटिश सरकार पर निर्भर है किन्तु अन्य देशों में नहीं। भारत में स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। ये समवाय सरकारी विज्ञप्तियों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। उन के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन फर्मों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही की जाये और यह देखा जाये कि भारत तथा विदेशों के नागरिकों को, जहां तक वेतन, भत्ता तथा अन्य समस्त सुविधाओं का सम्बन्ध है एक सी ही शर्तों पर नियुक्त किया जाये। आज भी हम यह देखते हैं कि कुछ फर्में भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती हैं केवल इस कारण कि सरकार चाहती है कि कोई विदेशी यहां आकर कुछ उद्योग आरम्भ करे। अत्याधिक बेकारी होने के कारण जनता निराश हो रही है और कोई नहीं जानता कि क्या होगा।

मैं चाहता हूं कि हाथ करघा की बनी वस्तुओं तथा कुटीर उद्योग के उत्पादनों को प्रोत्साहन दिया जाये परन्तु गरीब जनता का गला काटकर नहीं। सरकार को कर लगाने का बड़ा शौक है। वस्तुतः इस का बहुत थोड़ा भाग उस कार्य पर व्यय होता है जिस के लिए यह लिया जाता है। अतः सरकार को अधिक कर नहीं लगाने चाहिएं और खाने की तम्बाकू पर लगे कर को कम कर दिया जाये।

श्री एन० आर० एम० स्वामी (वान्दिवाश): सर्व प्रथम मैं चमड़ा कमाने के उद्योग पर विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह उद्योग केवल दक्षिणी भारत में प्रचलित है और राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में, सैकड़ों मज़दूरों को काम देकर तथा बहुमूल्य विदेशी पावना प्राप्त कर के, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इस उद्योग की उन्नति की बजाये अवनति हो रही है। इस के कारण तो बहुत हैं परन्तु मैं थोड़ों का उल्लेख करूंगा और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उन पर विचार करेंगे। दक्षिणी भारत में कमाई गई खालें आदि अधिकतर यू० के० को जाती हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस व्यापार में बहुत से व्यापारी बिगड़ गये हैं। इस का कारण यह है कि जब कोई सौदा होता है तो क्रयकर्त्ता कुछ विशेष-निर्देश देते हैं और माल प्राप्त करने के पश्चात् वे उन का अर्थ अपने विचारानुकूल लगाते हैं और बीच के अन्तर को व्यापारियों से मांगते हैं। मुझे पता लगा है कि तीन चार व्यापारी केवल इसी कारण बिगड़ गये हैं कि स्वयं भारत में माल का कोई स्तरीकरण-संगठन नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान दें और यहां स्तरीकरण संगठन जैसी कोई व्यवस्था करें। वर्तमान रीति से केवल निजी व्यक्तियों को ही हानि नहीं होती अपितु देश को भी हानि होती है। यदि यह सम्भव न हो तो कम से कम यू० के० में एक क्रय-विक्रय प्राधिकारी नियुक्त किया जाये। फिर ये वस्तुएं उसे भेजी जायेंगी और वह उन का परीक्षण करेगा तथा वहां क्रय करने वालों को दे देगा जिस के लिए उस के पश्चात् धन दे दिया जायेगा।

चमड़ा कमाने के उद्योग के लिए आवश्यक कच्ची वस्तुओं में अधिकतर कच्ची खालों तथा बबूल की छाल की आवश्यकता होती है। विभाजन के पश्चात् खाल देने वाला मुख्य क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है और आजकल

[श्री एन० आर० एम० स्वामी]

हमारा उन से इन के सम्बन्ध में समझौता है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा कमी पूरी करने की दृष्टि से हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि कच्ची खालों का निर्यात न हो।

दूसरी बात मैं हाथ करघा उद्योग के विषय में कहना चाहता हूं। यह उद्योग अधिकतर दक्षिणी भारत में है और मुझे विदित हुआ है, कि सूत की कमी के कारण इस उद्योग में लगे व्यक्ति भिखारी की स्थिति को पहुंच गये हैं।

इस उद्योग को आर्थिक सहायता देने की दृष्टि से, हाल में ही, इस सदन में कर लगाने के लिए एक विधान प्रस्तुत किया गया जिस के परिणामस्वरूप हमें ६ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। परन्तु मेरा सुझाव यह है कि सारे बुनकरों को कम दामों पर सूत दिया जाये इसके अतिरिक्त, हमें हाथकरघा के उत्पादन का स्तरीकरण भी करना होगा। इस प्रकार हम उस के लिए बाज़ार भी ढूंढ़ सकेंगे।

भारत के कुछ भागों में कपड़े का बाहुल्य है। मेरा सुझाव है कि पूर्वी एशिया, इण्डोनेशिया आदि देशों में एक क्रय विक्रय प्राधिकारी नियुक्त किया जाये। वह यह पता लगायेगा कि वे किस प्रकार का कपड़ा चाहते हैं और फिर हम अपने उत्पादकों से वैसा ही कपड़ा बनाने को कह सकते हैं। निश्चय ही हम उन के विक्रय के लिए बाज़ार पा सकते हैं।

हाल में आयात निर्यात कर आयोग से आयात नीति के सम्बन्ध में कुछ सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने को कहा गया था। इस के पूर्व कि सिफ़ारिशें प्रस्तुत की जातीं, मोटर कारों का आयात किया गया। सरकार आयोग की सिफ़ारिशों के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकती थी और देखती कि आयोग की सिफ़ारिशें क्या हैं। इस प्रकार हमारी आयात नीति काल्पनिक प्रकार की है।

मुझे बताया गया है कि रेडियो के आयात पर ५० से ६० प्रतिशत तक आयात कर लिया जाता है। होना तो यह चाहिए कि हम इनके आयात को प्रोत्साहन दें क्योंकि इन के द्वारा जनता का अधिकतर ग्रामवासियों का, शिक्षण होता है। परन्तु हम उन पर इतना अधिक कर लगाते हैं जिस के परिणाम स्वरूप रेडियो लेने वाले को अधिक मूल्य देना पड़ता है।

मैं भारत-पाकिस्तान समझौते के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि जूट में हम केवल स्वावलम्बी ही नहीं हैं अपितु कुछ बचा भी सकते हैं। परन्तु, हाल के ही समझौते में देखता हूं कि हम जूट का आयात कर रहे हैं और उस के लिये कोयले का निर्यात। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि किसी विदेश से समझौता नहीं किया जाये अपितु यह कि ऐसा करने में राष्ट्र के हित की रक्षा की जाये। और लाभ शक्ति को तटस्थ न कर दिया जाय। पाकिस्तान को कोयला का निर्यात करने में हम लाभ उठा सकते थे परन्तु हमने ऐसा नहीं किया।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य): मैं समझ नहीं पाता कि बड़े बड़े उद्योगों के बारे में हमारी सरकार की नीति क्या है! मैं कई बार कह चुका हूं कि निजी उद्योगों में सरकार ने उन में से बहुत सों पर नियन्त्रण कर लिया है। २१ वर्ष से सरकार चीनी उद्योग को रक्षा प्रदान करती रही है और यह अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका है। क्या कभी हम ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि हमें कच्ची सामग्री सस्ती मिलती है? आज एक माननीय सदस्य ने कहा था कि गन्ने के उत्पादन में कमी हो गई है। जब तक हम गन्ना सस्ते दामों पर उत्पन्न नहीं करते, जो कि हम कर सकते हैं, हम यह नहीं कह सकते कि हमारे चीनी उद्योग ने प्रगति की है। बिहार में गन्ना उत्पादकों की एक

प्रदर्शनी हुई थी और वहां ३००० मन प्रति एकड़ गन्ना उत्पन्न किया गया था । यदि सरकार और उन व्यक्तियों को जो कृषकों को अधिक मूल्य देना चाहते हैं, देखना चाहिए कि कृषक ऐसे ढंग अपनायें जिन से गन्ने का अधिक उत्पादन हो । इस का परिणाम यह होगा कि दो रु० की अपेक्षा एक रु० प्रति मन मूल्य पाकर भी उन्हें अन्त में अधिक रु० मिलेगा । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें ।

इसी प्रकार, जूट के प्रश्न पर कल माननीय मन्त्री ने कहा था कि मन्दी का प्रभाव और किसी पर नहीं केवल कच्चे जूट के मूल्य पर पड़ रहा है अर्थात् केवल उत्पादक ही हानि सहन कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि यदि उत्पादकों को इस प्रकार हानि पहुंचाई जाती है, तो आप निर्मित वस्तुएं किस प्रकार उत्पन्न करेंगे ? यदि उत्पादकों को अपने दैनिक परिश्रम का भी फल—वेतन के रूप में—नहीं मिलता तो हमारे मन्त्री महोदय कैसे आशा करते हैं कि हम अपना उद्योग चला सकेंगे ? यही स्थिति चीनी आदि अन्य उद्योगों की है ।

कल मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री कोई ऐसा उपाय बतायेंगे जिस से इस वर्ष उत्पादकों को कुछ अधिक धन प्राप्त होगा । बिहार के सम्बन्ध में उन्हों ने कहा कि वहां यातायात की कठिनाइयां हैं । जब तक उन्हें यातायात सुविधायें नहीं दी जातीं, उन्हें अधिक जूट उत्पन्न करने को न कहा जाये । यह कोई उत्तर नहीं है । जब हम जूट-उत्पादकों को अधिक मूल्य दे सकते हैं तो उन्हें जूट उत्पन्न करने के व्यवसाय से केवल यातायात की कठिनाइयों के कारण क्यों वंचित किया जाये । क्या सरकार ने जूट के प्रति-एकड़-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, अच्छा बीज, अधिक खाद आदि देकर, कोई कार्यवाही की है ? यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और सरकार आजकल इस ओर ध्यान नहीं दे रही । वह सदैव ही समस्या को अल्पकाल के दृष्टिकोण से सुलझाती हैं । परन्तु आप दीर्घकालीन समस्या को कैसे सुलझाओगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यही मेरी कठिनाई है ।

श्री झुनझुनवाला : यह आप ही को सुलझानी है । यदि आप नहीं सुलझा सकते तो सम्बन्धित पक्षों पर छोड़ दीजिये । वे इसे सुलझाना जानते हैं । परन्तु आप हस्ताक्षेप करते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि आप यह कठिनाई दूर नहीं कर सकते और उत्पादकों को हानि उठाने देते हैं ।

मुझे बतलाया गया है कि पटसन उत्पादकों के पास अभी १० लाख गांठें पड़ी हैं । यदि सरकार उस पटसन के निर्यात की अनुमति दे तो उन्हें १ करोड़ रु० और मिल सकता है । परन्तु माननीय मंत्री के अनुसार वर्तमान स्थिति में पटसन के निर्यात का औचित्य होते हुए भी यह हमारे लिए हानिकर है । मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । यदि हम केवल उस पटसन का निर्यात करें जिस की हमारे वस्तु-निर्माताओं को आवश्यकता नहीं, परन्तु जिसकी मांग विदेशी मण्डियों में है तो कोई कठिनाई नहीं रह जाती । वस्तुतः स्थिति यह है कि विदेशों में हमारी पटसन की वस्तुएं अब इसलिए अप्रिय हो गई हैं कि बढ़िया पटसन में घटिया पटसन मिला दी जाती है । इस पर मूल्य बहुत अधिक लगाया जाता है । हमारे वस्तु-निर्माता इस समय १०० गज़ के लिए ९२ रु० का मूल्य लगा रहे हैं, परन्तु यदि वे ७८ रु० या ८२ रु० की दर पर भी बेचें तो उन्हें काफ़ी लाभ रहता है ।

डा० एम० एम० दास : (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां) क्या पटसन के निर्यात पर इस समय प्रतिबन्ध लगा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां ।

श्री झुनझुनवाला : मंत्री महोदय ने अपने भाषण के अन्त में केवल कच्चे पटसन के निर्यात को, जिस से पटसन मिलें बन्द हो जायेंगी, एक पृथक् मामला बतलाया है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसी ही बात है तो इस में कोई हानि नहीं। हमें इसी प्रकार से ही कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी चाहिये। यदि त्याग करना ही है तो हमारी जनता के सभी वर्ग यह त्याग करें तथा एक वर्ग विशेष पर ही इस सारे बोझ को न डाला जाय।

श्री बंसल (झज्जर—रिवाड़ी) : माननीय मंत्री ने बड़ी मन्दी के दिनों में कार्य-भार सम्भाला था। तब से उन के सचिवालय में बहुत सुधार हुआ है तथा सरकार तथा वाणिज्य व उद्योग में परस्पर सहयोग बढ़ गया है। इस कारण माननीय मंत्री हमारी बधाई के पात्र हैं।

वर्ष १९५२ में हम ने अन्तर्देशीय उत्पादन तथा विदेश व्यापार में उल्लेखनीय उन्नति की है। कुछेक उद्योगों में उत्पादन कम हो गया है। सदन को इस के कारणों पर उचित विचार करना चाहिये। मेरा निर्देश डीज़ल इंजनों, मोटर गाड़ियों, बिजली से चलने वाले पम्पों, खुश्क बैट्रियों, ब्लेडों, सुपर फास्फेट, कपड़ा धोने के सोडे, ग्लेसरीन आदि से है। मंत्रालय की विकास परिषद् को इस बारे में जांच करनी चाहिये तथा इन उद्योगों को कठिनाइयों से दूर करने में सहायता देनी चाहिये।

मंत्रालय की विकास परिषद् के पास अच्छा कर्मचारी वर्ग होते हुए भी अभी तक केवल दो विकास परिषदों की स्थापना की गई है। मेरा विचार था कि उद्योगों को अधिक सहायता देने के अभिप्राय से इस वर्ष और परिषदों की स्थापना की जायगी। मैं आशा करता हूं कि इस विभाग में दो तीन सीनियर व्यक्ति रखे जायेंगे जिस से फैसले तुरन्त किये जा सकें।

मैं समझता हूं कि उत्पादन में कमी के तीन कारण हैं; कुछ वस्तुओं के आयात सम्बंधी नीति, विदेश सहायता कार्यक्रम जिस के बारे में हमारी सरकार वचनबद्ध है तथा अन्तर्देशीय और वैदेशिक मांग में कमी। इन में से कुछ कारणों को तो दूर किया जा सकता है, कुछेक को दूर नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अवस्था में मानवीय तथा प्राकृतिक साधन व्यर्थ में नष्ट होते हैं जो बात राष्ट्र के लिए अत्यन्त हानिकारक है। हमें यत्न करना चाहिये कि हम अपने पूर्ण सामर्थ्य से उत्पादन करें।

इस वर्ष में माननीय मंत्री की नीति के फलस्वरूप स्थानीय उद्योग को हानि नहीं पहुंची तथा आयात नीति से देश के उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। लाइसेंस सम्बन्धी नीति से अवश्य कुछ कठिनाई का सामना होता है। इस से नए व्यक्तियों को नए उद्योगों के चलाने का विश्वास नहीं बंधता अतएव मेरा सुझाव है कि प्रत्येक उद्योग को इस शर्त के साथ लाइसेंस दिया जाय कि उत्पादन को वर्तमान खपत से २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक अधिक मात्रा में किया जायगा। इस सम्बन्ध में केवल वैदेशिक पूंजी को अपवाद दिया जाय।

जब तक कोई स्वदेशीय उद्योग विद्यमान है तथा वह अपने देश की खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है तो किसी वैदेशिक पूंजी के इस देश में लगाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। हाल में ऐसे कुछ मामले देखने में आए हैं। पिछले अवसर पर बोलते समय मैं ने खुश्क बैट्रियों तथा टाइप की मशीनों के नाम लिए थे। तब से साबुन तथा नाइट्रोसेलूलस तथा कुछ और वस्तुओं के उद्योगों के बढ़ाने की अनुमति दी गई है। लकड़ी में लगने वाले पेचों का एक मामूली उद्योग है। फिर भी इस में विदेशी पूंजी के लगाए जाने की अनुमति दी गई है। हमारे अपने उद्योग हैं जो वर्ष में ३००० टन

ऐसे पेच बना सकते हैं। मुझे विदेशी पूंजी से कोई झिझक नहीं है, परन्तु विस्तृत स्तर पर विकास के लिए ही विदेशी पूंजी का लगाया जाना उचित है। विदेशी पूंजी को केवल उन उद्योगों में लगाया जाय जिन में देश का हित है तथा उन कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिये जिन से स्थानीय उद्योगों से प्रतियोगिता बढ़ती हो। बड़े बड़े उद्योगों में जैसे इस्पात संयन्त्र आदि में अधिकाधिक विदेशी पूंजी के लगने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

समय थोड़ा होने से अब मैं कुछेक शब्द केवल व्यापार संतुलन के बारे में ही कहूंगा। यह बात उत्साहजनक है कि इस वर्ष में व्यापार संतुलन के सम्बन्ध में हमारी स्थिति काफ़ी सुधर गई है। केवल नवम्बर में चिन्ताजनक अवगति हुई है। इस कारण माननीय मंत्री को सारे प्रश्न पर विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये हमारे सारे व्यापार में इस प्रकार का समन्वय होना चाहिये कि खाद्य आदि का जितना आयात हो, उतना ही हम दूसरी वस्तुओं का निर्यात करें। यदि कोई कमी रह जाय तो उसे कुछ समय काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं के आयात से पूरा किया जाय। इस के लिए दो लेखाएं रखी जायं क तथा ख। लेखा 'क' के अन्तर्गत खाद्य, उपभोक्ता वस्तुओं तथा कच्चे माल के आयात के आंकड़े रखे जायें तथा लेखा 'ख' के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं के आंकड़े। वाणिज्य मंत्री को मेरा सुझाव यह है कि "हम उन सब वस्तुओं का निर्यात करें जिन का हम कर सकते हैं, परन्तु आयात केवल उन्हीं वस्तुओं का करें जो नितान्त आवश्यक है"। केवल इस सिद्धान्त के अनुसरण से ही हम अपने व्यापार तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति को ऐसे बनाए रखेंगे जिस से हमारी बड़ी बड़ी विकास योजनाएं पूरी हो सकेंगी।

श्री के० के० बसु : सर्व प्रथम मैं कुछ शब्द सरकार की वैदेशिक व्यापार तथा विशेषता से पूंजीगत वस्तुओं के आयात सम्बन्धी नीति के बारे में कहना चाहता हूं। प्रशुल्क आयोग के अनुसार हमारी अल्प-कालीन व्यापार निवृत्ति का एक उद्देश्य यह है कि 'आवश्यक प्रतिस्थापन, माल के संचय तथा नई वस्तुओं के निर्माण सम्बन्धी एक पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम को पूरा किया जाय'। आंकड़ों से हम देखते हैं कि हमारे देश में पूंजीगत वस्तुओं का आयात पूर्व युद्धकाल से भी कम हो गया है। आज जब कि प्रत्येक उद्योग की मशीनों को बदलने तथा नए उद्योगों को चलाने के लिए और मशीनों की इतनी आवश्यकता है, हम अपनी आवश्यकता के केवल १८ प्रतिशत भाग का ही आयात कर रहे हैं। चीन जैसे देश ने भी पूंजीगत वस्तुओं सम्बन्धी अपनी आवश्यकता के ३५ से ४० प्रतिशत भाग का आयात करना आरम्भ कर दिया है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी नीति के इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करे।

दूसरी बात मैं उन देशों के गुट के बारे में कहना चाहता हूं जिन से हमारा व्यापार है। सरकार ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वैदेशिक व्यापार के सम्बन्ध में हम मुख्यतः ब्रिटेन तथा अमरीका पर निर्भर करते हैं जिस तथ्य का हमारे अन्तर्देशीय व्यापार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। पटसन का मामला ही ले लीजिये। जब तक अमरीका में माल जमा होता रहा, हमारी स्थिति बहुत अच्छी रही, जभी माल का जमा होना बन्द हुआ, स्थिति बिगड़ने लगी। इस से पटसन मिलों तथा पटसन वस्तुओं में मन्दी का आना आरम्भ हो गया। अन्त में मज़दूरों तथा कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा। छंटनी होने लगी। परन्तु एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का आश्वासन देने के सिवाय सरकार कुछ भी नहीं कर सकी।

[श्री के० के० बसु]

इस के बाद आप चपड़े (शैलेक) के मामले को लीजिये। हम जानते हैं कि एक समय था जब हम चपड़े से काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त करते थे। मुख्यता हमारा निर्यात अमरीका तथा ब्रिटेन को होता था। जब उन देशों ने हमारे चपड़े का लेना बन्द कर दिया तो उद्योग पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अनेक कर्मचारियों को नौकरी से जवाब मिल गया तथा वे लोग अब दुःख उठा रहे हैं। आज से दो वर्ष पहले रूस ने भी २ करोड़ रुपये का चपड़ा खरीदा था और अब उस देश ने भी इस का लेना बन्द कर दिया है। सरकार को यह आशा नहीं करनी चाहिये कि कोई देश हमारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारे घर चल कर आयेगा। हमें पूंजीपति तथा साम्राज्यवादी देशों पर ही निर्भर नहीं करना चाहिये। हम देखते हैं कि और मांगों के ढूंढने का सरकार कोई प्रयत्न नहीं कर रही है।

अभ्रक का हाल भी यही है। मुझे बताया गया है कि इस वस्तु की हंगरी, ज़ेकोस्लोवेकिया आदि यूरोपीय देशों में मांग है। पता नहीं कि आप कुछेक निश्चित देशों पर ही क्यों निर्भर करते हैं। व्यापार के लिए नई मंडियों को न ढूंढने से हमारे व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस से हमारी जनता की क्रय-शक्ति कम हो जायगी तथा देश की अन्तर्देशीय मन्डियों में व्यापार कम हो जायगा।

'व्यापार तथा उद्योग' नाम की पत्रिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि विदेशों में अपने व्यापार आयुक्तों को नियुक्त करते समय हम ने रूस, हंगरी, ज़ेकोस्लोवोकिया तथा चीन जैसे देशों की, जिन्हों ने अपने व्यापारिक एजेन्ट यहां नियुक्त कर रखे हैं, उपेक्षा कर दी गई है। हमारा कहना यह नहीं कि अमरीका तथा ब्रिटेन से हम सम्बन्ध विच्छेद कर दें। हमारे विदेश व्यापार में स्थिरता होनी चाहिये। हमारे विचार में उस देश को जो उन्नति करना चाहता है ऐसे देशों के साथ दीर्घ-कालीन व्यापार समझौते करने चाहियें जो उसे सहायता देने के लिये तैयार हों। हमें कुछ दिन पहले यह बताया गया था कि कुछ देश जैसे चेकोस्लोवाकिया, हंगरी सोवियट रूस हमें पूंजी माल देने के लिये तैयार हैं; मैं जानना चाहता हूं कि उन से वह माल क्यों नहीं लिया गया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमने अपने यहां के कुछ माल के बदले में उन से यह वस्तुएं लेने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं। इन देशों के साथ दीर्घ-कालीन समझौते करने से हमें बड़ा लाभ होगा।

बहुत से सदस्य इस देश के विदेश व्यापार में विदेशियों का ज्यादा हाथ होने के बारे में बोल चुके हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमारा अपने व्यापार के १५ प्रतिशत भाग से अधिक पर नियंत्रण नहीं है। मेरा सुझाव है कि अपने यहां के उद्योगों को विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारा अपने निर्यात व्यापार पर भली प्रकार से नियंत्रण हो।

अब संरक्षण शुल्कों को लीजिये। हम देखते हैं कि सरकार ने एक ऐसे उद्योग को सहायता एवं संरक्षण दिया है जिस पर विदेशियों का नियंत्रण है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, भले ही निर्माता हमारे यहां कोई हों। हमारे यहां लीवर ब्रदर्स हैं और अमरीका तथा इंग्लैंड की बड़ी बड़ी बैटरी फैक्टरियां हैं। यदि सरकार राष्ट्रीय उद्योगों की उन्नति चाहती है, तो उस के यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि चूंकि ब्रिटिश पूंजी यहां आती है और सम्बन्धित

कम्पनी भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध होती है अतः वह एक भारतीय कम्पनी हो जाती है। उन्हें तो भारतीय उद्योगों के बराबर ही फ़ायदे मिलते हैं। मेरी राय में अब समय आ गया है कि सरकार हवाना चार्टर या साम्राजीय अधिमान के बारे में अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। हमें अपने लाभों को ध्यान में रखते हुए सब देशों के साथ स्वतंत्र सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें।

जहां तक स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का प्रश्न है मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति देश को सम्पन्न बनाने के लिये इन का प्रयोग करने के लिये तैयार होगा। परन्तु इस के लिये हमें ठीक तरह से कार्य आरम्भ करना होगा। मुझे विश्वास है कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी।

श्री भगवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : मुझे खेद है कि सदस्यों ने सरकार की नीति को नहीं वरन् तटकर आयोग के सदस्यों की आलोचना पर ही अधिक समय लिया है। यदि हम, इस सदन के सदस्य, यहां सरकार की नीति के बजाय व्यक्तिगत बातों की चर्चा करने लगेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि इस संसद् से क्या लाभ है।

मैं देखता हूं कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति की असफलता के प्रश्न पर चर्चा करने के लिये मांग १ व २ के सम्बन्ध में बहुत सारे कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। सरकार की औद्योगिक नीति ६ अप्रैल १९४८ के वक्तव्य में स्पष्ट रूप से दी गई है। किसी सरकार की औद्योगिक नीति की सफलता की वास्तविक कसौटी उत्पादन क्षेत्र में उस नीति के फलस्वरूप हुई उन्नति है और इसी कसौटी से हमें भारत सरकार की नीति की परीक्षा करनी चाहिये। वर्ष १९५२ में बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद भी औद्योगिक उत्पादन या देशनांक १२८.७ था जब कि १९५१ में वह ११७.२ था और १९५० में १०५.० । उत्पादन में सब से अधिक वृद्धि कपड़े के उद्योग में हुई। वर्ष १९५२ में कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में १९५१ की अपेक्षा २५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अन्य उद्योगों जैसे इस्पात, सीमेन्ट आदि में भी पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि हुई है। यदि इन बातों में कोई गलती हो तो माननीय मित्र उन का खंडन कर सकते हैं। चीनी, साइकिलें, सीने की मशीनें, बिजली के लैम्प, प्लाई वुड तथा रासायनिकों में भी वृद्धि काफ़ी हुई है। इस से प्रगट होता है कि उत्पादन क्षेत्र में भारत सरकार की औद्योगिक नीति सफल रही है।

जहां तक विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मेरे विचार में योजना आयोग ने पंच-वर्षीय योजना में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये ९४ करोड़ और मूल उद्योगों के विकास के लिये ५० करोड़ की व्यवस्था की है। औद्योगिक क्षेत्र में कुल ३२७ करोड़ रुपये का विनियोजन होगा जिस में से ९४ करोड़ सरकारी क्षेत्र में और शेष गैर सरकारी क्षेत्र में होगा। जहां तक वर्तमान परिस्थितियों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन और विकास हो रहा है उस में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अलुमीनियम, सीमेन्ट, लोहा और इस्पात के क्षेत्र में हमने जो उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये हैं, आशा है कि हम उन्हें पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों ने हमारी आयात व निर्यात नीति की आलोचना की है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम जिन वस्तुओं के बारे में आयात पर निर्भर करते थे उन में से बहुत सी वस्तुएं, जैसे हरीकेन लालटेन, स्टोरेज बैटरियां, बिजली के लैम्प, साइकिलें, छोटे डीज़िल इंजन आदि अब हम अपने यहां ही बनाने लगे हैं। इंजीनियरिंग

[श्री भगवत झा]

क्षेत्र में भी हमारे यहां बहुत सी चीजें बनने लगी हैं। इन सब बातों से प्रगट है कि सरकार ने जो नीति अपनाई है उस से उद्योग धन्धों में काफ़ी प्रगति हुई है।

अब मैं विदेशी फ़र्मों में भारतीयों को रखने के प्रश्न पर आता हूं। अन्य देशों में विदेशियों द्वारा नियंत्रित फ़र्मों में देश के ५० प्रतिशत से अधिक लोग लगे हुए हैं। मेरे विचार में यहां भी ऐसा ही होना चाहिये। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है १०६० विदेशी फ़र्मों में १००० रुपये और इस से अधिक वेतन के पदों पर ७५ प्रतिशत लोग गैर-भारतीय हैं। इस से नीचे की श्रेणियों में भारतीयों की संख्या अवश्य अधिक है—३०० रु० से ४९९ रु० तक की श्रेणी में ९९ प्रतिशत हैं और ५०० रु० से ९९९ रु० की श्रेणी में ८५ प्रतिशत है। नीचे की दो श्रेणियों में तो भारतीयों की संख्या संतोषजनक है परन्तु १००० रु० से अधिक वाले पदों पर केवल २४·३ प्रतिशत भारतीयों का होना उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि इस में वृद्धि करने के लिये क़दम उठाये जायें। यद्यपि यह कार्य सरल नहीं है फिर भी कुछ ऐसी कार्यवाही की ज़ानी चाहिये जिस से इन फ़र्मों में कोई विदेशी न रखा जाये।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान लोक लेखा समिति की चौथी रिपोर्ट के पैरा २३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में सुझाव दिया गया है कि जो अधिकारी राज्य व्यापार में गड़बड़ करने तथा सरकार को ५५ लाख रुपये का नुक़सान पहुंचाने के लिये ज़िम्मेदार हैं उन के बारे में जांच की जाये और अपराधियों को सजा दी जाये। मैं जानता हूं यह गड़बड़ वर्तमान मंत्री महोदय के समय में नहीं हुई थी परन्तु फिर भी उन का यह कर्त्तव्य है कि वह इन अधिकारियों को उचित दंड दें।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति सफल रही है और वर्त्तमान मंत्रियों के योग्य संचालन के फलस्वरूप वह भविष्य में और भी सफल होगी।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने, जो अभी बोल कर बैठे हैं कहा कि मैं ने तटकर आयोग के सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से आलोचना की। यह बिलकुल ग़लत है। मैं तटकर आयोग के एक नये सदस्य की योग्यता जानना चाहता था। मैं ने रिसर्च विभाग से पूछताछ की जिस ने मुझ से मंत्रालय से सूचना प्राप्त करने के लिये कहा। मैं ने भी एच० वी० आर० आयंगर को टेलीफ़ोन किया; उन्हों ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इसी कारण मैं ने यह प्रश्न उठाया था।

श्री भगवत झा : आप नाक एक तरह से न पकड़ कर दूसरी तरह से पकड़ रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर : यदि माननीय यह समझे हैं कि मैं तटकर आयोग के किसी सदस्य की व्यक्तिगत रूप से आलोचना कर रहा था तो वह ग़लती कर रहे हैं।

सेठ अचल सिंह (ज़िला आगरा—पश्चिम) : कामर्स और इंडस्ट्री का विषय हमारे भारतवर्ष के वास्ते उतना ही जरूरी है जितना कि कृषि का मसला। यह बहुत बड़ा देश है और इस की खुशहाली तभी रह सकती है जब कि इस का वाणिज्य व्यवसाय ठीक ढंग से चलाया जाय।

हम ने देखा है कि अंग्रेजों के समय में यहां से तमाम कच्चा माल विदेशों को जाता था और उस के एवज में वहां से तैयार माल बन कर आता था और यहां बिकता था। इस तरह से विदेशी लोग भारतवर्ष से कई गुना

फायदा उठाते थे । लेकिन बाद में हिन्दुस्तानियों में जाग्रति हुई और उन्हों ने आन्दोलन किया तो हिन्दुस्तानियों के व्यवसाय और वाणिज्य को बढ़ाने की कोशिश की गई। दूसरी लड़ाई से पहले हमारे देश में काफी मंदी थी। हर चीज़ काफी तादाद में मिलती थी। चीनी सात रुपये मन मिलती थी, लोहा ६ या ७ रुपये मन मिलता था, सीमेंट की बोरी दो रुपये में मिलती थी, गेहूं और दूसरा गल्ला दो रुपये मन बिकता था । कपास तीन रुपये मन बिकती थी, रूई दस रुपये मन बिकती थी, कपड़ा दो आने से चार आने गज तक मिलता था । इस तरह से हर चीज़ काफी मन्दी थी । लेकिन दूसरी लड़ाई के दौरान में जो हमारे ज़खीरे थे उन को अंग्रेज काम में लाये और उस को लड़ाई पर भेजा और वह लड़ाई करीब ६ बरस चली । यह मानी हुई बात है कि लड़ाई के दौरान में जितने ज़खीरे होते हैं वह काम में लाये जाते हैं, और अंग्रजों ने हिन्दुस्तान का जितना माल था, कपड़ा, सूत, लोहा, खाद्य वस्तुएं आदि जितनी दीगर चीज़ें थीं उन को लड़ाई के काम में लगाया। यहां तक कि यहां के जितने स्टाक थे खत्म हो गये और यहां पर बहुत कमी पैदा हो गई। इस वजह से यहां पर कंट्रोल वगैरह लगू किये गये। बहर हाल जब १५ अगस्त १९४७ को अंग्रेज लोग गये और हम लोगों के हाथ में हिन्दुस्तान आया उस समय की हालत जो हमारे देश की थी वह किसी से छिपी नहीं है । उस वक्त रिफ्यूजीज का मसला, काश्मीर का युद्ध, अनाज की कमी और साम्प्रदायिक झगड़े और रजवाड़ों का आन्दोलन यह तमाम चीज़ें बेचैनी पैदा कर रही थीं। तो यह एक ताज्जुब की बात है कि किस तरह से हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी हालत में इन पांच छः बरसों में हमारे देश की स्थिति को बनाया । यह मामूली बात नहीं है । देश की स्थिति सदियों में बनती है। लेकिन जो कुछ हमारी भारत वर्ष की सरकार ने किया है वह एक ताज्जुब की बात है। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो कपड़े की कमी थी रूई की कमी थी, जूट की कमी थी, लोहे की कमी थी, सीमेंट की कमी थी वह बहुत हद तक पूरी हो गई है और हमारी पंच वर्षीय योजना के अनुसार कोशिश की जा रही है कि और तमाम कमियां पूरी हो जायें। लेकिन यह उसी हालत में हो सकता है जब कि देश के लोग इस में सहयोग दें। होता यह है कि जो कांग्रेस के खिलाफ पार्टियां हैं वे आज कल सत्याग्रह और आन्दोलन कर रही हैं और इस काम में रुकावट डालती हैं और तरक्की में बाधा डालती हैं। जरूरत इस बात की है कि सब पार्टियों को सरकार को सहयोग देना चाहिये और देश की तरक्की में हाथ बटाना चाहिये । उसी हालत में हम अपने देश की पूरी तरक्की कर सकते हैं ।

टैक्सटायल इंडस्ट्री के बारे में. हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। अब कपड़े की कमी कतई नहीं है। हमारे देशवासियों को १४ गज पर कैपिटा (per capita) के हिसाब से कपड़ा मिल सकता है और उस के अलावा यहां से बाहर भी भेजा जा सकता है

अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं और जो हमारे देहात के मजदूर हैं उन को किस तरह से काम पर लगाया जाये। काश्त का पेशा तो साल भर में चन्द महीने चलता है । बाकी समय में हमारे खेतिहर मजदूर बेकार रहते हैं और उन के पास कोई काम नहीं रहता। उन का और शहर के नौजवानों की बेकारी का मसला हमारे सामने है । इस के वास्ते तीन बोर्ड बनाये गये हैं, हैंड लूम बोर्ड, हैंडी क्राफ्ट बोर्ड और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। यह बहुत उपयोगी संस्थायें हैं और अगर इस काम

[सेठ अचल सिंह]

को ठीक ठीक चलाया गया तो उम्मीद है कि हमारे यहां की बेकारी बहुत कुछ हद तक दूर हो सकती है। हमारे ८० फी सदी लोग देहातों में रहते हैं उन की बेकारी इस तरह दूर हो जायेगी। हमारे जो शहरों के विद्यार्थी हैं उन को एम्प्लायमेंट नहीं मिलता है। अगर विलेज इंडस्ट्री और काटेज इंडस्ट्री का काम ठीक ढ़ंग से चलाया जाय तो बहुत कुछ हमारा अनएम्प्लायमेंट का मसला हल हो सकता है और इस के वास्ते मैं यह सजेस्ट करूंगा कि छोटी छोटी मशीनें, मैन पावर की हों या इलैक्ट्रिक पावर की हों, वह देहातों में और शहरों में मंगानी चाहियें जिस से कि लोगों को काम मिल सकें और अपनी जीविका पैदा कर सकें।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में और लाना चाहता हूं। वह यह कि हम देखते हैं कि हमारे माल का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। नमूने के मुआफिक माल नहीं बनता। जब कि चन्द वर्ष पहले कंट्रोल रहा उस समय हमारे कारखाने वाले नमूना कुछ देते थे और कपड़ा और दीगर सामान कुछ और बनाते थे और तमाम इंडस्ट्री में यह हालत थी कि नमूने के मुताबिक माल नहीं होता था। इस बात पर अब काफी गौर करना चाहिये और ध्यान देना चाहिये कि स्टैंडर्ड को कायम रखा जाये और माल जैसा दिखलाया जावे वैसा ही मिले।

अन्त में मैं आगरे के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आगरा विलेज इंडस्ट्री के लिये बहुत मशहूर है। वहां पर तीन चार इंडस्ट्रीज हैं, एक जूते की इंडस्ट्री है, दूसरी ताज माडल इंडस्ट्री है, तीसरी बेंगिल इंडस्ट्री है और चौथी कारपेट और दरी इंडस्ट्री है। लड़ाई के जमाने में यहां की जूते की इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की थी कि एशिया का कोई ऐसा देश नहीं था जिस का मुकाबला आगरा न कर सके। लड़ाई के जमाने में ४५ हजार जोड़ा जूता रोजाना बनते थे और इस में लोगों ने काफी पैसा पैदा किया और काफी माल यहां से ईराक, ईरान, ईजिप्ट और दूसरी जगहों को भेजा जाता था। लेकिन जब से लड़ाई खत्म हो गई है और पाकिस्तान बन गया है तब से इस काम में बहुत तनज्जुली होती जाती है। इस वक्त मुश्किल से १५ हजार जोड़े बनते हैं और जो कारीगर लोग हैं उन के मकान बिक गये हैं जेवरात बिक गये हैं और वह बहुत खराब हालत में हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में कोशिश होनी चाहिये। और उस की उन्नति और सुधार होना चाहिये। उस की देखभाल के लिये कोई इकानामिस्ट या टैक्नीकल मैन भेजा जाना चाहिये जोकि इसका सर्वे (Survey) करे और उस के फलस्वरूप सरकार को इस इंडस्ट्री की रक्षा और सहायता करनी चाहिये ताकि यह होम इंडस्ट्री जिन्दा रह सके।

दूसरी इंडस्ट्री चूड़ियों की है जो कि फीरोज़ाबाद में होती है। पहले कुछ चूड़ियां जापान और जैकोस्लोवाकिया से आती थीं लेकिन वह अब बन्द हो गई हैं क्योंकि जो चूड़ी फीरोज़ाबाद में बनती हैं वह बहुत सस्ती होती हैं। यहां चूड़ियों के ९० कारखाने हैं उनमें से चालीस पैंतालीस चल रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि उन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिलता है। लड़ाई के जमाने में बहुत ही ऊंचे दामों पर मिलता था लेकिन अब भी कुछ माल मुश्किल से मिलता है। उन को लिक्विड गोल्ड और कोयला बहुत कम मिलता है। हमारी सरकार ने लिक्विड गोल्ड का लाइसेंस इंगलैंड को दिया हुआ है। लेकिन यहां से पूरा लिक्विड गोल्ड नहीं आता है पाकिस्तान के लोग और दूसरे लोग उस को ब्लैक मारकेट में यहां ला कर बेचते हैं।

लिक्विड गोल्ड की दो आऊंस की शीशी जिस का दाम कि ड्यूटी देने के बाद अड़तीस रुपया होता है यहां ब्लैक मारकेट में पचास रुपये तक बिकती है। अगर माननीय मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें तो इस में काफी सुभीता हो सकता है ।

इसी प्रकार कोयला भी बहुत कम मिलता है। इस से भी काम बन्द रहता है। मैं इस प्रश्न को कई मर्तबा हाउस में ला चुका हूं। लेकिन कभी यह कह दिया जाता है कि वैगन नहीं मिलते और कभी कुछ और कह दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मध्य भारत में लोगों को काफी कोयला मिलता है। समझ में नहीं आता कि उन को किस तरह से इतना कोयला मिल जाता है। फीरोज़ाबाद के लोग मध्य भारत से कोयला लाते हैं और काम करते हैं ।

क्या वजह है कि मध्य भारत को ज़्यादा कोयला दिया जाता है। तो मैं कहूंगा कि फीरोज़ाबाद को पूरा कोयला इस इंडस्ट्री के लिये मिलना चाहिये। इस इंडस्ट्री में करीब ४०-४५ हजार आदमी लगे हुए हैं और इस में करोड़ों रुपया लगा हुआ है ।

दूसरा विषय जो है वह एम्ब्रायडरी का है, ताज माडल्स का है, कारपैट्स और दरियों का है। इस से लाखों रुपयों के डालर अमरीका से आता है । इस वक्त टूरिस्ट्स आगरे में बहुत काफी आ रहे हैं और वे लोग यहां के एम्ब्रायडरी के काम को और ताज माडल्स और कारपैट्स को बहुत पसन्द करते हैं और खरीद करते हैं। इस के वास्ते भी काफी कोशिश करनी चाहिये जिस से कि लाखों रुपयों के डालर वहां से आ सकें।

अन्त में मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारी सरकार ने इंडस्ट्री के सम्बन्धमें उन्नति का काम किया है वह वाक़ई में बहुत ही सन्तोष-जनक है और हम आशा करते हैं कि जो पंच-वर्षीय योजना है उस के अनुसार हम कार्य पूरा करेंगे तो हमारा देश मालामाल होगा।

डा० एम० एम० दास : मैं सरकार की पटसन नीति के बारे में कुछ बोलूंगा । स्पष्ट बात तो यह है कि मेरे लिये इस नीति का सिर पैर भी मालूम करना बहुत कठिन है। अवमूल्यन के पश्चात् जब पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध टूटे तो हमारी पटसन मिलों को तथा सरकार को हमारे यहां के पटसन उत्पादकों पर ही निर्भर होना पड़ा। उस समय पटसन उगाने वालों को अधिक से अधिक पटसन उगाने के लिये कहा गया। पश्चिमी बंगाल सरकार से कहा गया कि वह काश्तकारों से धान बोने के बजाय पटसन बोने के लिये कहे। पटसन के अधिक से अधिक उत्पादन के लिये बहुत कुछ सुधार किया गया। इन सब के फलस्वरूप देश में पटसन का उत्पादन काफी बढ़ गया।

जब अमरीका और अन्य देशों ने स्टाक इकट्ठा करना बन्द किया तो पटसन की वस्तुओं और पटसन के दाम गिरने लगे। पटसन के बाजार में मन्दी आ गई। पटसन उगाने वालों को सब से बड़ा धक्का पाकिस्तान से हाल ही में हुए व्यापार समझौते से पहुंचा है। मैं सदन से कहूंगा कि वह पटसन उगाने वालों की दशा पर विचार करे। सरकार के लालच देने पर उन्होंने इतना पटसन उगाया और अब उसी सरकार ने पटसन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । न तो यह पटसन भारत के बाहर भेजा जा सकता है न ही भारतीय मिलें भारतीय पटसन खरीद रही हैं क्यों कि वे पाकिस्तानी पटसन लेना अधिक पसन्द करती हैं। अब बताइये बेचारे काश्ताकार क्या करें? मुझे पता लगा है कुछ ग़रीब काश्त-कारों ने ८ रुपये और ९ रुपये प्रतिमन तक पटसन बेचा है। केवल कुछ खाते पीते किसान

[डा० एम० एम० दास]

ही अपना स्टाक रोक सके हैं और भारतीय मिल मालिक सोच रहे हैं कि आखिर यह किसान कब तक अपना माल रोक सकेंगे। माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कई बार इस बात को गलत बता चुके हैं कि कच्चे पटसन के बाजार में वर्तमान मन्दी पाकिस्तान से हुए हाल ही के समझौते से हुई है।

पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता करना वांछनीय है। किन्तु तथ्य यह है कि हमारी सरकार ने देश के पटसन उत्पादकों के साथ घोर अन्याय किया है। सरकार इस आरोप से बच नहीं सकती कि उस ने राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इस देश के पटसन उत्पादकों को बलि का बकरा बनाया है। मैं जानता हूं कि भारतीय पटसन मिलें भारतीय पटसन खरीदेंगी परन्तु कब ? वे उस समय खरीदेंगी जब वे देखेंगी कि भारतीय किसान उन के सामने ठहर नहीं सकता और वे जिस मूल्य पर इसे खरीदेंगी वह उस मूल्य से जो कि किसानों के लिये लाभ प्रद हो सकता है, बहुत कम होगा।

श्री करमरकर : मैं इस समय दो मुख्य प्रश्नों,——आयात तथा निर्यात की नीति और कुटीर उद्योग की चर्चा करना चाहूंगा। आयात तथा निर्यात नीतियों पर आलोचना करते हुए हमें थोड़े समय को नहीं बल्कि काफी लम्बी अवधि को ध्यान में रखना चाहिये। यदि हम बादमें उपभोक्ता की और पूंजी वस्तुओं और कच्चे माल के चार साल पहले की स्थिति का मुकाबला आज की स्थिति से करें, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि हमारी विदेशी व्यापार नीतियों से देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं निर्यात के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आप के सामने रखता हूं। १९४८-४९ में हम ने ४५३ करोड़ रुपये का माल निर्यात किया, १९४९-५० में ५०६ करोड़ रुपये का, १९५०-५१ में ६०१ करोड़ रुपये का और १९५१-५२ में ७३२ करोड़ रुपये का। हमें अपनी आयात नीति विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अनुकूल ही बनानी होती है और हमारी यह नीति बिल्कुल एक रूप रही है। यह स्वाभाविक है कि इस सम्बन्ध में कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की जायें। सब से पहले खाद्य को प्राथमिकता दी गई। उस के बाद औद्योगिक उत्पादन को और उस के बाद उद्योग के लिये कच्चे माल को। पूंजी वस्तुओं के आयात को भी हमें काफी महत्व देना पड़ा था। सब के बाद उपभोक्ता की वस्तुओं की बारी आती थी। यदि हम आज की स्थिति का मुकाबला चार वर्ष पहले की स्थिति से करें, तो हम देखेंगे कि हम किसी भी उद्योग से यह शिकायत नहीं प्राप्त हुई कि हम ने उसे पूंजी वस्तुएं या कच्ची सामग्री नहीं दी या कम दी है। हम इस नीति पर स्थिर रहे हैं कि भोग-विलास की वस्तुओं का आयात कम से कम किया जाये। मेरा विचार है कि सदन इस बात की सराहना करेगा कि हमारी आयात नीतियों से देश की आवश्यकतायें उचित रूप से पूरी हुई हैं।

कुछ सदस्यों ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के बारे में कहा था। जैसा कि सदन को विदित है कि हम पहले कच्चा माल निर्यात करते थे और तैयार माल आयात करते थे। किन्तु अब हमारा विदेशी व्यापार बदल गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

हम कच्चे माल का निर्यात क्रमशः कम करते जा रहे हैं और तैयार माल का निर्यात बढ़ाते जा रहे। मेरा विचार है कि सदन यह मानेगा कि यह एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है

हम ने यह भी चेष्टा की है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने का काम यथासंभव प्रभावोत्पादक रूप से किया जाये। इस सम्बन्ध में कुछ लोगों के दिल में कुछ गलत फहमी है। उदाहरणतया एक मित्र ने मुझ से पूछा था कि हम विदेशों में अपनी वस्तुओं के बारे में विज्ञापन क्यों नहीं देते। जहां तक हमारे कुटीर उद्योग के माल का सम्बन्ध है, यह बात ठीक है, किन्तु उन चीजों के बारे में जो कि यहां उत्पादित की जाती हैं और जिन्हें हम निर्यात कर सकते हैं, सरकार की ओर से विज्ञापन दिया जाना बिल्कुल वांछनीय न होगा। निजी उद्योग को हम हर प्रकार की सहायता देते रहे हैं और देना चाहते हैं। हमारे विभिन्न व्यापार कार्यालय उद्यमी निर्यात करने वालों को अधिकतम सहायता देने के लिये उत्सुक हैं। वास्तव में, विभिन्न देशों के लिये हमारे विभिन्न विभाग हैं। अमेरिका के लिये अलग विभाग है और यूरोप के लिये अलग।

निर्यात के माल की उत्तमता बनाये रखने के बारे में भी कुछ बातें कही गई थीं। इस विषय में भी हम बिल्कुल सहमत हैं कि हमें उत्तमता का ध्यान रखना चाहिये, किन्तु मैं आशा करता हूं कि यदि सदन यह नहीं चाहता कि सरकार के पास अमुक वस्तुओं का निर्यात बन्द करने का अधिकार होना चाहिये, तो वह अनुभव करेगा कि इस दिशा में सरकार के प्रयत्न अवश्य ही सीमित रहेंगे। हो सकता है कि कुछ विभागों में हमें ऐसे अधिकार लेने पड़ें, किन्तु इस समय अपने निर्यात को प्रोत्साहन देने का दायित्व बहुत हद तक स्वयं औद्योगिक उत्पादकों पर ही है। हमारे दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए उद्योग पतियों को आलस्य के कारण निर्यात में अवनति नहीं होने देनी चाहिये।

विदेशी सार्थों में भारतीयों के नियोजन के सम्बन्ध में कुछ कहा गया था। समय थोड़ा है अतः मैं सदन के समक्ष कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत करूंगा। मुझे पक्का निश्चिय है कि इस सम्बन्ध में मेरे सहयोगी द्वारा जो पग उठाये जा रहे हैं उन्हें सदन जानता है और उस की सराहना करेगा : वास्तव में इस प्रश्न को निबटाने के दो तरीके हैं। एक विनियमन का है, विधि द्वारा अपने हाथ में शक्ति ले कर यह कहा जाय कि कोई विदेशी सार्थ कल से किसी विदेशी कर्मचारी को अपने यहां नियुक्त न करे। इसे करने का एक और भी तरीका है, और वह यह कि थोड़ा सा दबाव डाला जाये या प्रेरणा की जाये जिस से कि कुछ समय में विदेशी कर्मचारियों का नियोजन कम होता जाये और अन्त में इतना कम हो जाये जितना कि हम चाहते हैं। कुछ सार्थों के मांगी गई जानकारी न देने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया था,। यह बात ठीक है, परन्तु यदि हमें यह जानकारी नहीं मिलती तो हमारे पास भी उन से जानकारी पता करने का अपना तरीका है। हमें इस में जरा भी सन्देह नहीं है कि कोई भी विदेशी सार्थ हमारी प्रार्थना को ठुकरायेगा नहीं। जो कोई सार्थ उत्तर नहीं देगा उसे मांगी हुई जानकारी देने की प्रेरणा की जायेगी। उन में से अधिकांश ने स्वेच्छा से यह जानकारी भेज दी है और यह देखा गया है कि उच्च पदों में भारतीयों और विदेशियों में इस समय लगभग २५ और ७५ प्रतिशत का अनुपात है। जब तक कि हम इस सदन की सद्भावना से शक्ति प्राप्त कर के यह न कहें कि कल से कोई विदेशी सार्थ यहां व्यापार नहीं करेगी, तब तक एक दम इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। हम नहीं समझते कि अभी ऐसा करने की आवश्यकता है। हमें यह आशा है कि अब जो उपाय किये जा रहे हैं वे काफी प्रभावपूर्ण सिद्ध होंगे और इन से थोड़े से समय में वांछित फल मिल जायेगा। यह अत्यन्त आवश्यक है इस बात से हमारा कोई मत भेद नहीं है।

श्री के० के० बसु : उन के भी अलग अलग आंकड़े बतलाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता ? १,००० रुपये से ऊपर तो बहुत व्यापक शब्द है ।

श्री करमरकर : हम अधिक व्यापक शब्दों में विश्वास करते हैं, संकुचित शब्दों में नहीं, विरोधी पक्ष वालों को संकुचित शब्दों में विश्वास करना अच्छा लगता है, क्यों कि यह सरल है ।

अच्छा तो करारों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था। मुझे निश्चय है कि इस प्रश्न को उठाने वाले मेरे मित्र मुझ से किसी विस्तृत उत्तर की आशा नहीं करते होंगे। दूसरे सदन में एक संकल्प प्रस्तुत करते समय जिस में कि हम से किन्हीं विशेष पक्षों से दीर्घ कालीन करार करने के लिये कहा गया था, उसी भाग के लोगों ने यही बात उठाई थी। सरकार की युक्तियों को सुनने के पश्चात्, यद्यपि उन का पूर्ण सन्तोष तो नहीं हुआ, किन्तु उसी गुट के सदस्य ने जिस के कि इस प्रश्न को उठाने वाले मेरे माननीय मित्र सदस्य हैं, उस संकल्प को वापस ले लेना ही ठीक समझा। ऐसा प्रतीत होता था कि वे इस बात से सन्तुष्ट थे कि सरकार अपने ढ़ंग से अच्छा ही कर रही है ।

मैं एक बात की ओर निर्देश करना चाहता हूं, और वह हमारे विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में है। उन के मतानुसार हम भेद भाव करते हुए प्रतीत होते हैं ; मेरे माननीय मित्र श्री बसु ने हम से पूछा : "हम सदा ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर ही क्यों निर्भर रहते हैं ?" विदेशी व्यापार में, जैसा कि स्पष्ट है, किसी पर निर्भर रहने का कोई प्रश्न नहीं है । हमारे पास अपनी वस्तुयें हैं, हम उन्हें विश्व के बाजार में प्रस्तुत करते हैं। हमें कुछ वस्तुयें चाहियें ; उन्हें विश्व के बाजारों से खरीदना पड़ता है। अच्छा, जब हम निर्यात के लिये कोई अनुज्ञप्ति देते हैं, तो यह निर्यात करने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह जिस देश को चाहे अपनी वस्तुओं का निर्यात करे। हम उस पर कोई बन्धन नहीं लगाते । हम उस से यह नहीं कहते : ब्रिटेन जाओ या रूस जाओ। उसे कहीं भी अपने लिये लाभप्रद सौदा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है । जब सुलभ मुद्रा क्षेत्र से आयात करना होता है, तो हम कहते हैं : "यह तुम्हारी अनुज्ञप्ति है, सुलभ मुद्रा क्षेत्र के अच्छे से अच्छे बाजार में जाओ, जहां कि व्यापार की शर्तें तम्हारे लिये लाभप्रद हों, जाओ और अपनी आवश्यकतानुसार वहां से वस्तुयें खरीद लो।" इन परिस्थितियों में हम ने देश के हित में द्विपक्षीय करारों द्वारा किसी नियत परिणाम के लिये अपने आप को बांधना अच्छा नहीं समझा। स्वतंत्रता के पश्चात् पहिले दो वर्षों में हम ने समझा कि यह लाभप्रद होगा । परन्तु यह कई बार हानिकारक सिद्ध हुआ हम तो किसी नियत राशि का निर्यात करने के लिये वचन बद्ध होते थे, किन्तु हम सम्पूर्ण निश्चित राशि का आयात नहीं कर सकते थे। अन्त में आप किसी को कोई करार पूरा करने के लिये बाधित नहीं कर सकते । गत वर्ष एक विशेष देश के सम्बन्ध में जहां कि हम ने एक विशेष राशि तक निर्यात किये जाने की आशा की थी, हम ने अन्त में देखा कि हम ने जितनी आशा की थी उन्हों ने उस के केवल चतुर्थांश का ही आयात किया। इन परिस्थितियों में हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि किसी निश्चित मात्रा में या मूल्य की वस्तु के करार को करने की अपेक्षा ऐसे सामान्य पत्रों का विनिमय कर लेना अधिक लाभप्रद है जिन में यह लिखा हो कि हम किन किन वस्तुओं को भेज सकते हैं और कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करना चाहते हैं ।

मेरे माननीय मित्र यह जानने के लिये उत्सुक होंगे—उन्हें उन देशों का नाम लेने में बड़ी लज्जा अनुभव होती थी जिन की

और कि वे हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, किन्तु फिर भी हम ने यह जान लिया कि उन का अभिप्राय क्या है --कि चेकोस्लोवाकिया के साथ--मुझे निश्चय कि उन्हें यह ज्ञात है--हमारे व्यापारिक सम्बन्ध सदा ही बहुत अच्छे कर रहे हैं। यद्यपि इस का एक विशेष गुट से सम्बन्ध है किन्तु इस से हमारी चेकोस्लोवाकिया के साथ मित्रता में कोई अन्तर नहीं आया। हमें चेकोस्लोवाकिया से अच्छी से अच्छी वस्त मिली है और उन्हें भी हम से अच्छी से अच्छी वस्तु मिली है। इन करारों के सम्पन्न होने में कुछ समय लगता है। सोवियत रूस से भी एक करार की बात हुई थी और वे अपने सूत्रों से यह जान सकते हैं कि वह प्रस्ताव अभी तक एक करार के रूप में फलीभूत क्यों नहीं हुआ।

श्री के० के० बसु : इस विषय में किसी सूत्र से पड़ताल करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि इस विषय में विशेष प्रयत्न क्या किया गया है।

श्री करमरकर : मैं भी इसी बात की चर्चा कर रहा हूं। केवल करार के द्वारा ही किसी देश के साथ प्रभावशाली ढंग से व्यापार नहीं बढ़ाया जा सकता। थोड़ी सी वस्तुओं पर वरीयता के अतिरिक्त जो कि हम दोनों के लिये हितकारी है ब्रिटेन के साथ हमारा कोई करार नहीं है। हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस के साथ कोई करार नहीं है। रूस के साथ हमारा व्यापार नहीं होता इस का करार के न होने से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरिका के साथ कोई निश्चित करार न होने पर भी उन के साथ खुले रूप में व्यापार होता है। सामान्यतया हम जिन वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं करते हैं। मेरे माननीय मित्र आंकड़ों से यह देख सकते हैं कि यद्यपि इन में से किसी के साथ भी हमारा कोई करार नहीं है किन्तु हमारा अधिकांश व्यापार इन्हीं दो देशों के साथ होता है। सम्भवतः वह इस का यह उत्तर दें कि निहित स्वार्थ व्यक्तियों के कारण ऐसा होता है। यह कोई उत्तर नहीं है।

श्री के० के० बसु : सरकारी स्तर पर कुछ क्यों नहीं किया जाता? योजना आयोग ने चेकोस्लोवाकिया से पूंजीगत वस्तुयें प्राप्त करनेकी संभावना को स्वीकार किया है। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार पूंजीगत वस्तुयें प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री करमरकर : मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि चेकोस्लोवाकिया से कोई उपयोगी वस्तु आयेगी तो हम उसे प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेंगे : वे भी हम से वस्तुयें ले सकेंगे--इस में जरा भी सन्देह नहीं है। परन्तु मेरे माननीय मित्र के मन में यह तर्कहीन धारणा न जाने कैसे घर कर गई है कि हम कुछ देशों को भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं।

७ म० प०

इसी गलत धारणा के कारण उन के सारे विचार दूषित हो जाते हैं। यही कठिनाई है। इस रोग का उपचार वे स्वयं कर सकते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है। हमारे मित्र प्रो० अग्रवाल जी ने कहा था कि हमें स्वदेशी की भावना जागृत करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जब कभी स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहित करने के लिये कहा जाता है तो इस का अभिप्राय सरकार के भाण्डारों के क्रय से होता है।

[श्री करमरकर]

मैं समझता हूं कि सदन को निस्सन्देह यह विदित है कि अपने भाण्डारों के क्रय में हम सदा स्वदेशी वस्तुओं को प्रधानता देते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को यदि उन की उत्तमता में कोई अन्तर न हो, अधिक मूल्य देने का निश्चय किया है। सरकार की बहुत देर से यही नीति रही है। सरकार इस बात से सहमत है कि स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। किन्तु गलत अर्थ में नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि चाहे कैसे भी हो हमें स्वदेशी रेजर के ब्लेड से ही अपने आप को काट लेना चाहिये। सरकार स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देगी और उसे यह विदित है कि स्वदेशी उद्योगों ने गत कुछ वर्षों में कितनी उन्नति की है। परन्तु राष्ट्र के हित में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस नीति से स्वदेशी उद्योग की उत्तमता में कमी न आये। यदि इस बात को मान लिया जाये और यदि इन वाद-विवादों के पश्चात् सदन के माननीय सदस्य जिन में विरोधी पक्ष के मेरे मित्र भी सम्मिलित हैं, इस में थोड़ा समय लगायें तो मैं समझता हूं इस से सरकार का काम भी हलका हो जायेगा। सरकार ही कोई वातावरण नहीं बना सकती। अन्त में, जैसा कि विरोधी पक्ष के मेरे मित्र भी जानते हैं, जनता ही सरकार को बनाती है। यदि हमें कोई वातावरण बनाना हो, तो हमें सरकार की ओर नहीं निहारना चाहिये। इस में संदेह नहीं कि सरकार को सब से पहिले दूसरों के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये। परन्तु अन्त में जनता को और उस के नेताओं को ही जिस का कि यह महान सदन प्रतिनिधि है, मार्गदर्शन करना चाहिये। कुटीर उद्योगों के सम्बंध में हम ने एक ठोस रुख अपनाया है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र को विदित है हम ने तीन समितियां बनाई हैं। इन समितियों में अच्छे से अच्छे व्यक्ति रखे गये हैं और सरकार को पूरा निश्चय है कि इन समितियों के प्रयत्न अवश्य फलीभूत और सफल होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ८, ९, १४ और १५ के कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक घोषणा करनी है। ६ और ७ को वित्त मंत्रालय से संबंधित मांगों पर चर्चा की जायेगी और ये ७ को समाप्त हो जायेंगी। उस दिन आयव्ययक पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। सम्भवतः उस दिन सांयकाल को विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाय। परन्तु यदि माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहेंगे तो मैं इस की अनुमति दे दूंगा। मैं यह चाहता हूं कि इस पर ८ को विचार किया जाये। उस के समाप्त हो जाने पर ८, ९, १४ और १५ को वित्त विधेयक पर चर्चा की जायेगी। यदि ८ का कुछ समय विनियोग विधेयक में लग गया तो उतना समय वित्त विधेयक के लिये १५ को दे दिया जायेगा, किन्तु इस पर उस दिन चर्चा बन्द हो जायेगी। वित्त विधेयक की सभी अवस्थायें इन चार दिनों में समाप्त कर दी जायेंगी।

अब सदन की बैठक शनिवार, २ म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, ४ अप्रैल, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।